सोमवार,
२२ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, २२ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एयर इण्डिया इंटरनेशनल

*१९०. **सरदार हुक्मसिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया इंटरनेशनल द्वारा भारत तथा यूरोप के बीच किये जाने वाले यातायात में पूर्व वर्ष की तुलना में गत बारह महीनों में वृद्धि हुई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो कितनी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५२ की तत्संवादी अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्बर १९५३ की अवधि में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल द्वारा किये जाने वाले यातायात में वृद्धि हुई है।

(ख) उपरोक्त अवधि में यात्री यातायात में ७.६६ प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि माल तथा डाक यातायात में ६.८७ प्रतिशत वृद्धि हुई। पूरे यातायात में ७.४ प्रतिशत वृद्धि हुई।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस अवधि में पुराने मार्गों में सर्विसेज़ की वारंवारता

में कोई वृद्धि हुई है या कोई नये मार्ग खोले गये हैं ?

श्री राज बहादुर : हमारा विचार यह है कि १.४९० प्रकार के वायुयान मिल जाने के बाद इन सर्विसेज़ की वारंवारता में वृद्धि की जाये या कम से कम सीटों की संख्या की दृष्टि से अधिक स्थान की व्यवस्था की जाये।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन सर्विसेज़ से कार्यवहन व्यय में, जितनी हमें आशा थी, उससे बहुत अधिक वृद्धि हुई है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं, बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। यह २७.२५ लाख रुपये हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि इन लाइनों को चलाने में जो मासिक हानि होती है वह उस राजकीय सहायता से बहुत अधिक है जो सरकार पहिले पुराने समवायों को देती थी ?

श्री राज बहादुर : एयर इण्डिया इंटरनेशनल के चलाने से कोई हानि नहीं होती।

श्री एन० सोमना : क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का, कि हानि लगभग ४० लाख रुपये की है, कोई आधार है ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का सम्बन्ध एयर इण्डिया इंटरनेशनल से है।

माननीय सदस्य का प्रश्न भिन्न है, जो कि इण्डिया एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन के बारे में है।

रेल गाड़ियों से पहिले दर्जे का खत्म किया जाना

*१९१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहिली अक्टूबर, १९५३ से भारतीय रेलवेज़ में पहिले दर्जे को दूसरे दर्जे में परिवर्तित करने में कितना व्यय हुआ ?

(ख) सामान्यता पर्यटकों को जिस स्तर के स्थान तथा सुविधाओं की आवश्यक होती है, क्या इस परिवर्तन के पूरा हो जाने के बाद उसकी कोई व्यवस्था की गई है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो वे कौन सी सुविधायें हैं और क्या इस कार्य के लिये कोई राशि खर्च की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ३,००० रुपये।

(ख) तथा (ग)।

(१) पर्यटकों के लिये विशेष रिज़र्व यात्री डिब्बों या गाड़ियों में पहिले दर्जे के डिब्बों की व्यवस्था जारी रखने के प्रबन्ध किये गये हैं।

(२) कुछ गाड़ियों में, जिनमें पहिले दर्जे के डिब्बे नहीं होते, शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों की व्यवस्था की जाती है और कार्यक्रम के अनुसार और अधिक गाड़ियों में शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों की व्यवस्था की जायेगी।

(३) पहिले दर्जे को खत्म कर देने के परिणामस्वरूप पर्यटक यातायात के सम्बन्ध में कोई विशेष खर्च नहीं किया

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या पहिला दर्जा खत्म कर दिये जाने के बाद शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों तथा दूसरे दर्जे में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है, और यदि ऐसा है, तो इसके द्वारा प्रशासन सम्बन्धी मितव्ययता कितनी हुई है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इसके वास्तविक आँकड़े नहीं हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों में सफर करने वाले मुसाफ़िरों की संख्या बढ़ने लगी है। मेरे पास दूसरे दर्जे के आंकड़े अलग नहीं हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : डिब्बों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में कितना खर्च हुआ है और किस समय तक पूर्ण परिवर्तन हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने भाग (क) के उत्तर में बताया, सब रेलों में लगभग ३,००० रुपया खर्च हुआ। वास्तव में, अंक "१" को अंक "२" में बदलने में होने वाले खर्च के अतिरिक्त और अधिक खर्च नहीं हुआ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : शेष गाड़ियों में पहले दर्जे को कब खत्म कर दिया जायगा ?

श्री अलगेशन : हमने पहिले दर्जे को पन्द्रह गाड़ियों में रहने दिया है और इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि इन्हें भी कब खत्म कर दिया जायेगा ?

श्री मुनिस्वामी : क्या विद्यमान विश्राम के कमरों में कोई सुधार किया गया है जिससे पर्यटक उनमें ठहर सकें ?

श्री अलगेशन : जहां विश्राम के कमरे नहीं हैं, वहां वे बनाये जा रहे हैं ?

विमान यात्रा बीमा

***१९२. श्री बंसल :** क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न हवाई अड्डों या विमान यात्रा टिकट घरों में विमान यात्रा बीमा कराने की कौन कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं ?

संचार उपमंत्री (श्रीर राज बहादुर): मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है। **[देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]

श्री बंसल : क्या यह प्रबन्ध विमान समवायों के सामान्य कार्यों के रूप में हैं या हवाई अड्डों पर इन विमान यात्रा बीमा समवायों के पृथक् कार्यालय हैं ?

श्री राज बहादुर : उनका प्रबन्ध विभिन्न बीमा समवायों के साथ किया गया है, किन्तु इसे निगम की कार्य-व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री बंसल : क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ हवाई अड्डों तथा टिकट घरों पर जो अधिकारी मुसाफिरों को साधारण टिकट देते हैं, वही उन्हें विमान यात्रा बीमा कवर्स भी देते हैं ।

श्री राज बहादुर : ये प्रबन्ध अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। कुछ स्थानों पर टिकट घरों पर बीमा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था है और कुछ अन्य स्थानों पर टिकट घर तथा हवाई अड्डे दोनों में ही ये सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री बंसल : इन बीमा समवायों द्वारा भारत सरकार या इन विमान निगमों को इनके अधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिये कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : हम उन्हें स्थान देते हैं। वास्तव में, वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं और इसमें हमारे द्वारा उन्हें कुछ दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री बंसल: मंत्री महोदय ने अभी बताया कि ये प्रबन्ध अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं और कुछ स्थानों पर विमान निगम के अधिकारी विमान यात्रा बीमा फार्म देते हैं तथा उन्हें भरते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सेवाओं के लिये सरकार को पैसा दिया जाता है।

श्री राज बहादुर : इण्डियन एयर लाइन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा फार्म भरने से सम्बन्धित इस विशेष प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री रघुरामय्या: बीमा समवायों को दी गई सुविधाओं के अतिरिक्त, क्या सरकार सभी मुसाफिरों के अनिवार्य बीमा करने की किसी योजना पर विचार कर रहीं है, जिसमें बीमा सम्बन्धी व्यय किराये में सम्मिलित किया जायगा ?

श्री राज बहादुर: जी हां।

श्री बंसल: विवरण से मुझे पता लगता है कि बीमा कार्य मुख्य रूप से ओशन एक्सिडेंट एण्ड गारंटी कॉर्पोरेशन तथा स्टर्लिंग जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये विदेशी समवाय हैं, और यदि ऐसा है, तो भारतीय समवायों को यह कार्य क्यों नहीं करने दिया जाता।

श्री राज बहादुर: अभी तो ये ही समवाय यह कार्य कर रहे हैं, किन्तु अनिवार्य बीमा के सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में जो अन्य कार्य किये जायेंगे उन पर हम विचार कर रहे हैं।

भविष्य निधि में से ऋण

*१९३. **श्री फ्रेंक ऐन्थनी : रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नागरिक बैंक ऋण चुकाने के लिए या विवाह तथा धार्मिक कार्य सम्पन्न करने के लिए गाड़ी के साथ जाने वाले कर्मचारियों को उन की भविष्य निधि में से ऋण दिये जाते हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इन प्रयोजनों के लिए ऋण नहीं दिये जाते । केवल विस्थापित व्यक्तियों को अपने बच्चों के विवाह के लिए ऋण दिये जाते हैं । तथापि कुछ अन्य निश्चित प्रयोजनों के लिए भविष्य निधि में से ऋण दिये जाते हैं ।

(ख) राज रेलवे भविष्य निधि सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभ है और स्वयं कर्मचारियों के हित में इसे अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़ कर बैंक का लेखा नहीं समझना चाहिए और तदर्थ आवश्यकताओं के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए । अपवाद स्वरूप मामलों में भी इसे उस सीमित हद तक जो कि अब निर्धारित की गई हैं प्रयोग करना चाहिए ।

श्री फ्रेंक एन्थनी : मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार के अपवाद स्वरूप मामलों में ऋण दिये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : उन कर्मचारियों को, जो ३ या इस से कम वर्षों में ५५ वर्ष के हो जायेंगे मकान बनाने के लिए ऋण दिये जाते हैं । विस्थापित व्यक्तियों को भी मकान बनाने या खरीदने के लिए ऋण दिए जाते हैं । जो अधिकतम राशि दी जाती है, वह २०,००० रुपये तक है । ये कुछ मामले हैं ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या कर्मचारियों से इस ऋण पर कोई ब्याज भी लिया जाता है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्री पी० सी० बोस : क्या भविष्य निधि में से ऋण देने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

बानर

*१९४. **सेंठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में भारत से कितने बानरों का निर्यात हुआ ; और

(ख) प्रत्येक बानर का कितना मूल्य मिला ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णापा) : (क) १९५३ के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु अप्रैल से दिसम्बर १९५३ तक निर्यात किये गये बानरों की संख्या ७०८० है ।

(ख) लग-भग १६ रुपये ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो सात हज़ार बन्दर इस देश से बाहर भेजे गये, इन में लाल रंग के कितने थे और काले रंग के कितने थे ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

गाड़ियों में डाक्टरी सहायता

*१९५. **सरदार ए० एस० सहगल : रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २६ अक्तूबर, १९५३ को केन्द्रीय रेलव पर हर्दा और

भिरंगी के बीच २ अप पंजाब मेल में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी ;

(ख) क्या गाड़ियों में डाक्टरी सहायता का प्रबन्ध किया गया है;

(ग) क्या सरकार डाक्टरी सहायता देने के लिए गाड़ियों में प्रशिक्षित व्यक्ति (दवाओं सहित) रख रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सब यात्री गाड़ियों के गार्डों के पास, जो कि फर्स्ट एड में योग्यता-प्राप्त होते हैं एक फर्स्ट एड बाक्स होता है । आहत यात्रियों को निकटतम असैनिक या रेलवे अस्पतालों में ले जाया जाता है ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि दवा की सुविधा न होने के कारण जो आदमी मारा गया है उसको पूरी मदद नहीं मिल सकी ?

श्री शाहनवाज़ खां: जी नहीं, यह अफवाह गलत है । जो आदमी मारा गया वह तो पहले ही मर चुका था ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या गवर्नमेन्ट यह कन्टैम्प्लेट कर रही है कि जो मेडिकल एड है वह हर एक ज़ोन में दी जाय ?

श्री शाहनवाज़ खां: जैसा में ने कहा है, हर एक ट्रेन के गार्ड के पास फर्स्ट एड मेडिकल बाक्स होता है और जो आदमी जरूरतमंद होता है उस को वह एड दी जाती है । लेकिन जब आदमी मर जाय और एड बाद में पहुंचे तो क्या किया जाय ?

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि ट्रन्ड मेडिकल एड हर एक जोन्स में दी जाय ?

श्री शाहनवाज़ खां: जी, तमाम रेलवे गार्ड ट्रेन्ड हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चलते फिरते रेल के डिब्बे थे, जिन में कि मेडिकल एड दी जाती थी, उन की संख्या क्या कुछ कम कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): ऐसे तो कोई मोबाइल डब्बे नहीं थे जो कि ट्रेन्स में लगा दिये जाते थे, लेकिन कुछ सेक्शन्स ऐसे हैं जहां स्टाफ के लिये मोबाइल रेलें हैं जो कि स्टेशन से स्टेशन को जाती हैं और स्टाफ को दवा देती हैं और उनका इलाज करती हैं । बाकी रनिंग ट्रेन्स में ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या इन के बढ़ाने का इन्तजाम किया जा रहा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: स्टाफ़ के लिये ज़रूरत हुई तो ।

कराची पत्तन प्रन्यास के भूतपूर्व कर्मचारी

*१९७. **श्री टी० वी० विट्ठल राव:** परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कराची पत्तन प्रन्यास के सब भूतपूर्व कर्मचारियों की, जिन्होंने विभाजन के पश्चात् भारतीय पदों पर काम करना पसन्द किया था, पिछली सेवा को नहीं माना गया और उन्हें भारतीय पदों पर पुनर्नियुक्ति के बाद न्यूनतम वेतन श्रेणियों में काम करने के लिए बाध्य किया गया है ; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो भारत में ऐसे कितने कर्मचारी सेवा में हैं और कहां कहां ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): भारत या पाकिस्तान में

सेवा करने का विकल्प केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था । किन्तु भारत सरकार के कहने पर पत्तन प्रन्यास प्राधिकारियों ने कराची पत्तन प्रन्यास के भूतपूर्व कर्मचारियों के नौकरी के प्रार्थनापत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया था । बम्बई पत्तन प्रन्यास ने जिस ने काफ़ी व्यक्तियों को खपा लिया है, कुछ प्रकार के कर्मचारियों को उन के आरंभिक वेतंन न्यूनतम से अधिक दर पर निश्चित करने की सुविधा दी थी ।

(ख) कराची पत्तन प्रन्यास के भूतपूर्व कर्मचारियों की संख्या जिन्हें इस समय सेवायुक्त किया गया है निम्न हैं :

बम्बई पत्तन प्रन्यास	४६२
कलकत्ता पत्तन आयोग	४२
कांडला पत्तन प्रशासक	३०

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या वेतन निश्चित करने के लिए सेवा की कुल अवधि को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता ?

श्री अलगेशन : जी नहीं । किन्तु उन के मामलों पर विचार किया गया है और उन के वेतन ऊंची श्रेणी में निश्चित किये गये हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार ने कोई आश्वासन दिये थे कि सेवा की पूरी अवधि को ध्यान में रखा जायगा ?

श्री अलगेशन : सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिये थे, स्वयं कर्मचारियों को यह भ्रम था कि ऐसा कोई आश्वासन है ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या उन सब कर्मचारियों को जिन्हों ने भारतीय पत्तनों में काम करने का विकल्प दिया था, नौकरी दी गई थी ?

श्री अलगेशन : उन में से बहुत से काम पर लगा लिये गये हैं ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य नहीं है कि सब को नहीं खपाया गया और जिन्हें खपाया गया है, उनको वही वेतन या वेतन श्रेणी नहीं मिल रही, जो उन्हें पाकिस्तान में मिल रही थी ?

श्री अलगेशन : मैं ने इस का उत्तर पहले दिया था । किन्तु मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि उन के वेतन जो अब निश्चित किये गये हैं उन से अधिक हैं जो उन्हें कराची पत्तन में मिलते थे ।

आयातित खाद्य पदार्थ

***१९८. श्री झूलन सिन्हा : खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ और १९५३ में आयातित खाद्य पदार्थों के वज़न में कमी के कारण कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) इस हानि को पूरा करने के लिए अब तक क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है, कि जिससे यह बात भविष्य में फिर न हों ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) आयातित खाद्य पदार्थों के वजन में कमी के कारण जो हानि हुई थी, वह इस प्रकार है :

१९५२	५३.५ लाख रुपये
१९५३	८.९ लाख रुपये

चार्टर पक्ष और भारतीय सामुद्रिक माल वाहन अधिनियम के अन्तर्गत जहाज़ी कम्पनियों के विरुद्ध जितना दावा किया जा सकता है, वज़न में कमी के कारण हुई हानि उन से वसूल की जाती है ।

सामुद्रिक यात्रा में प्राकृतिक कारणों से वज़न में कुछ कमी होना अनिवार्य है और इसे स्वाभाविक समझा जाता है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या वज़न में कमी का कारण यह था कि भेजे जाने के स्थान पर माल को कम तोला गया था, या रास्ते में चोरी हो जाती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बहुधा इस के कारण प्राकृतिक थे। यह स्वभाविक है कि खाद्यान्न में जो नमी होती है, वह कुछ समय बाद दूर हो जाती है और उनका वज़न एक या दो प्रतिशत तक कम हो जाता है। इस के अतिरिक्त कम तोलना भी हो सकता है।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि सरकार की जो हानि हुई है, सरकार ने उस को पूरा करने के लिए कितनी वसूली की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वसूली बहुत ही कम है। १९५१-५२ में यह केवल १७,००० रुपये थी। जहाज़ी कम्पनियां यात्रा के दौरान में प्राकृतिक कारणों जैसा कि नमी का उड़ जाना आदि से हुई हानि को पूरा करना कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इन सब मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय लागू होते हैं।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इस का यह अर्थ है कि नियमों के अन्तर्गत हमें अपनी हानि को पूरा करने की आज्ञा नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी नहीं।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या उन पत्तनों में जहां आयातित खाद्यान्न उतारा जाता है, वज़न की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माल तोलने के लिए हमारी भिन्न भिन्न व्यवस्था है। कुछ मामलों में हमारी वाहक मशीनों के द्वारा वस्तुओं को तोला जाता है और कुछ मामलों में तोलने के लिए साधारण तराज़ू प्रयोग किये जाते हैं।

जहाज़ मालिकों का सम्मेलन

*१९९. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जहाज़ मालिकों की सलाहकार समिति की तीसरी बैठक २१ नवम्बर, १९५३ को बम्बई में हुई थी ;

(ख) नौवहन समवायों से प्राप्त प्रस्ताव ;

(ग) क्या सरकार ने उदारतापूर्वक ऋण देना स्वीकार कर लिया है और यदि ऐसा है तो किस प्रकार ; तथा

(घ) ऋण देने की वर्तमान व्यवस्थाओं की शर्तों और पहले की शर्तों में क्या अन्तर है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां। बैठक का सभापतित्व परिवहन मंत्री ने किया था।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं। कार्यसूची में सम्मिलित अनेक मदों पर बैठक में वाद विवाद किया गया था, जिसकी एक प्रति लिपि सदन पटल पर रख दी गई है। [देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२].

(ग) तथा (घ). सरकार ने ऋण की शर्तों के विषय में जहाज़ मालिकों के उदारता सम्बन्धी सभी उचित सुझावों को स्वीकार कर लिया है। मामला अब विचाराधीन है, किन्तु इसी बीच में तदर्थ आधार पर सरकार ने ऋणों के रूप में जहाज़ों के मूल्य का उच्च प्रतिशत देना तथा पहले की अपेक्षा ऋण के भुगतान का समय अधिक कर दिया है।

श्री मुनिस्वामी : क्या भारत का तटीय व्यापार भारतीय नौवहन ने पूर्णरूपेण ले लिया है ?

श्री अलगेशन : हां, ऐसा कई वर्षों से है ।

श्री मुनिस्वामी : नौवहन की पुनर्निर्माण नीति में कहां तक उन्नति हुई है ?

श्री अलगेशन : पुनर्निर्माण नीति से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ?

अध्यक्ष महोदय : पुनर्निर्माण नीति' का अर्थ मैं स्वयं नहीं समझा हूं ।

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य 'पोत निर्माण' से है, तो कार्य-क्रमानुसार उसमें उन्नति हो रही है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि बहुत से जहाज़ तत्काल ही माल उतारने तथा माल लादने की कमी के कारण बेकार रहते हैं ?

श्री अलगेशन : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या किसी जहाज़ के मालिक ने टैंकर क्रम करने के लिये प्रस्ताव रखे हैं और टैंकर क्रम करने में अधिकतम सहायता देने के लिये सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री अलगेशन : बैठक में चर्चा के विषयों में से एक विषय यह भी था । जहाज़ के मालिकों की ओर से कोई प्रस्ताव नही किया गया है किन्तु सरकार इस पर विचार कर रही है ।

"कोनवेयर" वायुयान

***२००. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार इस समय वायु सेवा में प्रचलित "डकोटा" वायुयानों के स्थान पर किसी आधुनिक किस्म के वायुयानों का प्रचलन करना चाहती है ;

(ख) क्या "कोनवेयर" वायुयान का कोई प्रदर्शन अधिकारियों को दिखाया गया है ; और

(ग) क्या "कोनवेयर" वायुयान बनाने वाली कम्पनी से सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सौदा किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बाहदुर) : (क) नहीं, किन्तु मुख्य मार्गों पर चलाने के लिय कुछ नये विमान क्रम करने का प्रश्न निगम के विचाराधीन है ।

(ख) निर्माताओं की स्वप्रेरणा पर नागरिक उड्डयन के महा-संचालक तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अधिकारियों की उपस्थिति में दिल्ली में इस विमान के प्रदर्शन का आयोजन किया गया था ।

(ग) नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस कोनवेयर विमान के मूल्य तथा 'डकोटा' के मूल्य में क्या अनुपात है ?

श्री राज बहादुर : एक कोनवेयर का मूल्य लगभग ३० लाख रुपये होता है । जहां तक डकोटा का सम्बन्ध है, अब उसका निर्माण नहीं किया जाता उसके मूल्य भी अलग अलग होते हैं, जैसा कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के आंकड़ों से पता लगता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार 'वाइकाउन्ट' क्रम करने का विचार रखती है ?

श्री राजबहादुर : हम 'वाईकाउन्ट'लें अथवा कोनवेयर, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री **जयपाल सिंह** : क्या चुनाव चार इजन वाले तथा दो इंजन वाले विमानों में किया जा रहा है, अथवा कोई और कारक

है जिससे सरकार के निर्णय में विलम्ब हो रहा है ?

श्री राज बहादुर: इन दोनों प्रकार के विमानों को कार्य में लाने से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न आर्थिक कारकों का परीक्षण तथा अध्ययन विशेषज्ञों की समिति कर रही है, और वह मामले के भिन्न-भिन्न पक्षों पर विचार करेगी ।

श्री जयपाल सिंह : तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि जहां तक कार्य करने में बचत का सम्बन्ध है, न तो सरकार और न यह विशेषज्ञ समिति ही अभी तक कोई निर्णय कर सकी है ।

श्री राज बहादुर: नागरिक उड्डयन के महा-संचालक ने एक सविस्तार टिप्पणी तैयार की है जिसमें सभी कारकों पर विचार किया गया है, जिसका अध्ययन समिति कर रही है । इसके पश्चात् यह सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान् मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति , शान्ति, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

भटिण्डा रेल दुर्घटना

***२०१. श्री एस० एन० दास:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि ४ जनवरी १९५४ को भटिण्डा के निकट उत्तरी रेलवे लाइन पर एक भारी रेल दुर्घटना हुई जिस के परिणाम स्वरूप कई व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का कारण क्या है ;

(ग) मृत व्यक्तियों की तथा घायलों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या जांचकी रिपोर्ट आ चुकी है ; और

(ङ) यदि हां तो रिपोर्ट में मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) हां । ४ जनवरी १९५४ को पांच बज कर आठ मिनट पर प्रात: काल, नम्बर ४ यू. वी, डाउन, यात्री गाड़ी, भटिण्डा जंकशन से फूसमण्डी स्टेशन को जा रही थी जब कि रेलवे लाइन के नीचे के नहर के पुल के निकट पहुंचने पर उसका इंजन तथा पहले पांच डिब्बे पटरी से उतर गये ।

(ख) (घ) तथा (ङ), रेल के सरकारी निरीक्षक ने इस दुर्घटना की संविहित जांच की है । उन की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है तथा अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, इस दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में, उन का अंतर्कालीन निर्णय यह है कि यह दुर्घटना इस लिये हुई है कि नहर की उपकुल्यिका के किनारों में पड़ी हुई एक दरार से निकलने वाले जल प्रवाह के कारण, रेलवे के बांध में कटाव हो गया था ।

(ग) १७ व्यक्ति मर गये, १३ व्यक्तियों के गहरी चोटें आईं तथा २८ व्यक्तियों के साधारण चोटें आई हैं ।

श्री एस० एन० दास : इस दुर्घटना के घटित होने के कितनी देर के पश्चात् अम्बाला तथा भटिण्डा से भेजी गई सहायता-गाड़ियां स्थल पर पहुंची ?

श्री शाहनवाज़ खां : भटिण्डा से आने वाली पहली सहायता गाड़ी प्रात:काल ७ बज कर १५ मिनट पर पहुंची दूसरी सहायता गाड़ी, जो भटिण्डा से और अधिक संख्या में डाक्टरों को लाई थी, ८ बजकर १५ मिनट पर पहुंची । फ़ीरोज़पुर का डिवीज़नल डाक्टरी अधिकारी सड़क के मार्ग से १० बजकर ३० मिनट पर पहुंचा ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि घटनास्थल पर पहुंचने में असाधारण विलम्ब होने का कारण क्या था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं इस से सहमत नहीं हूं कि इस में किसी प्रकार का विलम्ब हुआ। स्टेशन मास्टर को सूचना ६ बजकर २० मिनट पर प्राप्त हुई तथा ७ बजकर १५ मिनट पर सहायता गाड़ी आ गई।

श्री एस० एन० दास : इस दुर्घटना के पूर्व नहर के इस पुल का निरीक्षण पहले कब किया गया था तथा क्या इस सम्बंध में कोई रिपोर्ट आई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं परन्तु जहां तक मुझे पता है केवल एक दिन पहले ही इस पुल का निरीक्षण हो चुका था तथा पुल बिल्कुल ठीक दशा में था। जिस नहर के किनारों में दरार पड़ जाने के कारण रेलवे लाइन का बांध कट गया था उस की देखभाल का कार्य पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग के सुपुर्द था।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि दुर्घटना घटित होने के बहुत पहले से नहर की दरार से पानी निकल रहा था।

श्री एल० बी० शास्त्री : नहीं। दरार से पानी निकलना संभवतः दस बजे रात से आरंभ हुआ था।

भारतीय नौवहन समवाय

***२०२. श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंगलैण्ड के नौवहन समवाय के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है, कि उन्हों ने, अपने सम्मेलनों में, भारतीय नौवहन समवाय को भाग लेने का अवसर देने से इन्कार कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति का स्पष्टीकरण करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है परन्तु उसे पता है कि भारतीय नौवहन समवाय को भारत-पाकिस्तान तथा इंगलैण्ड-योरुप मध्यवर्ती व्यापार सम्बंधी कुछ ऐसे नौवहन सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया जिन के इंगलैण्ड के कुछ नौवहन समवाय सदस्य हैं। यह ऐसी समस्या है जिसे भारतीय नौवहन समवाय को तत्सम्बंधी सम्मेलनों से मिलकर सीधे हल करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा आशा की जाती है कि भारतीय समवाय, तत्सम्बंधी सम्मेलनों में प्रवेश प्राप्त करने के लिये, इस दिशा में वाणिज्य स्तर पर, अग्रेतर प्रयत्न करेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इण्डियन स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड के भागीदारों की एक बैठक में, दिसम्बर १९५३ में, श्री ए० रामस्वामी मुदालियर द्वारा लगाये गये एक आरोप की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि यद्यपि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का एक सदस्य है, फिर भी, इंगलैण्ड के नौवहन समवाय ने प्रत्येक ऐसे सम्मेलन में, भारतीय समवाय की सदस्यता के प्रस्ताव का बराबर विरोध किया है, जिस में नियमित किया जाने वाला व्यापार भारतीय बंदरगाहों से आरंभ होने के स्थान पर किसी रास्ते के बंदरगाह से आरंभ होता है तथा इंगलैण्ड के बंदरगाह में समाप्त होता है अथवा इंगलैण्ड के बंदरगाहों से आरंभ होकर किसी रास्ते के बंदरगाह में माप्त होता है ?

श्री अलगेशन : वर्तमान परिस्थिति यही है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय समवाय जो क्षति इस कारण उठा रहे हैं कि अब कोलम्बो तथा अदन जैसे बंदरगाहों से सामान लादकर इंगलैण्ड के बंदरगाहों को नहीं ले जा सकते हैं तथा जिनको इसी मात्रा में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिये जहाज़ों के अंदर भारी वज़न रखना पड़ता है ; इसकी पूर्ति करने के लिये, सरकार ने कौन से उपाय किये हैं अथवा करने का विचार कर रही है ?

श्री अलगशन : यह नौवहन समवाय स्वयं ही सम्मेलनों से, इस प्रश्न के सम्बंध में, वाणिज्य स्तर पर वार्ता कर रहे हैं । यदि उन के प्रयत्न असफल हो जायेंगें तो सरकार के लिये इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर आयेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिसके द्वारा पंच वर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये आयात किये जाने वाले माल की ढुलाई के कार्य का पर्याप्त भाग भारतीय नौवहन समवायों को दिलाने का उपबंध किया गया हो ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् ।

श्री बंसल : क्या सरकार को पता है कि भारतीय नौवहन समवायों के विरुद्ध यह शिकायत बहुत दिनों से चली आ रही है और यदि हां तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ।

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसी प्रश्न को दुहरा रहे हैं । यदि नौवहन समवाय कोई ठोस सुझाव देंगी तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे । परन्तु अभी तो उनकी बातचीत ही चल रही है ।

भटिण्डा रेल दुर्घटना

***२०३. श्रीमती कमलेन्दुमती शाह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भटिण्डा के निकट हाल में होने वाली रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को कोई हर्जाना दिया है ?

(ख) यदि हां तो अब तक दी जाने वाली कुल धन राशि कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं, चूंकि, इस दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावों को निपटाने के लिये नियुक्त दावा आयुक्त को अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : क्या नहर विभाग से कोई सफ़ाई मांगी गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : प्रश्न क्षति पूर्ति के सम्बंध में है, नहर के प्राधिकारियों से सफ़ाई मांगने का प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बताया यह गया है कि यह दुर्घटना नहर के पानी के कारण हुई है । इसी लिये उन्होंन प्रश्न किया है कि क्या नहर के प्राधिकारियों से सफ़ाई मांगी गई है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अभी हमें रेलवे के सरकारी निरीक्षक की केवल अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है । हम अन्तिम रिपोर्ट की राह देख रहे हैं । उसके प्राप्त हो जाने पर ही

उक्त राज्य सरकार को इस सम्बंध में लिखने का समय आयेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भटिण्डा रेलवे ऐक्सीडेंट में कितने आदमी मरे तथा कितने जख्मी हुए ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

नौकरी दफ्तर

***२०४. श्री केशवैयंगार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियुक्त करने वाले प्रधिकारी की चुनाव करने की शक्तियों पर नौकरी दफ़्तर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : नहीं ।

श्री केशवैयंगार : क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को कोई उचित कार्य नहीं दिला सकती है जो नौकरी दफ़्तरों द्वारा भेजे जाते हैं ।

श्री वी० वी० गिरि : होता यह है कि नौकरी दफ़्तर अपने रजिस्टर देखकर उचित उम्मेदवारों को सिफ़ारिश कर के मालिकों के पास भेज देते हैं तथा छांटने का काम मालिकों पर छोड़ देते हैं ।

श्री मुनि स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि सरकार ने किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के कुछ आदेश जारी किये हैं, जैसे राज्यों के छंटनी में आ जाने वाले व्यक्ति इत्यादि ?

श्री वी० वी० गिरि : हां, श्रीमान् ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सिफ़ारिश करने में, नौकरी दफ़्तरों को, एक ही प्रकार की नौकरी के लिये नाम लिखाने वाले व्यक्तियों में से, कुछ को रोक लेने का तथा कुछ को भेज देने का स्वविवेक है?

श्री वी० वी० गिरि : उन का कार्य उपयुक्त लोगों के नाम भेजना है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सरकारी दफ़्तरों की रक्षित पदों के सम्बंध में जिन की पूर्तियां नौकरी दफ़्तरों द्वारा की जा रही हैं, कोई विशेष आदेश जारी किये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : इस सम्बंध में गृह कार्य विभाग के कुछ आदेश हैं ।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन

***२०६. श्री दाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि गुजरात तथा सौराष्ट्र के बहुत से व्यक्तियों तथा संगठनों ने इस लाइन के बनाने के लिए विरोध किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अभी तक नहीं किया है ।

(ख) जी हां ।

श्री दाभी : क्या इस योजना का विरोध करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों के नाम मैं जान सकता हूं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : लगभग ३८ नामों की एक सूची है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उनको यह सूचना दी जा सकती है ।

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां ।

श्री दाभी : क्या सरकार को इस लाइन का परिमाप प्रतिवेतन मिल गया है और क्या सरकार ने इसका परीक्षण कर लिया है ?

श्री शाहनवाज खां : परिमाप प्रतिवेदन तो हमें मिल गया है और इसका अभी परीक्षण हो रहा है ।

श्री दाभी : क्या यह प्रतिवेदन इस लाइन के निर्माण के विरोध में है ?

श्री शाहनवाज खां : इस पर अभी विचार हो रहा है ।

टेलीफोन द्वारा अपशब्द

***२०७. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद नगर में टेलीफोन की पर शब्द बोलने के फलस्वरूप होने वाली बेहूदगी के बारे में जनता ने लगातार शिकायतें की हैं ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या उसे रोकने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । सन् १९५३ में इस प्रकार की ३९ शिकायतें मिली थीं ।

(ख) जी हां । इस प्रकार की शिकायतों के मिलने पर बीच बीच में इसकी जांच की गई; और काफ़ी अंश में यह बेहूदगी कम भी हो गई ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : सन् १९५३ में कितने मामलों में गड़बड़ करने वालों का पता लगाया गया ?

श्री राज बहादुर : ऐसे ३१ मामलों का पता लगाया गया जिनमें विभाग ने ऐसे टेलीफोनों का भी पता लगाया जिनसे किये अपशब्द बोले जाते थे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : गड़बड़ करने वालों को क्या दंड दिया गया ?

श्री राज बहादुर : पहली बार तो उनको चेतावनी दे दी गई है, इस चेतावनी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, अत: आगे कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

मानसिक रोगों के लिये गवेषणा केन्द्र

***२०८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मानसिक रोगों के बारे में गवेषणा करने के लिए सरकार कोई सुसज्जित केन्द्र बनाने का विचार करती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो वह केन्द्र कहां बनेगा और उसका लागत मूल्य क्या होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) यह केन्द्र, जिसका नाम अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य शाला होगा, बंगलौर में बनेगा । थोड़े समय के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों पर होने वाले स्थानीय खर्च के अतिरिक्त इस शाला पर ७.३ लाख रुपये का अनावर्तक तथा १.३६५ लाख रुपये का आवर्तक व्यय होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस केन्द्र पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार करेगी अथवा किन्हीं अन्य साधनों से भारत सरकार को कोई सहायता मिलेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : १.३६५ लाख रुपया जो आवर्त्तक व्यय है वह भारत सरकार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : वही तो कुल आवर्त्तक व्यय है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या इस केन्द्र को चालू करने के लिए अथवा इसे खोलने के लिए भारत सरकार को किन्हीं अन्य साधनों से कोई सहायता मिलने वाली है अथवा सम्पूर्ण व्यय सरकार स्वयं करेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वर्तमान भवन के विकास के लिए ४·७ लाख रुपया, तथा इस केन्द्र की सुसज्जित करने के लिए ८०,००० रुपया मैसूर सरकार ने दिया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या भारत सरकार विदेशों से कोई प्रविधिक सहायता मंगाने का विचार कर रही है । ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): शाला के अधीक्षक केन्द्रीय सरकारी शाल तथा स्थानीय शाला की देखभाल करेंगे ।

खाद्यान्न का भाण्डार (स्टाक)

***२०९. श्री एस० सी० सिघन्ल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्न का भाण्डार कितना है, तथा

(ख) प्रत्येक खाद्यान्न का प्रतिमन औसतन मूल्य कितना कितना है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) ६ फरवरी १९५४ को केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्न का भाण्डार लगभग ४३८,००० टन था ।

(ख) वर्ष १९५३-५४ के अंतिम लेखा अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और अत : केन्द्रीय संचित डिपो में प्रत्येक खाद्यान्न का वास्तविक मूल्य स्पष्टत : नहीं प्राप्त हो सका है । केन्द्रीय संचित डिपो में खाद्यान्नों का विक्रय मूल्य जो लगभग किताबी मूल्य पर अधारत है निम्न है—'क' श्रेणी के चावल का मूल्य ३० रु० ८ आ० प्रतिमन, गेहूं १५ रु० ८ आ० प्रतिमन तथा मिलों १२ रु० प्रतिमन ।

श्री मुहीउद्दीन : कितने प्रतिशत खाद्यान्न बिगड़ गया है और तथाकथित 'ग' तथा 'घ' श्रेणियों में कितनी मात्रा रखी गई हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री एल० एन० जोशी : क्या देश के खुले बाज़ारों में जिस मूल्य पर खाद्याय मिलते हैं उसकी अपेक्षा इन खाद्यान्नों का लागत मूल्य अधिक है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): गेहूं का विक्रय मूल्य १५ रु० ८ प्रतिमन है ; उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के कुछ स्थानों में बाज़ार भाव कुछ ऊंचे हैं तो कुछ स्थानों के कुछ नीचे ।

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितना गेहूं है और कितना चावल है ?

श्री किदवई: सवाल में यही जवाब दिया गया है ।

राजपथ

***२१०. श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत वर्ष में रोड़ियों पर मिट्टी तथा पानी डाल कर जो राजपथ बनाये गये हैं वे कितने मील लम्बे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)) : ५६०० मील ।

श्री एन० एम० लिंगम : सीमेंट कोनक्रीट तथा आस्फाल्टिक धरातल वाले राजपथ कितने मील लम्बे हैं ?

श्री अलगेशन: ४१५०. मील या तो वे सीमेंट कोनक्रीट के हैं अथवा काले नल वाले हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या भारत सरकार की नीति बने हुए राजपथों को सीमेंट कोनक्रीट अथवा आस्फाल्टिक तल वाले राजपथों में परिवर्तित करने की है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सीमेंट कोनक्रीट की सड़क बनाने के लिए प्रदेशों का चुनाव करते समय उन स्थानों में होने वाली वर्षा तथा अन्य सामरिक महत्व की बातों पर विचार किया जाता है ?

श्री अलगेशन : जी हां । किन्तु इसके सामरिक महत्व के बारे में तो मैं नहीं जानता । लेकिन दूसरी बात के बारे में निश्चय ही विचार किया जाता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : इस वर्ष कितने मील लम्बे राजपथ पर कार्य किया गया है अथवा करने का विचार है ?

श्री अलगेशन : बात तो सम्पूर्ण राजपथ की है । कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य हो रहा है, पंच वर्षीय योजना काल की समाप्ति से पूर्व इसमें से बहुत से राजपथों पर कार्य हो चुकेगा :

अखिल भारतीय महिला अन्न परिषद

***२११. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय महिला अन्न परिषद् ने अपने तृतीय वार्षिक सम्मेलन में यह मांग की थी कि इस संस्था को स्वायत्त संस्था स्वीकार किया जाये ;

(ख) सरकार इस संस्था को प्रति वर्ष कुल कितना अनुदान देती है ; तथा

(ग) अब इसने कितने अनुदान की मांग की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां ।

(ख) विगत वर्षों में परिषद् को दी गई कुल अनुदान-सहायता निम्न है :—

१९५०–५१ (मार्च १९५१ में समाप्त हुये ६ मास)	७०,००० रु०
१९५१-५२	१,५०,००० रु०
१९५२ ५३	१,५०,००० रु०
१९५३-५४	१,५०,००० रु०

(ग) १,५०,००० रु०

श्री के० पी० सिन्हा : परिषद् को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, उन्हें लाभ हो रहा है । गत वर्ष उन्हें ८०,००० रु० का लाभ हुआ था ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या परिषद् का महत्वपूर्ण यात्रि-गाड़ियों में भोजनकार चलाने का विचार है, मुख्यकर जनता गाड़ियों में ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : परिषद की कार्यवाहियां अधिकतर नगरों तक सीमित हैं, क्योंकि नगरवासियों को ही खाद्यान्न-अतिरिक्त भोजन प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करता है । अत: परिषद् की कार्यवाहियां नगरों में ही केन्द्रित हैं ।

श्रीमती सुषमा सेन : बिहार को क्या अनुदान दिया गया है तथा महिला अन्न परिषद् वहां कार्य क्यों नहीं कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं यह प्रश्न संस्था को भेजूंगा क्योंकि यह एक स्वायत्त संस्था है । जहां वे यह देखती है कि कुछ विक्रय हो सकता है, वे बेचने का प्रयत्न करती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्योंकि उन्हें लाभ हो रहा है, क्या उन्होंने मूल ऋण, जो उन्हों ने प्रति वर्ष लिया है, वापस कर दिया है ?

श्री किदवई : यह ऋण नहीं है । यह खुली हुई शाखाओं के लिये अनुदान है तथा प्रति वर्ष जो अनुदान दिया जा रहा है, उससे नई शाखायें खोली जायेंगी। अभी तक उन्हें लाभ हो रहा है तथा वे धन को संस्था के कामों में ही लगा रहे हैं।

कलकत्ता पतन

*२१२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) कलकत्ता-पत्तन की विकास योजना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितना धन स्वीकार किया गया है ;

(ग) क्या अकरा के पास संक्रेल रीच पर १२,००० फीट लम्बे स्पर का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है; तथा

(घ) ऐसे कितने स्परों के बनने की आशा है तथा उनसे हुगली नदी में कठिन नौवहन में कितनी सहायता मिलेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। कलकत्ता पत्तन विकास योजना की अनुमानित लागत १०·६१ करोड़ रुपया है । अब तक ६·४६ करोड़ रुपयों तक के प्राक्कलन स्वीकृत हो चुके हैं । चालू वर्ष में १·०७ करोड़ रुपया तथा १९५४–५५ में ४·५८ करोड़ रुपया व्यय होने की सम्भावना है ।

(ग) हां। स्पर १,२०० फीट लम्बा होगा।

(घ) नदी प्रशिक्षण केन्द्र ने हुगली की दो रीचों, अर्थात् अकरा तथा फुलता पाइन्ट के सुधार के लिये योजना बनाई है । इनका उद्देश्य कलकत्ता-पत्तन को आने वाले तथा वहां से जाने वाले जहाज़ों के लिये उपलब्ध पानी की गहराई में वृद्धि करना है।

श्री एस० सी० सामन्त : इस प्रथम स्पर निर्माण के अतिरिक्त आगामी वर्ष और क्या कार्य आरंभ होगा ?

श्री अलगेशन : बहुत से कार्य हैं । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या २०० टन वाली विद्युत कन्टीलीवर क्रेन, जो इस योजना में सम्मिलित है, इस वर्ष लगा दी जायेगी ?

श्री अलगेशन : मैं एक दम नहीं बता सकता हूं। मेरे पास उन कार्यों की सूची है जिनके अनुमान स्वीकृत हो चुके हैं । मैं एक दम यह नहीं बता सकता हूं कि यह सम्मिलित है या नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पत्तनन्यास के ४७ वर्ष पुराने इन्जिन (लोकोमोटिव) इस वर्ष बदल दिये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य एक एक बात पूछते हैं तो मैं उनकी पूर्वसूचना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो साधारण प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री अलगेशन : एक लगभग समाप्त हो चुका है । यह जून १९५४ तक पूर्ण हो जायेगा । इसके पूर्ण होने पर दूसरा आरम्भ किया जायेगा ।

रेलवे आउट एजेंसियां

*२१३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उत्तर रेलवे आउट एजेंसियां कितनी हैं ;

(ख) १ जनवरी १९५४ को इन आउट ऐजेंसियों के पास कितनी बसें थीं ; तथा

(ग) क्या आउट-ऐजेंसियों की स्वीकृति देने में किसी एक रूप नीति का पालन किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उत्तर रेलवे पर ३४ आउट एजेंसियां हैं।

(ख) इन एजेंसियों के पास कुल २१३ मोटरें, जिन में बसें सम्मिलित हैं,

(ग) हां, श्रीमान्।

श्री डी० सी० शर्मा : वह एक रूप नीति क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं। अधिकारियों की एक समिति बैठती है तथा यह सब से अधिक योग्य व्यक्तियों को चुनती है। अन्य बातों के समान रहने पर विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। यह सरकारी नीति है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या राज्य के पिछड़े हुये क्षेत्रों तथा लगभग विकसित क्षेत्रों के बीच कोई भेद भाव रखा जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं, श्रीमान्।

श्री डी० सी० शर्मा : इन आउट एजेंसियों में से कितनी पंजाब में हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास राज्यानुसार आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने उत्तर रेलवे पर आउट एजेंसियों की संख्या पूछी थी। उत्तर रेल पर ३४ आउट एजेंसियां हैं। मेरे पास राज्यानुसार आंकड़े नहीं हैं।

नागपुर विमान दुर्घटना

*२१४. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विमान चालकों के अधिक कड़े परीक्षण तथा मशीनों में सुधार करने के बारे में नागपुर विमान दुर्घटना की जांच पड़ताल के लिये नियुक्त जांच न्यायालय द्वारा की गई सिफ़ारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं सदन पटल पर एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**।

श्री गिडवानी : नाजुक हालतों आदि में २० डकौताओं की जांच करने की दृष्टि से क्या उनका उड़ान-परीक्षण हुआ था ? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

श्री राज बहादुर : वे हो रहे हैं। परीक्षणों के पूर्ण होने में लगभग तीन मास लगेंगे।

श्री गिडवानी : क्या डी० जी० सी० ए० द्वारा नियुक्त की गई उस समिति का प्रतिवेदन जिसमें उसके शिल्पिक अधिकारी थे और जिसका उद्देश्य खतरों की झूटी सूचनाओं आदि की जांच पड़ताल करना तथा व्यवस्था को अभ्रान्त बनाने के उपायों की सिफ़ारिश करना था डी० जी० सी० ए० के विचार करने के पश्चात् सदन पटल पर रखा जायेगा ?

श्री राज बहादुर : इस पर विचार किया जायेगा ?

श्री जी० एस० सिंह : इन विमान चालकों तथा प्रबन्धों की जांच करने के लिये डी० जी० सी० ए० को कितने विमान चालकों की आवश्यकता है ? इस वर्ष जांच में कितने असफल हुये ?

श्री राज बहादुर : वास्तविक जांच में लगे हुये विमान चालकों की संख्या के बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। परन्तु उनकी आवश्यक संख्या मौजूद है और उनमें से अधिकांश इन्डियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन से लिये गये हैं।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि होने वाली परीक्षाओं का एक मात्र

उद्देश्य डकोटा की भार ले जाने की क्षमता का पता लगाना है अथवा इसमें कुछ और बातें भी सम्मिलित हैं ?

श्री राज बहादुर : इसमें अन्य बातें भी हैं । उदाहरणार्थ, उनमें असाधारण मौसम की हालत और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उड़ान की परीक्षा भी सम्मिलित है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि आजकल विमान चालकों को लाइसेन्स उनके डाक्टरी दृष्टि से ठीक होने पर दिये जाते हैं तथा इसका संबंध किसी भी रूप में, उनके विमान चालन कौशल से नहीं है ?

श्री राज बहादुर : अनुज्ञप्ति देने के कुछ नियम हैं, परन्तु हाल में ही हमने उनमें यह संशोधन किया है कि नवीकरण के लिये यह लाइसेन्स स्वयं डी० जी० सी० ए० को दिये जायेंगे ।

श्री जय पाल सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

सोनकच्छ में तारघर

*२१५. **श्री राधेलाल ब्यास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य भारत के देवास ज़िले में सोनकच्छ तहसील में तारघर खोलने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां कब तक तारघर खुल जाने की आशा है ;

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सोनकच्छ में तारघर खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है । आशा है कि लगभग छः मास के अन्दर यह कार्य करने लगेगा ?

श्री राधेलाल ब्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि सन १९५३ में मध्य भारत में कितने डाकघर खोले गये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

बे टिकट यात्रा

*२१८. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में कितने लोगों ने बे टिकट सफर किया ;

(ख) उनसे अतिरिक्त भाड़े तथा जुर्माने के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ग) कितने लोगों का चालान किया गया तथा कितने लोगों को सजा दी गयी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) (क) सन् १९५३ में ७१,१९,७९७ लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये ।

(ख) अतिरिक्त किराया १,४२,६८,११९ रु० ; जुर्माना ४,६८,९०० रु०

(ग) चालान किए गए लोग २,५१,८४७, सज़ा दिए गए लोग १,५५,२१६

श्री हेमराज : सरकार रेलों में इस अपराध को रोकने के लिए क्या पग उठा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमने टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है तथा रेलवे मजिस्ट्रेट प्रणाली जारी की है जिसके अंतर्गत कि पुलिस दल के साथ टिकट चैकर तथा रेलवे मजिस्ट्रेट

अचानक चैकिंग करते हैं तथा बे टिकट चलने वाले यात्रियों का पता लगाते हैं।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार को विदित है कि रेलों के साथ चलने वाले ये टिकट चैकर खुद भी मुसाफ़िरों को अपने साथ कंसेशन रेट पर ले जाते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस प्रकार के कुछ निराधार आरोप हैं। किन्तु यदि माननीय सदस्य सरकार के सम्मुख कोई विशिष्ट मामला लाएँ तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

मास्टर समिति

*२१९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने असैनिक विमान-चालकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी मास्टर समिति की सिफारिशों पर अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें सरकार को कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सरकार द्वारा मास्टर समिति की सिफारिशों पर विचार अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुका है तथा आगामी पखवाड़े के दौरान में अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा।

श्री जी० एस० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में विमान-चालकों के प्रशिक्षण-मापदण्ड अंतर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के मापदण्डों के स्तर के अनुसार ही हैं ?

श्री राज बहादुर : न्यूनाधिक वे उसी पर आधारित हैं।

श्री जी० एस० सिंह : न्यूनाधिक ?

श्री राज बहादुर : इसका अर्थ है कि वे सब बातों में उसके सदृश नहीं हैं।

टीटी

*२२०. **श्री धूसिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में उत्तर रेलवे में कितने व्यक्ति रेलों में चलने वाले टीटी भर्ती किए गये ; और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने की कीमत

*२२२. **श्री बाल्मीकि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गन्ने की कीमत की जो दर निश्चित की गयी है उसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गन्ना-उत्पादकों में असंतोष फैल गया है ; और

(ख) सरकार इस स्थिति को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाल्मीकि : उत्तर प्रदेश में सरकार कहां तक संतुष्ट है कि गन्ने की मौजूदा कीमत उचित है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : गन्ने की मौजूदा कीमत जहां-जहां गन्ना पैदा होता है वहां-वहां की गवर्नमेंटों की

राय से रक्खी गयी है और हालत यह है कि अब जो चीज़ों की कीमत गिर रही है तो शुगरकेन की प्राइस भी शायद घटाना पड़ेगी ।

श्री बाल्मीकि : अभी तक किन-किन मिलों को गन्ना मिल रहा है ?

श्री किदवई : जहां-जहां गन्ना है वहां वहां मिलों को खूब मिल रहा है, अलबत्ता जहां बारिश होने से खराब हो गया था वहां पर गालिबन शक्कर के मिल बन्द हो जायेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि गन्ने के मूल्य में कमी करने के साथ-साथ सरकार का विचार चीनी के मूल्य में भी कमी करने का है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि चीनी के मूल्य में कमी करने के लिए हम से जो कुछ किया जा सकता है कर रहे हैं ।

कृष्णा नदी पुल

*२२३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र में कृष्णा नदी पर सड़क-और नियंत्रक पुल बनाने में देर करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कृष्णा नदी पर नियंत्रक-और-सड़क पुल बनाने की परियोजना मुख्यत: राज्य सरकार की है तथा केन्द्र का सम्बन्ध केवल पुल वाले भाग से है जो कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है । ऐसा समझा जाता है कि इस कार्य के लिये राज्य सरकार ने पहले ही टेण्डर मांग लिये हैं ।

श्री नानादास : पुल के काम के लिये केन्द्रीय सरकार कितनी राशि खर्च करेगी ?

श्री अलगशन : ४० लाख रुपये का अनुमान है ।

श्री नानादास : यह काम कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार में यह प्रश्न आन्ध्र सरकार से पूछा जाना चाहिये ।

रेल के डब्बे

*२२४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन के कितने नये डब्बे चलाये गये ; तथा

(ख) इनमें से कितने देश में बने हुए थे, कितने विदेशों से खरीदे गये थे, तथा कितने विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे और किस देश या किन देशों से ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६३४१ बड़ी लाइन के और ९४३ छोटी लाइन के ।

(ख) ६५६४ देश में बने हुए थे तथा ७२० विदेशों से खरीदे गये थे । विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी डब्बा प्राप्त नहीं हुआ था ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : योजना की शेष अवधि में प्रति वर्ष कितने डब्बों को बदलने की आवश्यकता होगी ?

श्री अलगेशन : यह सब बातें बजट कागजात में दी हुई हैं जिन्हें परिचालित किया जा चुका है । उनमें सारी अवधि का ब्यौरा दिया हुआ है तथा बहुत से आंकड़े भी हैं । मेरे विचार में माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि मैं इन विस्तृत बातों में जाऊँ ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : डब्बों के बनाने के सम्बन्ध में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : जहां तक डब्बों के बारें में हमारी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, वे सब देश में बनाने वाले डब्बों से पूरी हो जाती हैं । डब्बे बनाने का सामर्थ्य लगभग १०,००० तक का हो गया है ।

जापानी तरीके से चावल की खेती

*२२६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में जापानी तरीके की खेती से सरकारी फार्मों में (राज्यवार) प्रति मन चावल पैदा करने पर क्या लागत आई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इस धान को किसानों को बीज के लिये दे सकती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : धान दे तो ज़रूर सकती हैं लेकिन उसकी ग्रोथ जापानी मैथड से होगी । अगर वैसे ही बोया जायेगा तो धान ज्यादा नहीं होगा ।

श्री विभुति मिश्र: अगर दे सकते हैं तो किस दर से ?

श्री किदवई : बड़ा सस्ता बिकता है ।

श्री विभूति मिश्र : दर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

आंध्र में नल-कूप

*२२८. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य के लिये नियत अनुसन्धानात्मक नल-कूपों को लगाने के लिये क्या आन्ध्र सरकार ने स्थान चुन लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ; तथा

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ग) ३५० नल-कूपों को लगाने के अखिल-भारतीय अनुसन्धान प्रोग्राम के अन्तर्गत आन्ध्र में लगभग २५ अनुसन्धानात्मक नल-कूप लगाने का विचार है । इन नल-कूपों के लिये अन्तिम रूप से स्थानों का चुनाव एक स्थान चुनाव कमेटी करेगी जिसमें टेकनिकल सहायता मंडल, भारतीय भूतत्वीय परिमाप तथा खाद्य कृथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह कमेटी इस सम्बन्ध में आन्ध्र के मुख्य इंजीनियर से भी परामर्श करेगी । कमेटी समय आने पर आन्ध्र का दौरा करेगी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नानादास: इन नल-कूपों के लिये कमेटी द्वारा स्थानों के कब तक चने जाने की सम्भावना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बहुत शीघ्र ही वे लोग आन्ध्र जायेंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन नल-कूपों का नियतन किस प्रकार किया जाता है ? क्या इनको क्षेत्र की आवश्यकताओं या

आबादी के आधार पर नियत किया जाताहै?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इनका नियतन पानी की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। कमेटी वहां जायेगी, वह आन्ध्र का जल सम्बन्धी तथा भूतत्वीय परिमाप करायेगी और उसके आधार पर, आन्ध्र के मुख्य इंजीनियर से परामर्श करन के पश्चात्, स्थानों को निश्चित करेगी।

श्री सी० आर चौधरी : क्या कमेटी बना ली गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : म कमेटी के सदस्यों के नाम पहले ही बतला चुका हूं--टेकनिकल सहायता मंडल का एक प्रतिनिधि, भारतीय भूतत्वीय परिमाप का एक प्रतिनिधि और एक हमारे मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

श्रीमती रेणचक्रवर्ती : यह नल-कूप अनुसन्धान कमेटी केवल आन्ध्र के लिये है या कोई केन्द्रीय कमेटी है जो अन्य राज्यों की आवश्यकताओं आदि पर विचार करती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे विचार में माननीय सदस्य को मालूम है कि "अनुसन्धानात्मक नल-कूप परियोजना" नामक एक योजना है जिसके अनुसार हम ने समस्त भारत में ३५० नल-कूप लगाने का निश्चय किया है और इन में से २५ का आन्ध्र के लिये नियतन कर दिया गया है। यह कमेटी सारे भारत का दौरा करेगी और बहुत शीघ्र आन्ध्र जाने वाली है।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या यह सत्य है कि आन्ध्र राज्य ने इस योजना को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी नहीं। वास्तव में, वह तो इन लोगों को बुलाने तथा २५ नल-कूप लगवाने के लिये बहुत उत्सुक हैं।

कुम्भ मेला

*२२९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **रेलवे मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) इलाहाबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर रेलवे स्टेशनों पर या कम्पार्टमेन्टों में बिना टिकट सफ़र करने वाले कितने व्यक्ति पकड़े गये ; तथा

(ख) मेला यात्रियों के लिये विशेष रेलवे लाइनों, स्टेशनों, और प्रतीक्षालयों (वेटिंग हॉल) आदि के बनाने पर कुल कितना खर्च हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अब तक जो सूचना मिली है, उसके अनुसार फ़रवरी १९५४ के पहले सप्ताह तक बिना टिकट सफ़र करने वाले लगभग ३६,००० लोग पकड़े गये थे।

(ख) चूंकि हमारे पास अभी पूरे आंकड़े नहीं भेजे गये हैं, इसलिये वास्तविक व्यय नहीं बताया जा सकता, परन्तु कुम्भ मेले के संबंध में होने वाले निर्माण-कार्यों के निमित्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में लगभग ४५ लाख रुपये के खर्चे की व्यवस्था की गई है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : बिना टिकट सफ़र करने वाले कितने लोगों को सज़ा दी गई और यदि जुर्माना किया गया था, तो उससे कितना रुपया मिला ?

श्री शाहनवाज़ खां: हमारे पास अभी विस्तृत सूचना नहीं है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : प्रश्न के भाग (ख) में स्थायी रूप से बनाये जाने वाले जिन स्टेशनों आदि का ज़िक्र है वे क्या हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुम्भ मेला १५ मार्च तक चलेगा। मेले के खत्म हो जाने के बाद ही हमें पूरी सूचना मिलेगी

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : प्रश्न उन स्थायी लाइनों, स्टेशनों, और प्रतीक्षालयों आदि के बारे में है जो वहां बनाये जा चुके हैं। कुम्भ मेले के खत्म होने से इसका कोई सबंध नहीं।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : स्थायी रूप से जो निर्माण-कार्य किये गये हैं वे यह हैं : कुछ प्लेटफ़ार्मों को ऊंचा किया गया है और ठीक बनाया गया है ; कई प्लेटफ़ार्मों पर शैड बनाये गये हैं, "सर्कुलेटिंग एरिया" बनाये गये हैं और कुछ और ऐसा निर्माण-कार्य किया गया जो आने वाले कुम्भ मेलों में काम आयेगा।

"अपने खरीदारों को जानो" सप्ताह

***२३०. श्री रघुनाथ सिंह** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अपने खरीदारों को जानो" सप्ताह में कितने नागरिकों ने नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के "जनरल पोस्ट आफ़िस" में जा कर डाक व तार विभाग के कार्यों को देखा ; तथा

(ख) कितने दर्शकों ने लिखित में सुझाव दिये या शिकायतें कीं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

नई दिल्ली पोस्ट आफ़िस	कोई हिसाब नहीं रखा गया
कलकत्ता जी० पी० ओ०	५००
मद्रास जी० पी० ओ०	२६६
बम्बई जी० पी० ओ०	३९४

(ख)

नई दिल्ली पोस्ट आफ़िस	कोई नहीं
कलकत्ता जी० पी० ओ०	४ (मौखिक)
मद्रास जी० पी० ओ०	कोई नहीं
बम्बई जी० पी० ओ०	५ (मौखिक) ४ लिखित)

श्री रघुनाथ सिंह : इस सप्ताह के मनाने का असर क्या हुआ ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : असर तो आपको ज्यादा मालूम होगा।

श्री राज बहादुर : यहां जो आंकड़े दिये गये हैं वे कुछ खास डाकखानों में, जिनका विवरण में उल्लेख किया गया है, जाने वाले दर्शकों के बारे में हैं। ये उन सब लोगों के बारे में नहीं है जो टेलीफ़ोन एक्सचेंजों या टेलीग्राफ कार्यालयों में गये थे। इसका बहुत अच्छा असर हुआ है क्योंकि इससे आम जनता, जिसकी यह विभाग सेवा करता है, और विभागीय अधिकारियों को एक दूसरे की कठिनाइयां समझने का मौक़ा मिला है।

श्री रघुनाथ सिंह: आपने इसका इतना तो प्रचार किया फिर भी, मैं जानना चाहता हूं कि इतने थोड़े लोग क्यों आये ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इस विषय में तर्क में जाने की आवश्यकता नहीं।

श्री राज बाहदुर : बहुत काफ़ी लोग गये थे। और आपने तो सिर्फ़ दो, तीन डाकखानों के फ़िगर्स मांगे थे, वह दिये गये।

मलेरिया

***२३१. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम, मनीपुर व त्रिपुरा के मलेरिया-ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया दूर करने के लिये भारत-सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ; तथा

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन राज्यों को मलेरिया नियंत्रण

यूनिट नियत कर दिये गये हैं। आसाम को पांच प्रामाणिक यूनिट और मनीपुर तथा त्रिपुरा राज्यों को एक एक छोटा यूनिट नियत कर दिया गया है।

(ख) आसाम में, इन यूनिटों का निर्माण हो रहा है, और मनीपुर में यूनिट ने अभी काम शुरू किया है। त्रिपुरा में यूनिट ने जुलाई, १९५३ में काम शुरू कर दिया था और उसने १·३७ लाख की आबादी वाले क्षेत्र में मलेरिया की रोक थाम की है।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : इन क्षेत्रों में मलेरिया को किस वर्ष तक पूर्ण रूप से दूर कर दिये जाने की आशा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: ये मलेरिया यूनिट राज्यों में १९५६ तक काम करेंगे। इसके बाद राज सरकारें इस काम को संभालेंगी।

श्री एल जोगेश्वर सिंह : मेरा प्रश्न है कि इन क्षेत्रों में मलेरिया को किस वर्ष तक पूर्ण रूप से दूर कर दिये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) इस मलेरिया-निरोधक कार्य-क्रम का अभिप्राय मलेरिया को पूरी तरह दूर कर कर देना नहीं हो सकता। प्रयत्न यह है कि इसे इतना कम कर दिया जाये कि इसे काबू में रखा जा सके। प्रथम पंच वर्षीय योजना में हम १२५० लाख की आबादी के लिये रोक थाम करना चाहते हैं।

श्री नानादास : इन तीनों राज्यों में इस संबंध में कुल कितना व्यय हुआ है ?

राजकुमारी अमृत कौर: मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन यूनिटों से कुल कितने लोगों के लिये मलेरिया की रोक-थाम का प्रबन्ध हो सकता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इन राज्यों में ?

श्री मुनिस्वामी : जी हां।

राजकुमारी अमृत कौर : आसाम में उदाहरण के लिये सारी जनसंख्या को सुरक्षित करने के लिये हमें नौ प्रामाणिक यूनिटों की ज़रूरत होगी। इस समय मेरे पास आसाम के आंकड़े नहीं हैं परन्तु वहां पांच यूनिट हैं जो ९० लाख की जनसंख्या के लिये काम कर रहे हैं। मनीपुर में छः लाख और त्रिपुरा में भी छः लाख लोगों के लिये मलेरिया का ख़तरा बना रहता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे मज़दूर

*१९६. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(क) दक्षिण रेलवे के स्टेशनों के प्लैटफार्मों पर आज कल मज़दूरों को सामान उठाने के लिये प्रति भार कितनी मजूरी लेने की अनुज्ञा है ;

(ख) क्या रेलवे पदाधिकारियों ने हाल ही में मजूरी घटाने के कोई आदेश जारी किये हैं; और

(ग) ये आदेश किस आधार पर जारा किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) मद्रास सेंट्रल, मद्रास एग्मोर, तृचनापली बेज़वाडा, मैसूर, बंगलौर नगर, मदूरा, कोयम्बटोर, ऊटाकमंड तथा कूनुर में मजूरी का दर ४ आने है और अन्य सब स्टेशनों पर दो आने ;

(ख) तथा (ग). हाल ही में कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये। परन्तु दक्षिण रेलवे बनाये जाने के पश्चात् १-१-५२ से दरों को एक स्तर पर लाने के लिए उन को बदला गया था। दरों में यह परिवर्तन उस समय की स्थानीय मंत्रणादात्री समिति के परामर्श से किया गया था।

दिल्ली में मेडीकल कालेज

*२०५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के १० जून १९५२ को दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) दिल्ली में मेडीकल कालेज के कब आरम्भ होने की आशा है और वह किस स्थान पर बनेगा ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष देखरेख में रहेगा ; तथा

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह कब आरम्भ होगा परन्तु इस की प्रथम वर्ष की श्रेणी में दाखले अगस्त १९५६ में आरम्भ होने की आशा है। यह नई दिल्ली के सफदरजंग के इलाके में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के एक भाग के रूप में बनाया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) मेडीकल कालेज और इस संस्था के एक और भाग स्नातकोत्तर केन्द्र पर लगभग ८८·५९ लाख रुपये का अनावर्तक व्यय होगा और ४७.०० लाख रुपये का आवर्तक व्यय १९५३–५४ से छः वर्ष की कालावधि में होता रहेगा।

नल-कूप

*२१६. **श्री विश्वा नाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न राज्यों में नल-कूप खोदने की योजना पंच वर्षीय योजना के अनुसार सफलता से चल रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां।

डाक प्रदर्शनी

*२२१. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी अक्तूबर में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी पर कुल कितना अनुमानित व्यय होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : भारतीय डाक टिकट शतवार्षिक उत्सव के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय टिकट-संग्रहण तथा डाक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए १० लाख रुपये तक के व्यय का उपबंध किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार

*२२५. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन क्या मूल्य निश्चित किये गये हैं ;

(ख) किस ढंग से खरीद की जानी है।

(ग) खरीद किये गये गेहूं के निरीक्षण की क्या प्रणाली है ;

(घ) क्या निर्यात करने वाले देशों में खरीद करने अथवा संभरण करने वाले कोई मिशन हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अन्तिम अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन फोर्ट विलियम पोर्ट आर्थर के भंडार में नं० १ उत्तरी मनीटोबा के गेहूं के मूल न्यूनतम तथा अधिकतम थोक भाव क्रमानुसार १·५५ डालर और २.०५ डालर प्रति बुशेल निर्धारित किये गये हैं।

(ख) अमरीका में बातचीत द्वारा अथवा टेंडर मांग कर गेहूं खरीदा जाता है और कनेडा तथा आस्ट्रेलिया में जहां बिक्री के लिए गेहूं बोर्ड का एकाधिकार है उन बोर्डों के साथ प्रत्यक्ष संविदा द्वारा खरीद की जाती है।

(ग) जब गेहूं जहाज़ों में डाला जाता है तो अमरीका के कृषि विभाग के अनुज्ञप्ति प्राप्त निरीक्षक इसका निरीक्षण करते हैं और प्रमाण-पत्र देते हैं। कनेडा और आस्ट्रेलिया में वहां के गेहूं बोर्ड स्वयं निरीक्षण करते हैं और प्रमाण-पत्र देते हैं।

(घ) अमरीका में खरीद करने के लिए एक मिशन है जो अमरीका और कनेडा दोनों देशों से गेहूं खरीदता है। लंदन में हमारा उच्च आयोग आस्ट्रेलिया की गेहूं समिति, लंदन, द्वारा आस्ट्रेलिया का गेहूं खरीदता है।

गुड़ तथा चीनी के भाव

*२३२. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गुड़ तथा दानेदार चीनी के चालू भाव क्या हैं;

(ख) क्या विदेशी चीनी का आयात करने के फलस्वरूप दानेदार चीनी का भाव गिर गया; तथा

(ग) यदि गिर गया तो कितने से ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) विभिन्न मंडियों में दानेदार चीनी तथा गुड़ के वर्तमान थोक भावों के सम्बंधी विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]**।

(ख) तथा (ग): जी हां। तटवर्ती नगरों में, जहां आयातित चीनी का अधिकांश उपभोग होता है, चीनी के भाव में प्रति मन एक रुपये से लेकर तीन रुपये तक की कमी हुई।

अगरतला में टाईफाइड

*२३३. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगो कि अगरतला (त्रिपुरा) में दिसम्बर, १९५३ में कितने लोग टाईफाइड से रोगग्रस्त हुए ?

(ख) कितने लोग इस रोग के कारण मर गये ?

(ग) क्या यह सच है कि ट्यूब वेलों का पानी दूषित हो जाना यह बीमारी फैलने का एक कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) छः।

(ख) कोई नहीं।

(ग) यह सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में नदियों पर रेल के पुल

*२३४. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में नदियों पर रेल पुलों की कुल संख्या कितनी है तथा दूसरे प्रकार के यातायात सम्बन्धी पुल कितने हैं ?

(ख) उन रेल पुलों की संख्या कितनी हैं जिनसे पिछले विश्वयुद्ध में बनाये गये "डैक" हटा दिये गये हैं; तथा

(ग) इस का कारण ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खा): (क) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में नदियों पर कुल कितने रेल पुल हैं। हां, वहां २२ रेल पुल ऐसे हैं जिन पर अन्य यातायात भी होता है।

(ख) तीन।

(ग) इन तीन पुलों से "डैकिंग" उस समय हटाई गई जब कि उनके "गर्डर्स" बदले गये। यह "डैकिंग" राज्य सरकार तथा सम्बन्धित रक्षा प्राधिकारियों—जिनके उपयोग के लिये यह बनाये गये थे—की अनुमति से हटाये गये।

मैसूर रेलवे में अनूसूचित जातियों के कर्मचारी

*२३५. **श्री तिम्मय्या**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे में अनुसूचित जातियों के कितने ग्रेजुएट पदाधिकारी हैं?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): सात।

दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

*२३६. **श्री बीर स्वामी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५२–५३ में दक्षिण रेलवे में वर्ग १ तथा वर्ग २ के पदों पर कितनी कुल नियुक्तियां की गईं;

(ख) क्या कोई अनुसूचित जातियों के लोग भी चुने गये; तथा

(ग) यदि हां, तो कितने और किन पदों के लिये?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) वर्ग १ तथा वर्ग २ के पदों पर क्रमशः ३ तथा १० स्थायी नियुक्तियां की गईं। वर्ग २ के पदों पर ३९ स्थानापन्न नियुक्तियां की गईं।

(ख) तथा (ग). द्वितीय वर्ग के सह-यातायात अवीक्षक नामक पद पर अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया। प्रथम वर्ग के पदों पर कोई अनुसूचित जाति का उमेदवार नियुक्त नहीं हुआ।

प्रदर्शनी गाडियां

*२३७. **सरदार हुक्म सिंह**: (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी गाड़ी सभी राज्यों में जायेंगी?

(ख) ऐसी गाड़ियां अब तक किन किन राज्यों में जा चुकी हैं?

(ग) यह भ्रमण-कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शहानवाज़ खां): (क) जी हां, सभी राज्यों में जहां रेल सेवा मौजूद है।

(ख) आसाम, भोपाल, बिहार, बम्बई, पूर्वी पंजाब, हैदराबाद, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, पैप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल।

(ग) इस भ्रमण के कार्यक्रम के जून, १९५४ तक चलने की आशा की जाती है।

प्रविधिक सहकारी योजना

*२३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कोलम्बो योजना की प्रविधिक सहकारी योजना के अन्तर्गत असैनिक उड्डयन प्रधान कार्यालय के तीन अधिकारी ब्रिटेन में किन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) प्रशिक्षण का परिव्यय कितना है ; तथा

(ग) क्या इस परिव्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है ?

संचारउप मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) तथा (ग) । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४५]** ।

चीनी का आयात

***२३९. सेठ गोन्विद दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में चीनी की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया ; तथा

(ख) सरकार को यदि इसमें कोई लाभ हुआ तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १·३९ लाख टन का ।

(ख) १९५३ में प्राप्त मात्राओं के लेखे अभी पूर्णतया तैयार नहीं ह ।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार उपसमिति

***२४०. {सरदार ए० एस० सहगल: डा० राम सुभग सिंह :**

(क) क्या **संचार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार उपसमिति की लाहौर में २ दिसम्बर से १४ दिसम्बर, १९५३ तक जो बैठक हुई थी, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था ?

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति तथा विश्व ऋतुविज्ञान संस्था ने अपने कोई प्रतिनिधि भेजे थे ?

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायगी तथा योजना में संचरण की किन किन प्रणालियों का विचार किया गया है ?

संचार उप मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चौदह ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपसमिति द्वारा तैयार की गई योजनाओं के प्रारूप की समिति १९५४ में जांच तथा अनुमोदन करेगी तथा बाद में प्रशासन से उन पर विचार करने की सिफारिश की जायगी । योजना को पूरा करने के सम्बन्ध में सामान्यत: किसी लक्ष्य तिथि को निश्चित नहीं किया जाता है क्योंकि कार्यान्विति विभिन्न राष्ट्रीय तथ्यों पर निर्भर करती है ।

तार संचरण की प्रस्तावित मुख्य प्रणालियों की एक सूची तथा एक मानचित्र, जिसमें उन्हें दिखाया गया है, सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[अनुबन्ध संख्या ४६ पुस्तकालय में रखा गया । देखिये पुस्तकालय सूचक संख्या एस- ४७/५४]**

आयात किये गये अनाज का उतारना

***२४१. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई तथा अन्य पत्तनों पर जहाजों द्वारा आयात किये गये अनाज को उतारने के लिए किसी यान्त्रिक संयंत्र के लगाने की कोई योजना बनाई गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उक्त योजना में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). जी हां, प्रारम्भ में बम्बई में अनाज के उतारने के लिए यान्त्रिक संयंत्र लगाने की योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

मंत्रणा बोर्ड

*२४२. **श्री वी० मुनिस्वामी:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मंत्रणा बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में दिसम्बर १९५३ के द्वितीय सप्ताह में हुई थी ?

(ख) इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

(ग) इस बैठक में बोर्ड द्वारा कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया गया था ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि भारत की कुछ मुख्य फसलों के संबंध में अभी तक पर्याप्त योजना-बद्ध कार्य नहीं किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) सन् १९५४–५५ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्त-पोषित की जाने वाली कृषि तथा उससे सम्बद्ध विषयों से संबंधित अनुसंधान योजनाएं ।

(ग) १९४ योजनाएं स्वीकृत हुई थीं ।

(घ) उपलब्ध साधनों के अन्दर परिषद् ने सभी महत्वपूर्ण फसलों पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया है, परन्तु अनुसंधान के मामलों में अग्रेतर कार्य के लिये क्षेत्र सदैव ही रहता है ।

दिल्ली में नया हवाई अड्डा

*२४३. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एक नये हवाई अड्डे के बनाने के लिये स्थान चुनने के बारे में कोई अन्तिम निश्चय कर लिया है ; तथा

(ख) नये हवाई अड्डे के बनाने में लगभग कितना खर्च होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं, यह बात अभी तक तय नहीं हुई है कि दिल्ली में एक नया हवाई अड्डा बनाया जाये ।

(ख) यदि दिल्ली के लिये एक नया असैनिक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना पड़ा, तो उसमें लगभग चार करोड़ रूपये व्यय होंगे ।

वन नीति

*२४४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्पष्ट शब्दों में भारत की वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि अधिकांश राज्य सरकारें या तो उस नीति के अनुसार कार्य नहीं कर सकी हैं या उन्होंने उसके विरुद्ध कार्य किया है; तथा

(घ) इस बात को देखने के लिये कि सभी राज्य सरकारें पूर्ण रूप से राष्ट्रीय वन नीति का पालन करती हैं, क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) "राष्ट्रीय वन नीति" संबंधी दिनांक १२ मई, १९५२ के सरकारी संकल्प संख्या

१३-१/५२-एफ, की ओर, जिसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है, ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं ।

(घ) (१) केन्द्रीय वन-विज्ञान बोर्ड की स्थापना, जिसकी पिछली बैठक देहरादून में ३ से ७ जून, १९५३ तक हुई थी ।

(२) इमारती लकड़ी के उपयोग के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड, जिसकी पिछली बैठक देहरादून में ११ से १३ जनवरी, १९५४ तक हुई थी ।

(३) वन-विज्ञान बोर्ड की एक स्थायी समिति की स्थापना, जिसकी बैठक दतिया में १२ और १३ फरवरी, १९५४ को हुई थी ।

(४) भारतीय बन्य पशु बोर्ड और उसकी कार्यकारिणी समिति की स्थापना ।

नौवहन

*२४५. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री एम० ए० मास्टर के इस अनुमान की ओर आकर्षित किया गया है कि पंच वर्षीय योजना में दिये गये नौवहन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ४१ करोड़ रुपये तक की आवश्यकता होगी ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुमान की पुष्टि की है और इस मामले में नौवहन संस्थाओं से परामर्श किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

नौकरी दफ्तर

*२४६. **श्री केशवैयंगार :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी पंजीबद्ध समवायों द्वारा कर्मचारियों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन संबंधित नौकरी दफ्तर कार्यालयों को दिये जा रहे हैं ?

(ख) ग़ैर सरकारी समवायों के रूप में परिवर्तित किये जाने से पूर्व क्या इन सरकारी पंजीबद्ध समवायों के सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति लोक सेवा आयोग अथवा नौकरी दफ्तरों के द्वारा की जाती थी ?

श्रम मंत्री (श्री वी वी० गिरि) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ

*२४७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **परविहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२–५३ में पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) सन् १९५३-५४ के लिये आवंटित राशि ;

(ग) क्या सरकार को पंजाब सरकार से राष्ट्रीय राजपथों के विकास के सम्बंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; तथा

(घ) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २३.८८ लाख रुपये ।

(ख) २८.५७ लाख रुपये ।

(ग) जी, हां।

(घ) १ अप्रैल, १९५३ के पश्चात् राष्ट्रीय राजपथ के विकास के लिये २३ कामों की योजनाओं के जो पहले से ही चालू पंच वर्षीय योजना कार्य क्रम में सम्मिलित कर लिये गये थे, प्रारूप तथा प्राक्कलन प्राप्त हुए थे। इनमें से नौ योजनाएं नये पुलों और पुलियों के निर्माण से, दो नयी सड़कों के निर्माण से और बारह वर्तमान राजपथों और पुलों के सुधार से सम्बन्ध रखती हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में चालू पंच वर्षीय कार्य क्रम में पांच और कामों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि-युवक कार्यक्रम

*२४८. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा :**
डा० सत्यबादी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन अभ्यार्थियों की संख्या, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि युवक कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका के खेतों में जाकर काम करके आजीविका उपार्जन करने के निमित्त यात्रा करने के लिये चुने जाने के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे ;

(ख) राज्यवार अभ्यार्थियों की और उन में से चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या; तथा

(ग) सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्रों से चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) नौ सौ इकतालीस।

(ख) अन्तिम चुनाव मार्च १९५४ के द्वितीय सप्ताह में होगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

गन्ने का भाव

*२५२. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चीनी की प्रतिशत प्राप्ति के अनुपात से गन्ने के न्यूनतम भाव का स्तर निर्धारित करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : गन्ने के भाव को गन्ने से प्राप्त चीनी के भाव के अनुसार नियत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

अगरतला में हैजा

*२५३. **श्री बीरेन दत्त :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि दिसम्बर १९५३ में अगरतला नगर में कितने व्यक्ति हैजा के कारण मरे ?

(ख) दिसम्बर १९५३ में अगरतला में कितने व्यक्तियों के टीका लगाया गया और कितनों के चेचक का टीका लगाया गया ;

(ग) इस वर्ष चेचक से अगरतला में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(घ) इन संक्रामक रोगों से रोगों को बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) दस।

(ख) सन् १९५३ में अगरतला में ११,२८० व्यक्तियों को चेचक का टीका लगाया गया और ७,२०५ व्यक्तियों को टीका लगाया गया था। दिसम्बर १९५३ के पृथक आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) त्रिपुरा में सर्वसाधारण के चेचक का टीका तथा हैजे का टीका लगाना,

आवश्यक शुद्धता के उपाय और उपयुक्त स्वास्थ्य प्रचार कार्य किया जा रहा है। सन् १९५३ में अगरतला के वी० एम० अस्पताल में चेचक के रोगियों के लिये १० बिस्तरों का एक वार्ड जोड़ दिया गया था। सन् १९५४–५५ में वी० एम० अस्पताल, अगरतला में हैजे के रोगियों के लिये एक और १० बिस्तरों का संक्रामक रोग कक्ष जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अस्थि-चूर्ण

*२५४. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मंत्रालय द्वारा अस्थि-चूर्ण खाद बनाने के लिये नये प्रकार का 'डाइजैस्टर' (रासायनिक पाचक) तैयार किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या यह फासफेट युक्त अन्य पदार्थों की अपेक्षा उपयोग और मूल्य की दृष्टि से अधिक लाभदायक है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) अस्थि-पाचक नाम का एक संयंत्र तैयार किया गया है, जिसमें अस्थियों को अस्थि-चूर्ण खाद में सरलता से बदलने के लिये भाप के द्वारा नर्म किया जा सकता है।

(ख) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य फासफेट युक्त पदार्थों की तुलना में अस्थि-चूर्ण खाद के अधिक लाभ का निर्देश कर रहे हैं ; यदि ऐसी बात है, तो इस का स्वीकारात्मक है।

वनस्पति

*२५५. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) वनस्पति निर्माण करने में यदि कोई भक्षणीय और अभक्षणीय तेल काम में लिये जाते हैं तो उनकी औसत मात्रा कितनी है; और

(ख) प्राकृतिक तेल और तैयार किये गये तेल अर्थात् वनस्पति की प्रति मन की कीमत में कितना अन्तर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) वनस्पति के निर्माण में १९४९ से काम में आने वाले भक्षणीय तेल की औसत मात्रा लगभग २ लाख टन है। वनस्पति के निर्माण में अभक्षणीय तेलों का प्रयोग निषिद्ध है।

(ख) प्राकृतिक तेल और वनस्पात के मूल्यों में लगभग २० रु० प्रति मन का अन्तर है, जिसमें ५ रु० २ आ० प्रति मन का उत्पाद-कर सम्मिलित है।

दिल्ली के अस्पताल

*२५६. **श्री केशवैयंगार :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी के केन्द्रीय सरकार के समस्त अस्पतालों में मरीजों के रहने के कुल कितने स्थान हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): १,११९।

ग्राम सेवक

*२५७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) पंजाब राज्य में ग्राम सेवकों अथवा सड़कों को समतल करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये खोले गये केन्द्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन शिक्षार्थियों के चुनाव के लिये कौनसा तरीका अपनाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) (१) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, नीलोखेरी।

(२) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, बटाला।

(ख) शिक्षार्थियों के चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार है :—

प्रारम्भिक चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार, उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या से २० प्रतिशित अधिक का चुनाव करती है। यह एक चुनाव बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य विकास आयुक्त, कृषि निदेशक और जिस प्रशिक्षण केन्द्र में ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है उसके प्रिंसिपल तथा एक या दो गैर सरकारी व्यक्ति रहते हैं। चुनाव के समय हल जोतने की परीक्षा और उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, शारीरिक उपयुक्त व सामान्य ज्ञान आदि की परीक्षा के लिये इण्टरव्यू किया जाता है। प्रशिक्षण-केन्द्र में भरती होने के बाद प्रत्येक शिक्षार्थी की कक्षा और सक्रिय कार्य में जो दैनिक उन्नति होती है उसका ब्यौरा कार्ड पद्धति से रखा जाता है, और एक महीने बाद उनके कार्डों में दर्ज की गई प्रगति के आधार पर अनुपयुक्त शिक्षार्थियों को अलग कर दिया जाता है।

फाइलेरिया

*२५८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) किन किन क्षेत्रों में फ़ाइलेरिया रोग बहुत फैला हुआ है तथा इस रोग से लगभग कितने व्यक्ति ग्रस्त हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह रोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत फैला हुआ है ; तथा

(ग) इस रोग को रोकने के लिये सरकार किन उपायों के करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) और (ख). फ़ाइलेरिया अत्यधिक रूप में सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास, आंध्र, हैदराबाद, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में और उससे कम बम्बई, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और आसाम में फैला हुआ है।

फाइलेरिया सम्बन्धी देशव्यापी सर्वेक्षण के अभाव में इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों की वास्तविक संख्या व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन मोटे रूप से ये आंकड़े दो से ढाई करोड़ हैं।

(ग) यद्यपि सार्वजनिक स्वास्थ्य का सम्बंध मूलतः राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व पर है और बीमारी को रोकने के लिये उन्हें कार्यवाही करनी चाहिये, राष्ट्रव्यापी स्तर पर फाइलेरिया के नियंत्रण की योजना पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई है और जिन राज्यों में इस बीमारी की समस्या विद्यमान है उन्हें योजना में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया गया है ?।

नागपुर में विमान दुर्घटना

२२. **श्रीमती कमलेंदुमति शाह :** क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नागपुर विमान दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को यदि क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ रकम दी गई है तो कितनी है ;

(ख) क्या यात्रियों के लिये किसी अनिवार्य बीमा योजना का पुरःस्थापन किया गया है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां तो उसका विवरण ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) दुर्घटना में मारे गये कर्मचारियों के परिवारों अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों

को नीचे दी गई रकम जिसके लिये उन्होंने बीमा कराया हुआ था देने का प्रबन्ध इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है :

फ्लाइट अफ़सर आर० एल० राजर्स, सहायक-चालक	१२,५०० रु०
श्री टी० आर एन० राजन, रेडियो अफ़सर	१०,००० रु०
श्री एम० ए० सी० मेकल्योड, फ्लाइट अफ़सर	८,००० रु०

दुर्घटना ग्रस्त विमान के एकमात्र जीवित कमाण्डर कैप्टेन डी० ए० जे० कार्टनर को क्षतिपूर्ति देने की रक़म उसके घायल होने तथा काम न कर सकने की अवस्था की अवधि पर निर्भर है। अस्पताल से उनके मुक्त हो जाने पर ही यह रक़म नियत की जायगी दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग). उक्त कारपोरेशन से अनिवार्य यात्रा बीमा के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्य कालीन ऋण

२३. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषकों को मध्य कालीन ऋण दिये जाने की योजना के आधीन केन्द्र द्वारा राजस्थान को वर्षवार अभी तक दी गई रकम कितनी है ; और

(ख) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को पुनः बसाने की योजना के अनुसार एतदर्थ नियत किये गये दो करोड़ रुपयों में से राजस्थान में खर्च की गई रकम कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) "अधिक अन्न उपजाओ" के लिये सामान्य निधतन को छोड़कर १९५३-५४ और १९५४-५५ में मध्य कालीन और दीर्घकालीन ऋण के लिये राजस्थान को फिलहाल २० लाख रु० की रकम दी गई है। राज्य सरकार से प्राप्त होने के बाद योजनाओं की जांच कर लेने पर निधि का आवश्यक आवंटन किया जायगा।

(ख) कुछ भी नहीं।

छोटा नौकरी दफ्तर, धनबाद

२४. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री सन् १९५३ में धनबाद के छोटे नौकरी दफ्तर और दूसरे नौकरी दफ्तरों के मार्फत सिंदरी उर्वरक कारखाना, माहथान बांध और पंचेट बांध में भरती किये गये कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ

२५. **श्री राधेलाल ब्यास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विभिन्न राज्यों में कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण पत्र संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**.

विमान समवायों को राजकीय सहायता

२६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में किन किन भारतीय विमान समवायों को रियायत

के रूप में कितनी राजकीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या इस समय चल रहे विमान निगम यह रियायत प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, प्रत्येक निगम को कितनी रकम दी गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) पेट्रोल कर राजकीय सहायता के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विमान समवायों को २,३८,५७८ रु० की रकम दी गई थी। राजकीय सहायता केवल ३१ दिसम्बर, १९५२ तक दी गई थी और इस रकम में पहले के वित्तीय वर्ष की बकाया राजकीय सहायता भी सम्मिलित है। प्रत्येक समवाय को दी गई रकमें बताने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मद्रास के नौकरी दफ्तर

२७. श्री वीरस्वामी: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीनों में मद्रास राज्य के विभिन्न सेवा योजनालयों में नाम रजिस्टर कराने वाले स्नातकों, अवर स्नातकों, मैट्रिक पास तथा अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें नौकरी दी गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि सेवा योजनालय पंजीकृत व्यक्तियों को दो या तीन वर्षों तक भी नौकरी नहीं दिला पाते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) और (ख) सदन पटल पर एक विवरण पत्र रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९]**.

(ग) यह सच है कि "क्लर्की," "दफ्तरों में काम करने वाले कौशलहीन व्यक्ति" और "प्रशिक्षारहित अध्यापक" जैसी श्रेणियों को बहुत समय तक काम नहीं दिलाया जा सका।

सोमवार,
२२ फरवरी, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, २२ फरवरी, १९५४

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

सदन का कार्य

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि २३ फ़रवरी १९५४ की कार्यसूची में विधेयकों का जो प्राथमिकता क्रम दिया हुआ है वह कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के निणयों के अनुरूप नहीं है। न्यूनतम मजूरी विधेयक को सबसे अन्त में कर दिया गया है यद्यपि यह विधेयक हमारे समक्ष गत दिसम्बर से है। इस प्रकार हमें कार्य करने में कठिनाई होती है, इस तरह की पुनरीक्षित कार्यसूची से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम मजूरी विधेयक के आयव्ययक के समाप्त होने तक लिये जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमने जनप्रतिनिधान विधेयक को पारित नहीं किया है, अतः उत्तर प्रदेश की धारा सभाओं के विधान परिषद् नियम इस प्रकार बनाये गये हैं कि नये पंचायत बोर्ड के ९० प्रतिशत सदस्यों को वरिष्ठ सभा के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं होगा। यह है हमारी कार्य-कुशलता। कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति विधेयकों की आलिप्तियों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्राथमिकतायें निश्चित करती है। अतः मेरा निवेदन है कि हमारा कार्यक्रम हर अनुत्तरदायी रीति से न बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : न्यूनतम मजूरी विधेयक के सम्बन्ध में इस समय जो प्राथमिकता का प्रश्न है हमें पहले उसी को ही लेना चाहिये। माननीय संसद्-कार्य मंत्री को इस सम्बन्ध में क्या कहना है यह मैं जानना चाहता हूं।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : दो विधेयक—भाग ग राज्य विधेयक तथा अपहृत महिलायें पुनः प्राप्ति विधेयक—२८ फ़रवरी से पहले ही पारित किये जाने हैं। इसीलिये हमने न्यूनतम मजूरी विधेयक को अन्तिम स्थान पर रख दिया है। जब तक कि अध्यादेशों के जारी किये जाने की अनुमति न दी जाये, यह दोनों विधेयक २८ फ़रवरी से पूर्व ही पारित हो जाने चाहियें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो उन्होंने वह विधेयक क्यों रखा जो क्रम में नहीं था ?

यध्यक्ष महोदय : इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि जहां तक सम्भव हो हम कार्य सूची के अनुसार ही कार्य करें।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : परन्तु किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में हमें ऐसा करना ही पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु अपवाद नियम नहीं बनने चाहियें।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे राज्य परिषद् के सचिव से यह सन्देश मिला है कि राज्य परिषद् ने १९ फ़रवरी, १९५४ को अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक, १९५४ पारित कर दिया है।

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक, १९५४ को सदन पटल पर रखता हूं।

सदस्य की नजरबंदी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे अगरतला के सब ज्यूडीशल मजिस्ट्रेट से यह तार प्राप्त हुआ है :

> "श्री बीरेन दत्त को हिंसात्मक कार्यवाही उपद्रव करने, सरकारी कर्मचारियों पर आक्रमण करने तथा उनके कार्य में बाधा डालने तथा कुछ पुलिसमैनों पर आक्रमण करने के लिये जनता को उकसाने की कार्यवाहियां करने के कारण २१ फरवरी, १९५४ को भारतीय दंड विधान की धाराओं १४८, १४९, ३३३,३४१ इत्यादि के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको केन्द्रीय जेल, अगरतला में निरुद्ध किया गया है।"

सदन पटल पर रखा गया पत्र

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): में मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम १९५२ की धारा ११ की उपधारा (२) के अनुसार गृह कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १८/१२/५३-पब्लिक, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-३६/५४.]**

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन धन्यवाद प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा करेगा। सरकार को उत्तर देने के लिये कितने समय की आवश्यकता होगी ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : प्रधान मंत्री ४–४५ तथा ५ म० प० के बीच सदन के समक्ष बोलना चाहते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : गत अवसर पर एक समूचा दिन नष्ट हो गया था क्योंकि आपने एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा किये जाने के लिए कुछ समय दे दिया था। मेरा विचार यह है कि आज सारे दिन चर्चा चले और प्रधान मंत्री कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद ही उत्तर दें। पहले भी हम इस प्रणाली को अपनाते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात के सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्वयं उस पर चर्चा करना चाहते थे, यदि वह इस प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं तो वह अपने प्रस्तावों को

कुछ समय के लिये रोके रखें। दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री वाद विवाद में अन्त करना चाहते हैं। वाद विवाद तो सात बजे तक चलेगा, माननीय सदस्य को प्रधान मंत्री के भाषण के बाद काफ़ी समय मिलेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : क्या मैं आपको स्मरण कराऊं कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है? मैं उसके सम्बन्ध में आपकी अनुमति चाहता हूं। माननीय मंत्री का ध्यान भी उसकी ओर दिलाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : उन को उसकी एक प्रति भेज दी गई है। परन्तु अनुमति दिये जाने से पूर्व उसकी ग्राह्यता तथा महत्व की जांच करनी होगी। उसके बाद जो कुछ करना सम्भव होगा किया जायेगा।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अभिभाषण के प्रारम्भ में ही राष्ट्रपति ने हमारी विदेश नीति का निर्देश किया है। हमारी नीति प्रारम्भ से ही शान्ति तथा मैत्री की रही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से ज्ञात होगा कि संसार के समस्त राष्ट्र विश्व में शान्ति बनाये रखने, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने तथा मानवमात्र का कल्याण करने के प्रश्न पर एकमत हैं। परन्तु दुःख की बात है कि संसार गुटों में बंट गया है और वह मूल उद्देश्य जिसके लिये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी खटाई में पड़ गया है। केवल हमारा ही देश है जो प्रारम्भ से ही शान्ति की नीति तथा सभी राष्ट्रों से मैत्री भाव बनाये रखने की नीति का पालन कर रहा है। हमारी सरकार संसार में शान्ति बनाये रखने का भरसक प्रयत्न कर रही है। हमारी सरकार ने भी तटस्थ राष्ट्र वापसी आयोग में भाग लेने का उत्तरदायित्व उठाया है तथा वह हिन्द चीन में युद्ध समाप्त करवाने और विश्व शान्ति स्थापित करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के साथ हमारी मैत्री और वहां की हाल की कार्य-वाहियों का निर्देश किया है। इस शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में यूक्रेन तथा वहां की उत्तम भूमि प्राप्त करने के लिये जर्मनी रूस पर आक्रमण करना चाहता था। अपनी शक्ति से मदांध जर्मनी ने उस पर आक्रमण किया परन्तु रूस ने उसका डट कर सामना किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिटलर को हार हुई; उसकी सेनाओं में फूट पड़ गई और हिटलर तथा उसके सेनापतियों में मतभेद हो गया, अन्ततः जर्मनी को नुकसान उठाना पड़ा। अमरीका तथा पाकिस्तान के सैनिक गठबन्धन के कारण हमें चिन्ता हो रही है। पाकिस्तान के अधिकारी कहते हैं कि अमरीका से सैनिक सहायता मिलने पर काश्मीर का प्रश्न सुलझ जायेगा। जब हम ऐसी बात सुनते हैं तो हमें परेशानी होती है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि काश्मीर समस्या को हल करने के लिये बल का प्रयोग करने का इरादा किया जाता है। राष्ट्रपति ने भी इसके भयानक परिणामों की ओर निर्देश किया है।

कई माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें तुरन्त सैन्यकरण प्रारम्भ कर देना चाहिये और पंचवर्षीय योजना को भी बन्द कर देना चाहिये। मुझे श्री एन० सी० चटर्जी के मुख से यह बात सुन कर आश्चर्य होता है। पंचवर्षीय योजना के द्वारा बहुत उन्नति की गई है। सामुदायिक परियोजनाओं और सिंचाई परि-योजनाओं का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लगभग आठ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। खाद्य स्थिति में बहुत सुधार हो

[श्री बोगावत]

गया है। पहले हम विदेशों से अनाज मंगवाया करते थे, परन्तु अब हमारी अपनी कृषि और उद्योग का उत्पादन बढ़ गया है, जिससे हम स्वावलम्बिता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश में गांव गांव में विस्तार योजना सम्बन्धी काम किया जा रहा है और लोग सामुदायिक योजनाओं में भाग लेकर राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं जिससे देश दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। इसलिये मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस पंचवर्षीय योजना को जारी रखना चाहिये। यद्यपि देश में निर्धनता और अकाल है, तथापि सरकार निर्धनता को दूर करने तथा सामाजिक असमानता को हटाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। पिछले वर्ष बम्बई राज्य में महाराष्ट्र में अकाल पड़ने पर केन्द्रीय सरकार ने अकाल-ग्रस्त लोगों की सहायता की थी और लोगों को अकाल से बचाया था।

मेरा इलाका निर्धन है और वहां तीसरे चौथे वर्ष अकाल पड़ जाता है। वहां बहुत अच्छी परियोजनायें हैं, यदि उन को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाता, तो वहां की निर्धनता निश्चित रूप से दूर हो सकती थी। वहां पर कुछ कार्य प्रारम्भ किया गया है और थोड़े क्षेत्र में सिंचाई भी होगी। पंचमहाल से लगा कर अहमदनगर, शोलापुर और बीजापुर के क्षेत्र में अकाल पड़ते रहते हैं, इसलिये मैं सरकार का ध्यान उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों का भी विकास किया जाना चाहिये।

रान्धा परियोजना को यदि प्रारम्भ किया जाये, तो अहमदनगर और नासिक जिलों को बिजली दी जा सकती है तथा उसके पास एक बहुत बड़ा तालाब और जलप्रपात है, यदि उनका विकास किया जाये, तो वहां कई उद्योग प्रारम्भ किये जा सकते हैं। क्योंकि राज्य सरकार के पास धन की कमी है, इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अविकसित क्षेत्र की सहायता करे।

अहमदनगर और आस पास के स्थानों के लिये रेलवे लाइनों की आवश्यकता है। यहां केवल एक रेलवे लाइन है। यहां कपास बहुत पैदा होती है, तथा पड़ौस के ज़िले भर में भी रेलें नहीं हैं, सुना है कि खंडवा हिंगोली लाईन बनाई जा रही है, यदि उस लाईन को अहमदनगर से मिला दिया जाये, तो इस क्षेत्र का बहुत विकास हो सकता है।

इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है, परन्तु यहां रेलों की कमी है, इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि अहमदनगर से पारलीवेजीनाथ या पारभनी को रेल के द्वारा मिला देना चाहिये।। श्रीरामपुर से पैथोन तक रेल लाइन बिछाने का सुझाव रखा गया था। श्रीरामपुर महत्वपूर्ण स्थान है और यह सिंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिये यहां रेल का होना अत्यन्त अनिवार्य है। रेल के बिना इस क्षेत्र का उत्तम विकास नहीं हो सकता है।

हमने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता प्राप्त की और अब हम पंडित नेहरू के नेतृत्व में आर्थिक संघष कर रहे हैं, तथा व्यापक रूप से राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। महात्मा जी ने हमें सत्य, अहिंसा और शान्ति का पाठ पढ़ाया था, और यदि हमारा ध्येय शान्ति और सत्य के लिये है तो हमें विश्वास है कि हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। महात्मा जी ने हमें बलिदान का मार्ग बतलाया था। यदि देश पर कोई आपत्ति आती है, और हम संगठित रहते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती है। इसके विपरीत यदि हम असंगठित हैं, तो हमें

पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिये मैं सब माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि हमें संगठित रहना चाहिये तब हमें संसार की किसी शक्ति से भी डरने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में पिछड़े हुए वर्गों और विशेषतया आदिम जातियों की उन्नति की योजनाओं का वर्णन न करने का खेद प्रकट किया जाये। पटना के महाराजा ने यह आरोप लगाया है कि सराय केला की बैठक में उनको तथा उनके साथियों को संरक्षण नहीं दिया गया और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। मैं सदन के सदस्यों को परामर्श दूंगा कि जहां वे समझते हैं कि उन्हें कष्ट होगा, वहां वे न जायें। आपको याद होगा कि जब सरदार पटेल राज्य मंत्री थे तो मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। उड़ीसा के लोग यहां इस प्रकार विरोध करके अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। बिहार में ११ राज्य मिलाये गये हैं, जो ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से बिहार प्रान्त से सम्बन्धित हैं। जब राज खरसावान में रक्तपात हुआ था तब उसको वापिस किया गया था। परन्तु वहां के लोग बहुत बुरी सुनी सुनाई बातों का प्रचार कर रहे हैं, जो बहुत भयानक काम है। यदि अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अपने आपको ही दोष देना चाहिये—इस उद्देश्य के लिये राज्य पुनर्संगठन आयोग काम कर रहा है और उनको शान्तिपूर्वक काम न करने देना चाहिये। जो कार्यवाहियां बिहार तथा दूसरे राज्यों के लोगों द्वारा की जा रही हैं उनको अहिंसात्मक कार्यवाहियों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। हम भारत की आदिम जातियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और जब तथा कथित शिष्ट व्यक्ति उनके पास जाकर अंट शंट बोलते हैं तो निश्चय ही वे उन्हें पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। यदि कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उन पर उसका दोष नहीं मढ़ना चाहिये। आप लोगों को शिष्ट होने के नाते अधिक स्वविवेक से काम लेना चाहिये। मैं पुनः न केवल उड़ीसा के सब दलों के राजनैतिक नेताओं को अपितु पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के नेताओं को भी चेतावनी दूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ने भी कई ऐसे राज्य छीन लिये हैं, जिनका शताब्दियों से हमारे साथ सम्बन्ध था। जब हम देश की एकता और उन्नति के लिये गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करते हैं, तो हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि अमुक राज्य मध्य प्रदेश में मिलाया गया है अथवा पश्चिमी बंगाल में। परन्तु हमें सारे मामले पर भावुकता से दूर रह कर विचार करना चाहिये। मुझ आश्चर्य होता है कि सदन नेता इस समय मेरी बातों का उत्तर देने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : एक मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री जयपाल सिंह : मुझे इस बात की बार बार शिकायत करनी पड़ती है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद होता है, तो मंत्री मंडल के सदस्य यहां उपस्थित नहीं होते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तु का मैं मोटी तौर पर समर्थन करता हूं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें कोई कमी नहीं है या यह कि उसमें कही गई सभी बातों से मैं सहमत हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण इस प्रकार का होना चाहिये जिससे कि विशेष रूप से उस विधायिनी कार्यक्रम का संकेत मिले जो संसद् के सामने है। राष्ट्रपति का

[श्री जयपाल सिंह]

यह अभिभाषण अत्यन्त भूतलक्षी है। इससे यह पता चलता है कि सरकार अपने कार्यों में बहुत सफल रही है। यह तो कोई नई बात नहीं है। यह सब बातें तो हमें प्रशासनिक प्रतिवेदनों से मालूम होती रहती हैं। जो बात स्पष्ट है, हम उनका सरसरी तौर पर किया गया वर्णन सुनने के लिये नहीं आते हैं। राष्ट्रपति के इस वर्ष के अभिभाषण के विरुद्ध मेरी यही शिकायत है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें कोई सार नहीं है। फिर भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि यह अभिभाषण भूतलक्षी होने के बजाय ऐसा होना चाहिये था जिसम भविष्य के सम्बन्ध में अधिक चर्चा की गई होती। इस अभिभाषण का तात्पर्य भूतकाल में हुई बातों का इतिहास बताना नहीं है। हमारे लिये तो यह जानना अधिक महत्व रखता है कि सरकार का इस सदन में आगामी कार्यक्रम क्या है।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विवादास्पद विषयों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं होनी चाहिये। कुम्भ मेले में जो कुछ हुआ उसके लिये हम सबको बहुत खेद है। उस दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच हो रही है। परन्तु फिर भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना की है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात असंगत है।

मैं एक दो ऐसी बातों की और चर्चा करना चाहूंगा जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया जा चुका है। पहली बात विमान सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित है। भविष्य में हम को इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने का अवसर मिलेगा, परन्तु अभी तो मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीयकरण का प्रभाव दिखाई देने में अभी और कितना समय लगेगा? सारी स्थिति को देख कर मैं तो इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जो स्थिति इस राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के पूर्व थी, बिल्कुल वही स्थिति अब भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही करने से हिचकती है और वह उन आठ एयर लाइनों को, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, अप्रसन्न नहीं करना चाहती है। मेरा अनुरोध यह है कि यदि सरकार वास्तव में राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, तो उसे निर्णय करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। इस कार्य में यह सदन—मैं समझता हूं कि विपक्षी दल भी—सरकार का पूरी तौर से समर्थन करता है।

अब मैं नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। मैं मानता हूं कि इस दिशा में कठिनाइयां रही हैं। चीज़ें योजनानुसार नहीं हो सकी हैं, परन्तु इसके लिये सारा दोष सरकार पर मढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन जब कुछ चीज़ों के मालूम होने पर भी सरकार उनको सुधारने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं करती है, तब मुझे शिकायत होती है। इस सदन में सदन नेता, वित्त मंत्री और योजना मंत्री द्वारा, जिनके ज़िम्मे ये नदी घाटी योजनायें हैं स्पष्ट एवं निश्चित रूप से अनेक बार यह आश्वासन दिया गया है कि उन क्षेत्रों से, जो इन नदी घाटी योजनाओं के काम के लिये ले लिये जायेंगे, हटाये गये ग्रामीणों को उनकी ज़मीनों के एवज़ में दूसरी ज़मीनें दी जायेंगी और उनको घर दिये जायेंगे। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या के प्रति अब सरकार ने अपना रुख़ बदल दिया है। माईथन नामक स्थान के उक्त प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में अब योजना मंत्री यह कह रहे हैं कि "उनको धन दे दो।" मेरे विचार से ऐसा करना घोर

अनर्थकारी होगा। ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से कभी नहीं हटाया जाना चाहिये। धन तो उनके पास टिक ही नहीं सकता है। यह नीति लाभकारी और उचित नहीं है।

अन्त में मैं आदिवासियों के प्रश्न पर आता हूं। मैं यह समझता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों से सम्बन्धित समुन्नतिकारी प्रयत्नों के सम्बन्ध में सरकार की जो वर्तमान नीति है, वह ठीक नहीं है। इस समस्या को प्रत्यक्ष रूप से हल नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का रुख यह है कि "हमको सामान्य स्तर को ऊपर उठाने का काम करते जाना चाहिये, इन पहाड़ी और जंगली लोगों को स्वतः लाभ प्राप्त हो जायेगा।" मेरे विचार से यह दृष्टिकोण ग़लत है। विशेष कर आदिम जाति व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने का एक विशेष तरीक़ा है, और मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि उन विशेष उपायों के सम्बन्ध में सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ कार्य-वाहियां की हैं, जिनके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। परन्तु उतना ही पर्याप्त नहीं है। देश के कुछ अन्य भागों में भी कुछ किया जाना बाक़ी है। सरकार को इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये कि जब उसके लिये कोई आन्दोलन हो, तभी वह इस दिशा में कुछ करे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ग़लत तरीक़ा है।

श्री आर० एन० रेड्डी (नलगोंडा): ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यवाद के प्रति घृणा का प्रचार करना इसके पक्ष के कुछ सदस्यों का काम ही हो गया है। ऐसे लोग साम्यवादी दल के विरुद्ध झूठे और बे सिर पैर के आरोप लगाते हैं परन्तु वे अपने कथन को प्रमाणित करने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। मैं इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जब कोई सदस्य किसी पर आरोप लगाता है, तो उसको प्रमाणित करने का भार उसी के ऊपर होता है। अभी उसी दिन साम्यवादी दल के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उस दल की केन्द्रीय समिति के सदस्यों को एक गुप्त गश्ती चिट्ठी बांटी गई थी। मैं स्वयं उक्त केन्द्रीय समिति का एक सदस्य हूं, परन्तु मुझे तो ऐसी किसी गुप्त गश्ती चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और न मुझे कोई ऐसी गुप्त गश्ती चिट्ठी मिली ही है।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** अध्यक्ष-पद पर आसीन थीं]।

साम्यवादी दल के विरुद्ध इसी प्रकार के कल्पित आरोप और अन्य सूचनायें बम्बई की एक संस्था द्वारा भी प्रकाशित की गई हैं। इस अभिकरण का नाम डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस (लोकतंत्रात्मक अनुसंधान सेवा) है। इन आरोपों का खण्डन तुरन्त ही साम्यवादी दल के महामंत्री द्वारा कर दिया गया था। उक्त संस्था के सम्बन्ध में मेरे पास कुछ ऐसी सामग्री है, जिसके आधार पर उसके एक विदेशी अभिकरण होने का सन्देह भली प्रकार किया जा सकता है। साम्यवादी दल के विरुद्ध जो बे सिर पैर के आरोप लगाये जाते हैं और जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जाता है, उनसे इस सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है क्योंकि साम्यवादी दल भी इस संसद् का एक भाग है। मैं आशा करता हूं कि ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई जायेगी।

साम्यवादी दल की अपनी एक निश्चित नीति है, और यह एक खुली बजी बात है। इसके सम्बन्ध में कोई गुप्त बात नहीं है। मैं उक्त नीति सम्बन्धी विवरण को सदन पटल पर रखने के लिये तैयार हूं। ऐसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि उन्हें जो कुछ कहना है,

[सभापति महोदय]

उसको वह थोड़े ही समय में कह दें। अभी और बहुत से सदस्यों को बोलना है।

श्री आर० एन० रेड्डी : राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति न कहा कि देश की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हो गया है। परन्तु उन्होंने देश में बढ़ते हुए आर्थिक संकट की कोई चर्चा नहीं की। मैं यह पूछता हूं कि यदि देश की आर्थिक दशा सुधर गई है, तो फिर यह बेकारी की समस्या क्यों है? देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल भारत म इस समस्या न विकराल रूप धारण कर लिया है। यह बेकारी केवल औद्योगिक नगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गई है। 'अधिक अन्न उपजाओ' जांच समिति के प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि ग्रामीण क्षत्रों में साल में केवल एक तिहाई आबादी को काम मिल पाता है, बाकी दो तिहाई को कोई काम ही नहीं मिलता है। इससे स्पष्ट है कि स्थिति कितनी गम्भीर है। हमारे कुटीर उद्योगों की दशा भी आजकल बहुत चिन्ताजनक है। हाथ करघा उद्योग तो बिल्कुल बरबाद ही हो गया है। एसे उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का कोई प्रबन्ध ही नहीं है। हमारे राष्ट्रपति अधिक उत्पादन की बात कहते हैं। हो सकता है कि उत्पादन बढ़ गया हो। परन्तु मूल समस्या तो यह है कि लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है। ऐसी स्थिति क्यों हुई? इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार कृषकों की समस्या को हल करने में असफल रही है। बेचारे कृषक को अभी तक सामन्तशाही बेड़ियों से मुक्त नहीं किया गया है। सारी समस्या तो यही है।

दूसरी समस्या यह है कि हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी पूंजी के पंजे में फंसा हुआ है। जब तक इससे छुटकारा नहीं हो जाता है और जब तक कि देश में सामन्तशाही का अन्त नहीं किया जायेगा तब तक हमारी आर्थिक दशा में कोई भी वास्तविक सुधार नहीं हो सकेगा।

डा० जयसूर्य (मेदक) : पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष आरम्भ हो रहा है। पिछले दो वर्षों के कार्यों से हमें पता लग सकता है कि हम इस मामले में किस नीति का अनुसरण करते रहे हैं। मैं इस विषय पर दल भावना से प्रेरित होकर नहीं बोलना चाहता अपितु गत दो वर्षों में मैंने जो कुछ देखा उसी के बारे में कहूंगा। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि यद्यपि इस मामले में हमारी भावनायें अच्छी थीं तब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि कहीं पर कोई कमी है। मैं किसी की भावनाओं पर आघात नहीं करना चाहता। हमारे देश में एक व्यक्ति को दो कार्य करने पड़ते हैं, अर्थात् हमारे प्रधान मंत्री देश की सरकार के प्रधान हैं और उसके साथ साथ एक राजनैतिक दल के भी प्रधान हैं। इससे एक प्रकार की गड़बड़ी पैदा होती है। ये दोनों कार्य दो भिन्न व्यक्तियों द्वारा किये जाने चाहियें। ऐसा विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं होता। हम न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहते हैं और हम धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अतः इस प्रकार की गड़बड़ी को दूर करने के लिये किसी एक व्यक्ति को राजनैतिक दल का प्रधान और सरकार का प्रधान साथ साथ नहीं होना चाहिये। किसी दल के हित प्रतिक्रियात्मक हो सकते हैं और किसी सरकार के हित प्रगतिशील हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, ७ जुलाई, १९५३ को प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करेगी और यदि सरकार गलतियां करेगी तो वह उन्हें स्वीकार

कर लेगी और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेगी। इन दो वर्षों में मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देखा जिसमें यह कहा गया हो कि सरकार ने गलतियां की हैं।

कांग्रेस के प्रधान ने कहा था कि देश के सामाजिक पहलुओं का आर्थिक तथा राजनैतिक समस्याओं से घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिये प्रान्तीयता तथा जातीयता की भावना को खत्म कर देना चाहिये। निस्सन्देह प्रधान मंत्री यह चाहते हैं कि हमारा देश सब प्रकार से आधुनिक हो। किन्तु हम देखते हैं कि कांग्रेस अब एक प्रगतिवादी दल नहीं है और इसमें मध्यकालीन युग तथा अवसरवादिता की भावना आ रही है।

प्रधान मंत्री ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा था कि वह नक्षत्रों में विश्वास नहीं करते और ये हमारे भाग्य विधाता नहीं हैं, अपितु हम लोग ही देश के निर्माता हैं। किन्तु कठिनाई यह है कि उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य तो ऐसा नहीं समझते। किन्तु कभी कभी तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम प्रधान मंत्री के प्रगतिशील विचारों का समर्थन करना चाहते हैं, उदाहरणार्थ, एप्पलबी रिपोर्ट पर उनका दृष्टिकोण बड़ा सराहनीय है। क्योंकि कोई भी देश आधुनिकतम प्रशासन व्यवस्था के बिना सुचारु रूप से काम नहीं कर सकता।

सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि हमारा संविधान इस प्रकार का है कि उससे कार्य का केन्द्रीकरण होना असम्भव है। राजनैतिक क्षेत्र में तो हमारा विकेन्द्रीकरण होचुका है और अब हम अपनी आर्थिक नीति का केन्द्रीकरण करना चाहते हैं। इसी कारण से हमारा योजना आयोग असफल रहा है। जब तक योजना आयोग को आज्ञापक अधिकार नहीं मिलेंगे वह अपने काम में असफल रहेगा।

योजना आयोग क्यों असफल रहेगा, इस सम्बन्ध में मैं बहुत सी बातें बताना चाहता हूं। हमारा संविधान हमारे मार्ग में बाधक है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि राज्य इसकी योजना को मान ही लें। आपने बड़ी बड़ी योजनायें बनाईं और योजना बनाने वालों को बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रख दिया है। किन्तु राजनीत में अधिक महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि क्या कार्य किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, अपितु यह है कि उसे कौन कर रहा है। उच्चाधिकारी तो अच्छी योजनायें बनाते हैं किन्तु उनके अधीनस्थ कर्मचारी उन्हें अच्छी प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर पाते। इसीलिये मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जनता की योजना होगी। हम अपने लक्ष्य को इसलिये नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि हमने इसको कार्यान्वित करने की प्रशासन व्यवस्था को अच्छी प्रकार से नहीं बनाया है। तीन वर्षों के बाद इसमें सुधार करना गलत होगा। संविधान सम्बन्धी बाधा के कारण उचित केन्द्रीकरण नहीं हो सकता और इसी कारण से योजना सफल नहीं हो सकी है। केन्द्रीकरण नीति में अत्यधिक कार्यकुलता अपेक्षित होती है।

अब मैं प्रशासन के प्रश्न को लेता हूं। हमारी नौकरशाही किसी अन्य देश की नौकरशाही से कम नहीं है और हमारे यहां मार्ग प्रदर्शन की भावना नहीं है। हम इस समय भी अंग्रेजों की प्रशासन सम्बन्धी बातों का पूर्ण रूप से अनुसरण कर रहे हैं। केवल ऊपर के परिवर्तन से समस्यायें हल नहीं होतीं। इसके लिये हमें अपनी विचारधारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें अपनी पंचवर्षीय योजना को निर्धारित समय में पूरा करना है और ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसको कार्यान्वित करने वाली व्यवस्था में उचित परिवर्तन नहीं कर

[डा० जयसूर्य]

दिया जाता । मुझे यह भी मालूम हुआ कि पंचवर्षीय योजना का जनता में प्रचार करने के लिये साधुओं का सहयोग प्राप्त करने के लिये कहा गया है । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ।

मैं प्रत्येक प्रगतिशील कार्य में प्रधान मंत्री को सहयोग देने के लिये तय्यार हूं । पहिले कांग्रेस दल का सदस्य होने के नाते मेरी सहानुभूति इस दल से अब भी है और इसी कारण मैं चाहता हूं कि यह दल सभी प्रगतिशील कार्यों में अपने दल के नेता को अपना समर्थन दे किन्तु कुम्भ मेले जैसे मामलों में नहीं । कराची दुर्घटना मालूम होने पर हमने चाय पार्टी स्थगित कर दी थी । किन्तु कुम्भ मेला दुर्घटना के बारे में किसी ने भी उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया । इसके लिये मैं मेला-प्रबन्ध अधिकारियों को दोषी समझता हूं ।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम): अध्यक्षा जी मैं इस विषय के केवल एक अंश पर बोलना चाहता हूं । उसका सम्बन्ध कुम्भ मेले से है । वह प्रयाग का एक दृश्य था । मैं प्रयाग का रहने वाला हूं और जब यह दुर्घटना हुई, उस समय मैं मेले के भीतर पहुंचा था, यद्यपि उस दुर्घटना के स्थान से लगभग दो मील पर, मैं वहां भारतीय संस्कृति सम्मेलन के अधिवेशन में व्यस्त था , जिस का उद्घाटन एक दिन पहले, अर्थात् दो फरवरी को राष्ट्रपतिजी ने किया था । वह अधिवेशन तीन और चार फरवरी को भी था । मुझे मेले में इस दुर्घटना की बहुत हल्की सी सूचना मिली थी । सच बात यह है कि इस दुर्घटना का गम्भीर चित्र मेरे सामने दूसरे दिन सवेरे आया । इस समय मैं उस दुर्घटना के ब्यौरों पर कुछ कहने वाला नहीं हूं । आजकल वहां जांच करने वाली समिति बैठी है । उसके सामने बयान आ रहे हैं, कई प्रकार के बयान आए हैं और बहुत विश्वसनीय भाइयों के बयान इस बात पर आए हैं कि मौतें कितनी हुईं और किन कारणों से हुईं । जो भूल प्रबन्ध की हुई उसके ऊपर मुझे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करनी है । उस का ठीक पता कमेटी की रिपोर्ट आने पर लगेगा और तभी टीका टिप्पणी का समय होगा । परन्तु यह तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कुछ गहरी कमी और त्रुटि थी, नहीं तो इतनी कल्पना तो होनी ही चाहिये थी कि जब लोग ऊपर से जा रहे हैं तो तो ढाल के नीचे कोई जबर्दस्ती बैठाला न जाय, जैसा कि स्पष्ट है कि लोग बैठाले गये । पुलिस ने मार मार कर बैठाला, गवाही में भी है, यह बहुत स्पष्ट बात है । तो कल्पना की कमी और फिर पुलिस के आदमियों की कमी । कहीं न कहीं त्रुटि है । २०० फीट लम्बा एक गड्ढा ढाल के नीचे उसके पास बना रहे जिसमें कि कीचड़ हो, यह भी प्रबन्ध की कमी है । यह स्पष्ट बातें हैं । मगर मुझे कुछ दूसरी बातों पर कुछ कहना है ।

यह मेला एक प्रतीक है, हमारे देश की मनोभावना का । किस प्रकार से लोग वहां दौड़ते हैं । उनके अन्दर भावना होती है कि हम गंगा जी में दो डुबकी लगा कर स्वर्ग में चित्रगुप्त जी के खाते में जमा की ओर एक कलम लिखवा लेंगे, एक क्रेडिट एंट्री वहां पर हमारी हो जायेगी ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पुराना खयाल छोड़ देना चाहिये ।

श्री टंडन : मैं पुराने चित्रों को, विचित्र चित्रों को और चित्रगुप्त जी की जो काव्य-कल्पना है, उस को छोड़ देने में कोई बहुत लाभ नहीं देखता । मगर जो छोड़ने की बात

है इस मेले के सम्बन्ध में वह है यह मूढ़ ग्राह, यह सुपर्स्टिशन कि दो डुबकी लगाने से हमारी मुक्ति हो जायेगी, यह महा गहरा मूढ़ग्राह है। यह सहारा देने की, प्रोत्साहन देने की बात नहीं है।

आज दो रास्ते हैं जो हमारे लिये भयावह, हैं, डर के रास्ते हैं। मैं भारतीय संस्कृति का उपासक हूं परन्तु भारतीय संस्कृति को दो रास्तों से बचाना है। एक रास्ता तो वह है जिस पर हमारे पश्चिम की नकल करने वाले भाई चलते हैं। पश्चिमी ढंग की चीजों से, रीति रिवाज को उसकी जबान को अपना कर पश्चिम की नकल करना या उसकी प्रति-लिपि बनाना यह हमारे देश को शोभा नहीं देता। मैं उसका रूप नई दिल्ली में देखता हूं। देश को नई दिल्ली का मानसिक रूप नहीं देना है क्योंकि वह भी एक मूढ़ग्राह है। यह मत समझिए कि मूढ़ग्राह, सुपर्स्टिशन, बेपढ़े लिखे लोगों में ही होता है। अंगरेजीदां लोगों में मुझे बड़ा गहरा सुपर्स्टिशन दिखाई देता है, वह भरे हुए हैं मूढ़ग्राह से। कपड़े पहिनने में मूढ़ग्राह है कि ऐसे कपड़े पहिनेंगे तो हमारी ज्यादा इज्ज़त होगी। खाने पीने में, रहन-सहन में मुझे सुपर्स्टिशन दिखाई देता है। उस मूढ़ग्राह में से हमें देश को बचाना है। भारतीय संस्कृति की रक्षा हमें करनी है। इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छी बातों को भी विचारपूर्वक न लें। मेरी मान्यता है कि हमारा देश बौद्धिक रहा है, मैं इस पर बल देता हूं। बहुत से अंगरेज इतिहासकारों ने कहा है कि हमारे यहां परिपाटी को पूजने वाले बहुत हैं। कंजर्वेटिज्म बहुत है। इस में आँशिक सत्य है, लेकिन पूरा सत्य नहीं है। हमारा देश अपने आन्तरिक तल में बौद्धिक रहा है, बुद्धि का पुजारी रहा है, बुद्धि के ऊपर उसने किसी किताब को नहीं रक्खा है। यो बुद्धेः परतस्तु सः। बुद्धि के ऊपर केवल ईश्वर को माना है, ईश्वर के बाद संसार में बुद्धि तत्व ही है। मैं बुद्धिवादी हूं; बुद्धि के ऊपर सब पुस्तकों को, सब ट्रैडिशन्स को नापने तौलने के लिये तैयार हूं। यही हमारे यहां का क्रम प्रचीनों का था। हां, दो, चार, पांच सौ वर्ष पहले एक अंधेरी रात आई हमारे देश में, उसमें हम ने इन मूढ़ग्राहों, और परिपाटियों और ट्रैडिशंस को पूरी तरह से पकड़ा। परन्तु यदि हम विचार करें तो देखेंगे कि हमारा देश अपने मार्गों को बदलने में, परिपाटियों को सुधारने में पीछे नहीं रहा है। हमारे देश का ही एक वाक्य है, इस तरह का वाक्य संसार में मैंने और कहीं नहीं सुना। जब यास्क मुनि के शरीर छोड़ने का समय आया तो उनके चेलों ने उन से पूछा, "महाराज, आप जाते हैं, अब वेदों का अर्थ कौन करेगा ?" ध्यान रखिये, वेदों का। यास्क मुनि निरुक्त के कर्ता हैं। निरुक्ति वह शस्त्र है जो वेदों के शब्दों को सामने रखता है और उनका अर्थ निकालता है। चेलों ने पूछा, "अब आप जा रहे हैं, वेदों का अर्थ कौन करेगा ? हम लोग किस ऋषि के पास जायें ?" यास्क ने जवाब दिया, "किसी ऋषि की ज़रूरत नहीं है, तर्कों वै ऋषिरुक्तः।" इसका क्या अर्थ है ? "तर्क, लाजिक, सिलाजिज्म, यही ऋषि है, वेदों का अर्थ करने के लिये।" यह वाक्य था कि तर्क ही ऋषि है। तर्क का मतलब बुद्धि क्योंकि तर्क का सहारा तो बुद्धि है, तर्क बुद्धि के बिना बढ़ता नहीं। बुद्धि को ही ऋषि बनाना और बुद्धि ही अर्थ करेगी। यह वाक्य हमारे देश की पुरानी परिपाटी को बताता है। हमारा देश बुद्धिवादी रहा है, परिपाटियों का दास नहीं। परिपाटियां अवश्य बनती हैं, किस देश में नहीं हैं ? आज क्या अमरीका और इंग्लैण्ड परिपाटियों से बंधे नहीं हैं ? बहुत जगहों पर परिपाटियों की बहुत गुलामी रहती है। अगर बुद्धि भी साथ हो तो वे ठीक होती रहती हैं। हमारे यहां परिपाटियां चलती हैं लेकिन

[श्री टंडन]

बौद्धिकता पुराने समय में समाज पर प्रभाव डालती रही है।

मेरा निवेदन यह है कि आज जहां एक ओर हमें पश्चिमी नकल से बचना है, वहां अपने देश की परिपाटियों का भी जो कि धर्म के नाम पर चलती हैं, विश्लेषण करना है। 'यह माघ मेला', किसी ने यहां पर कहा था, मैं उनका आदर करता हूं, 'श्रद्धा और भक्ति का सूचक है।' मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। गंगा से मेरा गहरा प्रेम है लेकिन मेरा गंगा में मूढ़ग्राह नहीं है। गंगा में बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं, क्रोकोडाइल रहते हैं। क्या वह वहां बुद्धि से श्रद्धा से रहते हैं? नहीं। मल्लाह दिन भर गंगा में रहता है। मेरे मन में गंगा की उपासना इसलिए है कि गंगा के किनारे तपस्वियों ने तप किया था, गंगा का जल पवित्र है। परन्तु इस भेड़ियाधसान को कि एक छोटी सी जगह में जहां संगम है वहां हजारों आदमी एक साथ स्नान करें प्रोत्साहन देना उचित नहीं है। यह बुद्धि के विरुद्ध है। मैं इसको भारतीय संस्कृति का विरोधी समझता हूं। जो लोग इस प्रकार की तबीयत को प्रोत्साहन देते हैं वह सही नहीं करते हैं। वह भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं करते।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मेरा निवेदन यह है कि हमें इन दोनों भयावह रास्तों से बचना चाहिए, एक ओर पश्चिमीय नकल और दूसरी ओर अपने यहां की सब रीतियों को बिना समझे बूझे प्रोत्साहन देना। हमारी संस्कृति प्राचीन है लेकिन बौद्धिक है। जिस तरह का हमारा यह मेला है उस तरह के मेले मुसलमानों में भी चलते हैं। वे भी अवश्य ही बुद्धि के विरुद्ध हैं, उनमें कोई अक्ल नहीं है। मुसलमानों के मेले चलते हैं। हिन्दुओं के मेले चलते हैं और वहां बहुत ड़ भाड़ होती है। उनमें चोर डाकू आते लुगाड़े भी आते हैं और श्रद्धावान बहुत थोड आते हैं। प्राचीन समय में यह इसलिए होते थे कि वहां अच्छे लोग इकट्ठा होते थे, अच्छे विचार करते थे। आज भी विचार के लिए कुछ थोड़ी सी सभायें होती हैं, वह ठीक हैं, वहां लोग जायं। परन्तु इस भावना को प्रोत्साहन न दिया जाय कि लोग दौड़े दौड़े दूर दूर से आवें और जल में डुबकी मार कर चले जायं चाहे उनकी भावना न बदले, और वे तप और सत्य को अंश लेकर न जायं। हमारी प्राचीन मर्यादा के अनुसार सत्य और तप भारतीय संस्कृति के मुख्य अंश हैं। जहां तप और सत्य नहीं हैं वहां भारतीय संस्कृति नहीं है। शासन से मेरा कहना है कि आप इन दोनों रास्तों से देश को बचाइये। एक तरफ खाली पश्चिमीय नकल न कीजिये। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मेलों को जैसा कि अब की बार रेल वालों ने किया, बहुत प्रोत्साहन न दें। रोकथाम कीजिये। मैं जानता हूं कि आपकी भी सीमायें हैं। जब लोग एक क्रम मानते हैं तो उसको आप रोक नहीं सकते।

श्री त्यागी : भीड़ ज्यादा होती है तो सुभीता देना पड़ता है।

श्री टंडन : ठीक है, प्रबन्ध करना पड़ता है, लेकिन भीड़ आवे इसके लिए न्यौता न दीजिये, निमंत्रण न दीजिये। भीड़ का आवाहन न कीजिये। आप ऐसे अवसर पर लोगों को समझाइये कि भीड़ न करें और गंगा में एकान्त स्थान पर नहायें।

श्री पी० एन० राजभोज : यह सब पुराण चल रहा है या क्या हो रहा है?

श्री टंडन : यही कह रहा हूं कि आप भारतीय संस्कृति को बिना समझे बूझे कीचड़ में घसीटें मत। भारतीय संस्कृति मूढ़ग्राहों या सुपरस्टीशंस का बंडल नहीं है। जो लोग भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं वह समय

समय पर उसकी बुराई कर देते हैं। वे लोग भी उसको गलत समझते हैं जो उसको अंध विश्वासों का बंडल समझते हैं। भारतीय संस्कृति बौद्धिक है, बुद्धि के ऊपर निर्भर है। जहां बुद्धि नहीं, जहां युक्ति नहीं, वहां भारतीय संस्कृति नहीं, वहां धर्म नहीं। बृहस्पति स्मृति का एक वाक्य याद आ गया, उसे कह कर बैठता हूं। कहा है —

'केवलम् शास्त्रमाश्रित्य, न कर्तव्यो विनिर्णयः।

केवल किताबों का, जिनको शास्त्र कहते हैं, सहारा लेकर धर्म का निर्णय नहीं हुआ करता। "युक्ति हीन विचारेतु, धर्म हानिः प्रजायते।।" जहां बुद्धि नहीं है, युक्ति नहीं है उस विचार से धर्म की हानि होती है।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यह मैं सब सदस्यों से कहना चाहता हूं, चाहे वे हिन्दू हों चाहे मुसलमान हों चाहे ईसाई हों। जो धर्म कि युक्ति पर आधारित नहीं है वह धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म बौद्धिक है और युक्ति पर निर्भर है। इस कारण से मैं शासन को सलाह देता हूं कि इस प्रकार के मूढ़ग्राहों को बिना समझे बूझे प्रोत्साहन न दिया करें। बस मेरा यही निवेदन है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : मैं अपना भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण में उठाये गये तीन प्रश्नों तक ही सीमित रखूंगा : हमारी विदेश नीति का एक पहलू, नौकरी की स्थिति और धर्म निर्पेक्ष राज्य की धारणा को खतरा। सबसे पहले मैं विदेश नीति, विशेष कर लंका-भारत करार सम्बन्धी नीति का उल्लेख करूंगा। मैं सदन के सब विभागों से अपील करता हूं कि वे लंका में भारतीय उद्भव के लोगों की कठिनाइयों को समझें। लंका की सरकार ने प्रशासनीय उपायों से इस प्रकार के बहुत से लोगों को निकालने का प्रयत्न किया है भारत सरकार ने इनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्भव के बहुत से लोगों का, जो कि लंका की नागरिकता ग्रहण करने के योग्य थे, किन्तु जिन्हें लंका की सरकार ने नागरिक स्वीकार नहीं किया था, निकाला जाना रोक दिया गया था। इस के पश्चात् लंदन में भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों में बातचीत हुई थी। इस बातचीत के फलस्वरूप जो अस्थायी निर्णय किये गये थे और जिन्हें उस समय भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, वे अब स्वीकार कर लिये गये हैं। ये शर्तें हमारे लिये और लंका में भारतीय उद्भव के लोगों के लिए असुविधाजनक हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्हें अब स्वीकार कर लेने का क्या कारण है। हमने दो संदेहपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली हैं पहली यह है कि उन लोगों की संख्या जिन्हें नागरिकों के रूप में खपाया जायेगा, निश्चित नहीं की गई है और दूसरी यह है कि लंका सरकार को भारतीय उद्भव के लोगों को लंका छोड़ कर भारत जाने के लिए प्रेरित करने का अधिकार दिया गया है। इन उपबंधों का प्रभाव यह होगा कि खपाये जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जायेगी। इन दो उपबंधों के अन्तर्गत लंका की सरकार क्या कार्यवाही करती है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस मामले में दृढ़ रवैया अपनाएगी और लंका में अपने उच्चायुक्त को यह निदेश देगी कि वे लंका कि सरकार को भारतीय उद्भव के लोगों को भारत जाने के लिए प्रेरित करने की आड़ में बलपूर्वक प्रत्यावर्तन से रोकेंगे।

इस समस्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू, जिस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया यह है कि राजनयिक और राजनैतिक मोर्चे

[डा० कृष्णस्वामी]

पर भारतीय उद्भव की जनसंख्या को लंका के अन्य राजनैतिक दलों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध करने के लिए कोई सक्रिय पग नहीं उठाये गये । यदि उन के और लंका के नागरिकों के हितों को एक करने के लिए ठोस पग न उठाये, तो हमारी प्रतिष्ठा को हानी पहुंचेगी । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मैं सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि हमें एक सद्भावना मंडल जिस में भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों, लंका भेजना चाहिये और प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे हमारे उच्चायुक्त को सतर्क रहने का निदेश दें, ताकि दोनों देश इस करार से लाभ उठा सकें ।

नौकरी के मामले में, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि इस की स्थिति देश में सुधर गई है । अर्थ व्यवस्था की स्थिति पहले की तरह गतिहीन है और विनियोग भी नहीं बढ़ा । इस अवस्था में यह कैसे कहा जा सकता है कि नौकरी सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो गया है ।

बम्बई सरकार ने आंग्ल-भारतीय बच्चों को अन्य जातियों के बच्चों से पृथक करने का जो आदेश हाल में जारी किया है, उस से धर्मनिर्पेक्ष राज्य की धारणा को बहुत धक्का लगेगा और राज्य के इस स्वरूप को बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा । संविधान में यह उपबन्ध है कि सब राज्यों और संघ में १५ वर्ष तक अंग्रेजी का स्थान बना रहेगा । जब संघ का एक एक कार्यपालिका आदेश द्वारा इस नीति को संशोधित करता है, तो हम यह मांग कर सकते हैं कि संघ सरकार इस सम्बन्ध में अपने विचारों तथा दृष्टिकोण को स्पष्ट करे, क्योंकि किसी राज्य की कार्यवाही का प्रभाव सारे धर्मनिर्पेक्ष राज्य पर पड़ सकता है ।

कुम्भ मेले की दुर्घटना के सम्बन्ध में मैं कोई कठोर शब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह एक बहुत दुखदायक बात है । मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा कि क्या यह कहना ठीक है, कि जो कुछ हुआ है, उस का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है ? यदि केन्द्रीय सरकार हैज़े का टीका लगाने के मामले में प्रतिबन्ध पर अग्राह करती, तो इतने लाख आदमी वहां इकट्ठे न होते और न यह महान दुर्घटना होती ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : श्रीमान्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहस की इस अवस्था पर बोलने का अवसर दिया । पिछले कुछ दिनों में यहां पर अनेक भाषण दिये गये हैं तथा विविध विषयों पर चर्चा हुई है । उन सब विषयों के सम्बन्ध में मेरे लिये कुछ कहना कठिन होगा इसलिये आपकी अनुमति से मैं उन में से केवल कुछ ही विषयों पर बोलूंगा ।

मेरे विचार में सब से पहले मैं उसी बात को दोहरा दूं जो मैं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कही थी । आचार्य कृपालानी ने कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 'औपचारिक' था न कि 'प्रेरणात्मक' अन्य लोगों ने भी कुछ ऐसे ही बातें कही हैं । मेरे विचार में राष्ट्रपति का अभिभाषण औपचारिक ही होता है । निस्सन्देह, प्रेरणात्मक होना ही सदा ठीक होता है किन्तु प्रेरणा का मिलना इतना आसान नहीं है जितना कि उसे व्यक्त करना । राष्ट्रपति का अभिभाषण औपचारिक होता है और उसके लिये स्वभावतः सरकार ही ज़िम्मेदार होती है । बहुधा, माननीय सदस्यों तथा प्रेस ने

आलोचना करते हुये कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वही बातें दोहराई जाती हैं जो सरकार ने पहले ही कही होती है। इस के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? यह सरकारी नीति का विवरण होता है जिसे राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के समक्ष रखते हैं। इसके अलावा यह कुछ और हो भी नहीं सकता। साधारणतः यह सनसनी-खेज नहीं हो सकता ना ही इसमें कोई नई बात कही जा सकती है। यदि सरकार को कोई हमत्वपूर्ण कदम उठाना होगा तो स्वाभावतः वह इस सदन के सामने आयेगी, और उस विषय पर यहां चर्चा होगी न कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसी कोई सनसनीखेज बात शामिल करा दी जायेगी। अतः मेरा सदन से निवेदन है कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण को उस दृष्टिकोण से देखे जिस दृष्टिकोण से वह दिया जाता है।

माननीय सदस्य, श्री जयपाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई विवादग्रस्त बात न उठाई जानी चाहिये। मैं उन से सहमत हूं क्योंकि यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विवाद ग्रस्तविधानों का निर्देश किया गया तो यह विवादग्रस्त मामला हो जायेगा। उन्होंने हमें एक उदाहरण भी दिया था—अभिभाषण में कुम्भ मेले की दुर्घटना का निर्देश। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश सरकार को शाबाशी दी है। वास्तव में मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ था और मैंने फिर से अभिभाषण को पढ़ा था। राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार जन समूह के लिये संतोषजनक प्रबन्ध करने में काफी मेहनत की थी। लेकिन फिर भी, गड़बड़ी हो गई। मैं नहीं जानता कि कोई भी इस बारे में यह कैसे कह सकता है कि दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया था। इस बात को तो कोई झूठा साबित कर ही नहीं सकता कि वहा की सरकार ने काफी मेहनत की थी य दूसरी बात है कि वह असफल रही या बाद में गलतियां हो गई। यह विवादग्रस्त मामला नहीं है मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं हूं। दुर्भाग्यवश, इस बहस में कुम्भ मेले की दुर्घटना प्रबल रूप से छा गई है, मैं मानता हूं कि यह एक दुखद दुर्घटना थी फिर भी, इसका उन बातों से बहुत कम सम्बन्ध है जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री टंडन ने कहा हमें जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिये। जांच की जा रही है। इस के एक पहलू के बारे में, जिसके सम्बन्ध में आचार्य कृपालानी ने विशेष कर जोर दिया मैं बाद में कुछ कहूंगा। परन्तु जिन मख्य विषयों को लेकर हमें यहां चर्चा करनी है वे मेरे विचार में काफी बड़े विषय हैं चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय हों या घरेलू और इसी लिये हमें उन छोटी छोटी बातों में नहीं जाना चाहिये जिनके सम्बन्ध में हम और किसी समय भी चर्चा कर सकते हैं।

यदि आप संसार पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि लोगों को अनेक समस्याओं, तनातनी और भय का सामना करना पड़ रहा है। लोग भयभीत हैं और सुरक्षा की खोज में लगे हुये हैं; किन्तु, दुर्भाग्यवश, जितना ही वे सुरक्षा की खोज करते हैं उतना ही संसार में तनातनी बढ़ती जाती है। स्पष्ट है कि कोई भी देश, यहां तक कि संसार का सबसे ताकतवर देश भी, अपनी ही बात नहीं मनवा सकता है, फिर भारत जैसे देश का तो कहना ही क्या है जो कि न तो सैनिक और न ही वित्तीय दृष्टि से ताकतवर है। हां, उसके पास एक ताकत है, यदि आप इसे ताकत कह सकते हैं, और वह है कुछ चीजों में हमारा विश्वास। अतः

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

हो सकता है हमें जो बातें अच्छी न लगती हों उनके बारे में हम शिकायत करते हों, किन्तु हमें हर बात को इसके वास्तविक रूप में देखना चाहिये कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं तथा हमें अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहिये। हम हरदम ही उन परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिनकी हम आशा करते हैं। लेकिन, फिर भी, मेरा विश्वास है कि यदि हम अपनी पूरी कोशिश करें तो उसका अच्छा परिणाम निकल सकता है।

आज हमें एशिया में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम मध्य में स्थित हैं इसीलिये अन्य कारणों के अलावा भी भौगोलिक दृष्टि से हमारा इन समस्याओं से सम्बन्ध है—एशिया के पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और पूर्व दोनों ही में। हमारे देश के आकार, आबादी, संसाधनों आदि के अलावा भी हमें इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ता है। इसीलिये कभी कभी हमें बाहरी मामलों में उलझ जाना पड़ा है यद्यपि हमने इस बात की पूरी पूरी कोशिश की है कि हम ऐसे मामलों के चक्कर में न आयें।

सदन को मालूम ही है कि केवल कल ही हमारे कुछ सैनिक, जिन्हें कोरिया भेजा गया था, वापस लौटे हैं। अन्य लोग भी कुछ दिनों में लौट रहे हैं तथा कोरिया का वह अध्याय समाप्त हो चुका है जिसमें हमारा संरक्षक कटक तथा हमारे प्रतिनिधियों ने तटस्त राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग में काम किया था। मझे अब उसके सम्बन्ध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर बातें माननीय सदस्यों को मालूम ही हैं। वे प्रेस में प्रकाशित हो चुकी हैं। म आशा करता हूं कि कुछ दिनों के बाद मैं सदन-पटल पर एक विवरण रख सकूंगा जो कि वास्तव में, कोरिया के सम्बन्ध में अभिलेख का काम देगा न कि अतिरिक्त सूचना का।

तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग ने जो उद्देश्य अपने आगे रखा था वह उसे प्राप्त नहीं कर सका है या पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता है तथा दुर्भाग्यवश, बहुत सी समस्यायें वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है मेरे विचारमें अधिकतर लोग इस बात से सहमत हैं कि आयोग में हमारे प्रतिनिधियों ने जिन्हें बहुत ही नाजुक काम करना था, तथा हमारे संरक्षक कटक ने उतना ही अच्छा काम किया जितना कि उनसे आशा की जा सकती थी और मेरे विचार में उसका परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि हमारे प्रतिनिधियों ने जो दृष्टिकोण अपनाया था उसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं फिर भी, समस्त पक्षों ने काम में उनकी निष्पक्षता की सराहना की है (हर्षध्वनि)। सदन द्वारा हर्ष ध्वनि किये जाने से पता लगता है कि सदन उनके लौटने के सम्बन्ध में अपनी शुभ कामनायें भेजना चाहता है।

यद्यपि समस्त समस्यायें वैसी ही पड़ी हैं फिर भी कोरिया के सम्बन्ध में एक अच्छी बात हुई है अर्थात्, वहां जो लड़ाई दो या तीन वर्षों से चल रही थी वह रुक गई है; कम से कम नर हत्या तो समाप्त हो गई है। केवल समस्यायें हल करने को पड़ी ह, चाहे वह कठिन समस्यायें ही हैं।

इस सम्बन्ध में में एक बात कहना चाहता हूं। कदाचित्, सदन को मालूम है कि बहुत सी बातों के सम्बन्ध में मतभेद था, विशेष कर इस सम्बन्ध में कि आयोग उन युद्धबन्दियों के बारे में क्या करे जो उसके साथ रह गये थे। अध्यक्ष, अर्थात्, भारत के प्रतिनिधियों की राय थी कि दोनों

पक्षों के बीच हुये समझौता में जिन जिन प्रक्रियायों का निर्धारण किया गया था वे पूरी नहीं हुई थीं ; फिर भी, आयोग के पास इस के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह गया था कि वह उन युद्धबन्दियों को उनके बन्दी-कर्त्ताओं को लौटा दे ।

पिछले कुछ दिनों में हमें एक विशेष कठिनाई का अनुभव करना पड़ा था । १७ व्यक्ति ऐसे थे--मुझे संख्या का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है--जिनके ऊपर भयंकर अपराधों के लिये, जिसमें हत्या करना भी शामिल था, मुकदमा चलाया जा रहा था । उन पर मुकदमा हमारे सशस्त्र बल द्वारा स्थापित किये गये फौजी-न्यायालय में चलाया जा रहा था । दुर्भाग्यवश, कुछ पक्षों द्वारा सहयोग न दिये जाने के कारण यह कार्यवाही पूरी न हो सकी । परिणामस्वरूप यह समस्या उत्पन्न हुई कि इन व्यक्तियों के साथ क्या किया जाये जिन पर भयंकर अपराध करने का दोष लगाया गया था । यह तो स्पष्ट ही हो गया था कि भारतीय संरक्षक कटक फौजी-न्यायालय की कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था क्योंकि उसे वहां नहीं रहना था । वह उन्हें अपने साथ भारत भी नहीं ला सकता था । दूसरी ओर, यह भी ठीक प्रतीत होता था कि उन व्यक्तियों के मुकदमे की कार्यवाही जिन पर इस प्रकार के अपराध करने का दोष लगाया गया था, पूरी की जाये तथा इसके बाद जैसा भी हो, उनको सजा दी जाये या छोड़ दिया जाये । अतः इस दुविधा में भारतीय संरक्षक कटक ने यह निश्चय किया कि उन व्यक्तियों को उनके बन्दीकर्त्ताओं को ही लौटा दिया जाये तथा साथ ही उनसे इस बात की जोरदार अपील की जाये कि वे मुकदमे की कार्यवाही को पूरा करें । मैं नहीं जानता कि वास्तव में उनके साथ क्या किया जायेगा किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि यह न्याय का उपहास करना होगा यदि इन व्यक्तियों को जो प्रत्यक्षतः इस बात के दोषी ठहराये गये हैं कि उन्होंने भयंकर अपराध किये हैं केवल छोड़ दिया जाये ।

मैं ने कोरिया का निर्देश किया किन्तु संसार में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां अजीब ही मसले खड़े हो गये हैं । जैसा कि सदन को मालूम ही है, हाल ही में, चार बड़ी ताकतों का बर्लिन में सम्मेलन हुआ था और उन्होंने कई दिनों तक जर्मनी, आस्ट्रिया आदि के बारे में बातचीत की । दुर्भाग्यवश, इस बातचीत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । केवल एक चीज़ हुई और वह यह कि अन्त में चार बड़ी ताकतें इस बात पर सहमत हो गईं कि कोरिया और हिन्द-चीन की समस्याओं पर विचार करने के लिये २६ अप्रैल को जिनेवा में एक सम्मेलन बुलाया जाये । मेरा अनुमान है कि चीनी सरकार ने इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है क्योंकि इसका इससे बहुत निकट का सम्बन्ध है और उसका वहां उपस्थित रहना आवश्यक भी है ।

मैं ने अभी कहा कि चाहे कोरिया में कोई भी कठिनाई बिना हल हुये क्यों न पड़ी रही हो, किन्तु यह तो सत्य ही है कि युद्ध रुक गया है । यह एक बहुत बड़ी बात है ।

दुर्भाग्य से हिन्दचीन में लड़ाई अभी बन्द नहीं हुई है, बल्कि भयंकर रूप धारण करती जा रही है । वहां की लड़ाई शुरू हुये आज छः वर्ष हो गये हैं । मैं इसके बारे में इस समय कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वैसे तो हम सब यही चाहते हैं कि वहां लड़ाई शीघ्र से शीघ्र बन्द हो, परन्तु चूंकि दो महीने बाद बड़ी शक्तियां इस मामले पर विचार करने जा रही हैं, इसलिये इस समय कुछ कहना उचित प्रतीत नहीं होता । यह बड़े अफसोस की बात है कि जब इस समस्या को

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है तब भी वहां यह लड़ाई चल रही है। मैं इस विषय में कोई सुझाव देना नहीं चाहता। न ही मैं बीच में पड़ना चाहता हूं, परन्तु सम्बन्धित पक्षों और शक्तियों से इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि चूंकि दो महीने बाद जिनेवा सम्मेलन में हिन्दचीन के मामले पर बहस की जाने वाली है इसलिये यह अच्छा होगा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर जमे रह कर और बिना अपने अधिकारों आदि पर बहस किये किसी तरह की विराम संधि कर लें, क्योंकि यदि एक दफ़ा बहस शुरू हो गई तो फिर उसका खत्म होना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये मैं सम्बन्धित राष्ट्रों से विनम्रतापूर्वक यह अपील करता हूं—और मेरा विश्वास है कि सदन भी इस अपील में मेरे साथ है—कि वे वहां विराम संधि करने के लिये पूरा प्रयत्न करें। इसके बाद वे अपने अपने तरीके से उस पर विचार कर सकते हैं। मैं फिर यह बात दोहराता हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस मामले में हस्तक्षेप करने या किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने की इच्छा नहीं रखते।

कोरिया युद्ध से और इस हिन्दचीन की लड़ाई से—वास्तव में उन सब जगहों से जैसे मलाया में और अफ्रीका के कुछ भागों में जहां इस तरह की लड़ाई तो नहीं हो रही परन्तु फिर भी कुछ न कुछ सैनिक कार्यवाही चल ही रही है—हम यह देख सकते हैं कि आजकल यदि कहीं एक छोटी सी लड़ाई भी शुरू हो जाती है तो वह बराबर चलती ही रहती है; उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की कार्यवाहियों से इन समस्याओं का हल निकालना सरल नहीं होता। हिन्दचीन में हमने देखा है कि इन पिछले दो वर्षों में हार जीत का पलड़ा स्थिर नहीं रहा है, कभी एक पक्ष आगे बढ़ता है कभी दूसरा। मैं यह नहीं जानता कि सैनिक स्थिति वास्तव में क्या है परन्तु यह चीज़ सब जानते हैं कि पिछले पांच वर्षों से ये लोग बिना किसी नतीजे पर पहुंचे एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुये हैं। स्वयं इस चीज़ से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि हम इन छोटी छोटी लड़ाइयों में सैनिक साधनों द्वारा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते तो, यदि दुर्भाग्य से विश्व युद्ध आरंभ हो जाये, फिर क्या नतीजा होगा ?. क्या उसका कभी अन्त न होगा और क्या उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, या फिर क्या होगा ? आजकल एक छोटी सी लड़ाई भी शुरू करना ख़तरनाक है। लोग इसे मामूली चीज़ समझ सकते हैं परन्तु ऐसा होता नहीं है। चाहे मामले की अच्छाइयां और बुराइयां कुछ भी हों, लड़ाई चलती ही रहती है। इसलिये हिन्दचीन में ही नहीं अन्य सब जगहों में भी, जिनका मैं ने ज़िक्र किया है, कुछ और तरीक़ा अपनाया जाना चाहिये जिससे यह मार-काट बन्द हो क्योंकि इससे हज़ारों लोगों की जान ही नहीं जाती बल्कि इसके परिणामस्वरूप कठोरता और कलह की भावना पैदा हो जाती है जिसे दूर करना बड़ा कठिन होता है। सैनिक कार्यवाही के परिणाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब लोगों के दिलों में डर और कठोरता समा जाती है क्योंकि इससे आगे चल कर और झगड़े खड़े हो जाने की संभावना बनी रहती है और इस तरह इसका कोई अन्त नहीं होता। वैयक्तिक रूप से मुझे यह विश्वास है कि चाहे लड़ाई छोटी हो या बड़ी इससे समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिये मैं छोटे बड़े समस्त सम्बन्धित राष्ट्रों से अपील करता हूं कि वे इस दिशा

में प्रयत्न करें और अभी कम से कम युद्ध बन्द कराने के लिये ही कुछ उपाय ढूंढें।

मैं अब हाल ही में हुये बर्लिन सम्मेलन का ज़िक्र करूंगा। मुझे खेद है कि इस सम्मेलन के अन्तिम फ़ैसले के अलावा, जिसमें जिनेवा में एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया है, इससे निराशा ही हुई है। लेकिन मैं कहूंगा कि यद्यपि बर्लिन सम्मेलन से कोई नतीजा नहीं निकला है, फिर भी इसका एक फ़ायदा हुआ है। लोगों के इस तरह मिलने-जुलने और साथ बैठ कर विचार करने से न सिर्फ़ लड़ाई जैसी भयंकर चीज़ें ही हटाई जा सकती हैं बल्कि इससे यह भी प्रकट होता है कि इन लोगों के दिलों में शान्तिपूर्ण समझौते ढूंढने की इच्छा है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि सारे देशों के लोग शान्ति चाहते हैं; वे यही नहीं चाहते कि गोली बारूद की लड़ाई न हो, बल्कि वे वास्तविक शान्ति की इच्छा रखते हैं। आप देशों के बीच शीत-युद्ध देखते होंगे। निस्सन्देह शीत-युद्ध वास्तविक युद्ध से कहीं अच्छा है, परन्तु फिर भी शीत-युद्ध एक काफी बुरी चीज़ है। इससे लोगों में डर बना रहता है ओर सुरक्षा के लिए ख़तरा बना रहता है और एक तनाव सा पैदा हो जाता है। देश की आर्थिक व्यवस्था डावांडोल हो जाती है और राजनैतिक स्थिति में खिंचाव, घृणा और हिंसा का भय उत्पन्न हो जाता है।

मुझे यह सोच कर बड़ी परेशानी होती है कि यह पीढ़ी, जो बराबर शीत-युद्ध का दृश्य देखती है और वास्तविक युद्ध की संभावना तथा घृणा और खिंचाव के वातावरण में ही रह रही है, आगे चल कर क्या करेगी। मैं आगे की बात सोच कर थर्रा उठता हूं। कुछ दिन पहले माननीय सदस्यों ने दिल्ली में 'शंकर्स वीकली' द्वारा आयोजित बाल कला प्रदर्शनी देखी होगी जिसमें दुनिया के सारे देशों से बच्चों ने अपने हज़ारों चित्र भेजे थे। कलात्मक गुणों के अलावा चित्रों के इस असाधारण संग्रह से हमें इस बात का आभास मिलता था कि विभिन्न देशों के बच्चों का क्या दृष्टिकोण है और वे किस प्रकार विचार करते हैं। बहुत से बच्चों ने इस तरह के कुछ आतंकपूर्ण चित्र बनाये थे जिन्हें देख कर ऐसा लगता था मानो वे स्वयं उस आतंक से पीड़ित हों। उससे प्रकट होता था कि किस प्रकार ये लोग घृणा, हिंसा और संभावित युद्ध आदि के वातावरण में रह रहे हैं और किस प्रकार उनकी मनोवृत्ति वैसी हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा विश्व किसी दुष्ट मायावी प्रभाव से ग्रस्त है जिसके कारण हम शान्ति और सद्भावना से जीवन बिताने में असमर्थ हैं और हम इस प्रभाव से अलग भी नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के साथ मिल कर बैठते हैं और बातचीत करते हैं ताकि हमारी समस्याओं को सुलझाया जा सके परन्तु कुछ ऐसी बात होती है कि समस्यायें और जटिल ही होती जाती हैं। दुनिया के लोगों के सामने असली कठिनाई यही है और एशिया में हमारे लिये यह कठिनाई और भी विषम है क्योंकि यहां और कुछ हद तक अफ्रीका में भी, नये प्रभाव तथा नई भावनायें फैल रही हैं। हम विश्व की समस्याओं में रुचि रखते हैं क्योंकि उनका हम पर असर होता है परन्तु हमें एशिया की समस्याओं में ख़ास दिलचस्पी है क्योंकि हम एशिया के अंग हैं। अफ्रीका की समस्याओं से भी हमारा कई कारणों से संबंध है, जिनमें से एक छोटा सा कारण यह है कि वहां बहुत से भारतीय रहते हैं और हमें उनमें रुचि है। परन्तु वास्तविक समस्यायें विदेश स्थित भारतीयों की ही नहीं हैं, वहां रहने वालों की भी हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इन में से कई समस्या ज़ोर-ज़बरदस्ती से हल नहीं की जा सकती। पिछले ज़माने में जिन शक्तियों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

को दबाया जा सकता था वे अब दब कर नहीं रह सकतीं। मेरी जो सहानुभूतियां हैं और सदन के जो विचार हैं वे तो स्पष्ट हैं परन्तु इनके अलावा वास्तविक स्थिति यह है और मेरी धारणा भी यही है कि एशिया में या अफ्रीका में या कहीं और राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता की जो भावनायें जागृत हुई हैं उन्हें अब कुचला नहीं जा सकता। इन देशों में जातीयता के विरुद्ध जो भावना है, उसे भी मैं यहां शामिल करूंगा।

तो यह स्थिति है। सदन हमारी नीति को जानता है। कभी कभी इसे तटस्थ नीति कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि हम डरते हैं और हम में अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहने की शक्ति नहीं। हो सकता है कि हममें बहुत सी बातों की कमी हो और कभी कभी शायद हम में बुद्धि का भी अभाव हो, परन्तु मैं समझता हूं कि हम में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से या बिना किसी भय के प्रकट करने के साहस की कमी नहीं है। मेरा यह मत है कि अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा भारत के लोगों में इस भय की भावना कहीं कम है।

हमन जिस नीति को अपनाया है वह हमारे विगत इतिहास, विगत परम्पराओं और विगत विचार-धारा के परिणामस्वरूप ऐसी है। यह एक ऐसी नीति है जिसे हम आदर्शवादी आधार पर और व्यावहारिक दृष्टि कोण दोनों से उचित ठहरा सकते हैं। हम घृणा, हिंसा और भय के इस वातावरण में जो शीत-युद्ध के कारण फैला हुआ है, घुसना नहीं चाहते। जहां तक संभव है, हम नहीं चाहते कि जो देश इसके बाहर हैं वे इसमें शामिल हों क्योंकि समस्यायें इतनी जटिल हैं कि ऐसा करने से जिस शान्ति को हम चाहते हैं उसे स्थापित नहीं किया जा सकता। परन्तु, जो कुछ भी हो, दो बातें की जानी चाहियें : एक तो ऐसी कोई बात न की जाये जिससे देशों के बीच जो तनाव है और जो डर है उसमें वृद्धि हो। दूसरी चीज़ यह है कि इस खिंचाव को कम करने के लिये प्रयत्न किया जाये। यदि कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे लोगों का भय और अधिक हो जाता है तो इससे शान्ति भंग होने की संभावना बढ़ जाती है।

इस लिए इस सम्बन्ध में हमें विश्व में अपना कर्तव्य करना है और बिना भय के तथा विश्वासपूर्ण उत्साह के साथ कार्य करना है। इसके साथ ही सब देशों के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने का यह अभिप्राय नहीं कि हम अन्य देशों के विचारों और कार्यों से सहमत हैं, वरन् हमारे अपने विचार हैं। परन्तु मेरा यह निश्चय है और मैं विश्वास करता हूं कि इस विषय में सभा भी मुझ से सहमत होगी कि किसी भी समय और विशेषत: वर्तमान काल में यदि आप अपनी राय प्रकट करना चाहें जिसमें आप किसी अन्य देश की निन्दा करें, और भले ही आप समझते हों कि आपका विचार ठीक है, उसे प्रकट करना सहायक नहीं होगा। क्योंकि उससे केवल द्वेषभाव बढ़ता है और जब लोगों पर क्रोध और द्वेष का इतना अधिक प्रभाव हो तो वह तर्क अथवा न्यायसंगत युक्ति को सुनने के लिए तैयार नहीं होते।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है हम विदेशी समस्याओं में फंसना नहीं चाहते। निस्संदेह हम इससे सर्वथा बच निकलने की आशा नहीं कर सकते क्योंकि हमने विश्व में अपना उत्तरदायित्व निभाना है और भारत ही क्या, कोई भी देश चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो अथवा न हो अलग नहीं

रह सकता। परन्तु हमारा अपने पड़ोसी देशों के साथ विशेष सम्बन्ध है और स्वभावतः हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके इन पड़ोसी देशों के साथ हमारा सम्बन्ध गहरा और प्रेमपूर्ण हो। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सिवाय एक देश के शेष सब के साथ हमारे सम्बन्ध ऐसे ही हैं। जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है उसके साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। इस समय बर्मा सरकार के साथ दोनों देशों के बीच कतिपय समस्याओं और विषयों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है और मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि इस बातचीत के फलस्वरूप संतोषजनक समझौता हो जायेगा। जहां तक लंका का सम्बन्ध है कई माननीय सदस्यों ने हाल के भारत-लंका करार की ओर निर्देश किया है, अंशतः इसकी आलोचना की है और अंशतः उन्होंने अनुभव किया है कि इसकी कुछ बातों से बुरे परिणाम निकल सकते हैं। वस्तुतः जैसा मैंने पहले बताया है, लंका में भारतीय उद्भव के लोगों के सम्बन्ध में भारत लंका करार से समस्या का पूर्ण रूप से निबटारा नहीं हो जाता, वरन् यह उसकी ओर प्रथम पग है। वस्तुतः इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गई है और इसमें मैत्रीपूर्ण, अच्छे तथा सहयोगी ढंग से स्थिति का वर्णन मात्र ही किया गया है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि समस्या के हल के लिए दोनों सरकारों में सहयोग, उनकी सद्भावना और सम्बन्धित लोगों की सद्भावना परमावश्यक है। अतः यदि इस करार से सद्भावना तथा सहयोगपूर्ण प्रयत्न का वातावरण उत्पन्न हो जाए तो हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। क्या इसमें हम अपने किसी अत्यावश्यक सिद्धान्त से टले हैं? मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं हुआ। मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत बातों में नहीं जाऊंगा। यह सच है कि लंका में कुछ स्थानों पर इस की कई प्रकार की परिभाषाएं की गई हैं जिनमें करार के प्रयोजन को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। स्पष्टतया हमारे ऊपर उन परिभाषाओं का बन्धन नहीं है जिन से हम सहमत नहीं और जिनका वस्तुतः करार से सम्बन्ध नहीं है। मुख्य बात यह है कि कई वर्षों के पश्चात् हमने इस प्रश्न को एक भिन्न ढंग से सुलझाने का प्रयास किया है, यह मैत्रीपूर्ण ढंग है और मुझे आशा है कि इसका परिणाम अच्छा होगा।

सदन को ज्ञात है कि कुछ समय अर्थात् एक मास अथवा उससे अधिक समय पहले तिब्बत पर प्रभाव डालने वाले कतिपय विषयों के सम्बन्ध में हमारे प्रतिनिधियों और चीन की जनवादी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच पीकिंग में बातचीत हो रही थी। यह बातचीत अब भी हो रही है। यह बातचीत संतोषजनक ढंग से चल रही है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही उसका भी संतोषजनक परिणाम होगा।

अतः इन पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के साथ—जो न केवल हमारा समीपस्थ पड़ोसी है वरन् गत इतिहास, संस्कृति, परम्परा और अन्य सब प्रकार के बंधनों से किसी अन्य देश की अपेक्षा हमसे अधिक बंधा हुआ है—कुछ ऐसी समस्याएं बिना हल हुये पड़ी हैं जिनका हमारे सम्बन्धों पर दुष्प्रभाव पड़ा है।

जहां तक नहरों के पानी की समस्या का सम्बन्ध है वाशिंगटन में दोनों दलों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। मुझे विश्वास है कि उसमें पर्याप्त प्रगति हुई है परन्तु मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। मैं नहीं जानता कि अन्तिम परिणाम क्या होगा। निष्क्रान्त सम्पत्ति जैसी अन्य समस्याएं अभी पड़ी हैं और कुछ समय से इन विषयों के सम्बन्ध में हमें बहुत निराशा हुई है। बड़ी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

समस्या काश्मीर की है। मैं इस विषय के सम्बन्ध में कुछ देर बाद बोलूंगा, और पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो कुछ नई घटनाएं हुई हैं उनकी ओर निर्देश करूंगा।

मैंने विदेशी मामलों का निर्देश किया है। परन्तु स्वाभाविक ही है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण बात हमारी घरेलू स्थिति है और जो आर्थिक प्रगति हम कर सकेंगे अथवा करना चाहते हैं वह एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप इसकी जांच उत्पादन, प्रति व्यक्ति उपभोग तथा बेकारी में कमी, जिसे भी ठीक समझें उसके आधार पर कर सकते हैं क्योंकि वे सब बातें साथ साथ चलती हैं। अब इन विषयों पर पूर्णतः विचार करने के लिए समय नहीं हैं। परन्तु मैं यह बात सानुरोध कह देना चाहता हूं कि इन विभिन्न समस्याओं में से जो हमारे सामने हैं, यह समस्या सब से बड़ी और महत्वपूर्ण है। मैं अपने उत्तर में जो इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता, तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारी सरकार इसे कम महत्व की समस्या समझती है, परन्तु इस पर इस उखड़े पुखड़े ढंग से विचार नहीं किया जा सकता। जब कभी भी इसके लिए समय मिले इस के किसी पहलू पर पूर्णतः चर्चा करने के लिए मैं सभा का स्वागत करूंगा।

परन्तु मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पहलू पर निष्पक्ष विचार करें। विरोधी पक्ष का यह अधिकार और कर्त्तव्य है कि वे आलोचना करें। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसे पसन्द करता हूं। यदि आलोचना न हो तो किसी भी सरकार में आलस्य आ जाने की सम्भावना है। और इस समस्या पर निष्पक्ष विचार करने के लिए मैं इस इच्छा से नहीं कह रहा हूं कि विरोधी पक्ष की आलोचना कम हो जाये। भारत जैसे बड़े देश म जा कठिन स्थिति में से गुज़र रहा है और जिस के समक्ष कठिन समस्याएं हैं, आलोचना करना तथा त्रुटि निकालना बहुत सुगम है, और हो सकता है कि वह आलोचना युक्ति-संगत हो और बताई गई त्रुटियां भी विद्यमान हों। उसके साथ ही आप को ऐसी बातें मिलेंगी जो श्लाघनीय हों, प्रशंसनीय हों और जिनकी सराहना को जा सके, दोनों प्रकार की बातें हैं और भारत जैसे देश में आप उन दोनों में से किसी की भी लम्बी सूची तैयार कर सकते हैं। अन्ततः यह देखना है कि क्या हम एक विशेष दिशा की ओर बढ़ रहे हैं अथवा नहीं और क्या वह दिशा ठीक भी है अथवा नहीं। यदि मैं आज के भारत की अन्वेषणा यात्रा पर कुछ सदस्यों को ले जा सकूं तो मुझे इस बात में संदेह नहीं कि वे मुझे कई ऐसी चीज़ें दिखा सकेंगे जिनका मुझे ज्ञान नहीं, परन्तु मैं भी उन्हें कई ऐसी चीज़ें दिखा सकूंगा जिनके सम्बन्ध में उन्होंने भले ही समाचार पत्रों में पढ़ा हो परन्तु उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो भी जब हम अपने सामने वस्तुतः व्यवहार रूप में कुछ बातें देखते हैं और केवल कुछ पढ़ लेने की बजाय जब हमें स्वयं देखकर घटनाओं का भावनापूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो उसमें कुछ अन्तर रहता है, क्योंकि मैं भारत में घूमता हूं और देखता हूं कि उन विशाल उपक्रमों पर कैसे काम हो रहा है जिनका फल शीघ्र निकलेगा, और यह भी देखता हूं कि छोटे कार्यों के सम्बन्ध में हमारे लोग स्वयं क्या कर रहे हैं। यह सरकार का प्रयास नहीं है यह वह कार्य है जो लोग कर रहे हैं चाहे उन्हें सरकार की सहायता मिलती हो। मुझ में उत्साह भर जाता है। हृदय में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह मैं सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं जिससे कि मेरा सम्बन्ध है, यद्यपि मैं समझता हूं कि कई विषयों में सरकार ने

बहुत अच्छा काम किया है । मैं इस दृष्टि से विचार नहीं कर रहा कि सरकार ऐसा कर रही है वरन् मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं । यह देख कर मुझे गर्व होता है कि नये भारत के निर्माण में जिसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं हमारे लाखों देशवासी स्त्रियां और पुरुष काम कर रहे हैं । इसका नवनिर्माण हो रहा है । मुझे इसमें संदेह नहीं कि यह नवनिर्माण न केवल बड़े स्थानों पर होना है जिनके सम्बन्ध में आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं वरन् आज के भारत के हज़ारों गांवों में होना है और मुझे आशा है कि एक दो वर्ष में ही वे हज़ारों गांवों हज़ारों नहीं रहेंगे वरन् उनकी संख्या लाखों की हो जाएगी । इस नव निर्माण के कठिन कार्य के साथ साथ एक नए भारत की रूप रेखा बन रही है और मुझे अनुभव होता है कि हमारा प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि हमारे इस प्राचीन भारत में, जिसने नया रूप धारण कर लिया है, क्या हो रहा है । यह एक महान् साहस का कार्य है जिसमें हम सब लगे हुए हैं और जब मैं इसकी ओर देखता हूं तो मैं विचार करता हूं कि यह ऐसा कार्य नहीं जिसके लिए मेरी सरकार उत्तर-दायी है अथवा वह दल उत्तरदायी है जिससे मेरा सम्बन्ध है वरन् यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए इस सदन में बैठे हुए हम सब लोग और भारत की सारी जनता कुछ हद तक उत्तरदायी हैं । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ढंग से इस पर विचार करें । मैं नहीं चाहता कि वह आलोचना अथवा निन्दा करना कम करें । आलोचना करना ठीक है और लोकतंत्रात्मक ढंग के अनुकूल है, मैं इसका स्वागत करता हूं । परन्तु मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य प्रायः सरकार की आलोचना करते हुए भारत के लोगों की भी आलोचना करते हैं. . . . . .

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : बिल्कुल नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू :. . .और यह नहीं समझते कि वास्तव में भारत की जनता ही आज काम चला रही है ।

श्री एस० एस० मोरे : नहीं, श्रीमान् ।

श्री ज़वाहरलाल नेहरू : कुछ माननीय सदस्य इस बात को न मान कर केवल यही जतलाते हैं कि वे भारत की जनता से कुछ दूर से हैं । मैं यह नहीं कहता कि सरकार का तरीका ही सर्वोत्तम तरीका है । हो सकता है कि यह अधिक अच्छा तरीका हो । वर्तमान सरकार अच्छा तरीका अपना सकती है या कोई दूसरी सरकार अच्छा तरीका अपना सकती है, और दोनों के बीच पर्याप्त अन्तर हो सकता है । परन्तु मूल बात यह है कि जो कुछ काम भारत में हो रहा है वह किसी भी सरकार को करना पड़ता और यह काम भारत की जनता कर रही है । यह एक महत्वपूर्ण बात है और दूसरे अवसर पर मैं इस पर फिर बोलूंगा ।

महत्व की बात यह है कि हमें जनता के साथ साथ चलना चाहिये । मेरे माननीय मित्र, डा० जयसूर्य, ने मेरे बारे में, मेरी आधु-निक विचार प्रणाली आदि के बारे में कुछ सराहनात्मक शब्द कहने की कृपा की । मुझ में कितनी कुछ आधुनिकता है, इस बात पर हम फ़ुर्सत से चर्चा कर सकते हैं । परन्तु एक बात की मुझे पूरी चेतना है, और वह यह कि एक सुखद भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुये हमें ३६ करोड़ लोगों के साथ साथ चलना है । मुझ में आधुनिकता होने अथवा और किसी में पुराणप्रियता अथवा प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति होने का इतना कोई महत्व नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है कि यह याद रखते हुये कि प्रगति की ओर हमारी इस यात्रा में करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, हमें उनके साथ साथ चलना है और

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन्हें अपने साथ साथ चलाना है। हमें चाहिये कि हम अपने को जनता से अलग न रखें और हमारी यह धारणा न रहे कि हम श्रेष्ठ हैं और जनता हमारे से बहुत नीची है। हो सकता है कि हम बौद्धिक दृष्टि से साधारण जनता से उच्च हों। परन्तु एक सुखद भविष्य की ओर जो यह यात्रा है यह भारत की जनता की है और कुछ व्यक्तियों अथवा वर्गों की नहीं जो कि अपने को उच्च समझते हों।

इस यात्रा में हमें जनता को विश्वास दिलाना है और अपने साथ साथ चलाना है। ऐसा करने की रीति क्या है ? वही लोकतन्त्रात्मक प्रणाली जो हमने अपनाई है। इस लोकतन्त्रात्मक रीति के अतिरिक्त हमने अपने स्वतन्त्रता संघर्ष में शान्तिपूर्ण रीति अपनाई। वास्तव में, सामान्यतः लोकतन्त्रात्मक तथा शान्तिपूर्ण रीतियां एक साथ चलाई जाती हैं।

श्री नम्बियार (मयूरम) : अहिंसात्मक ढंग से।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी धारणा है कि माननीय सदस्य को शान्तिपूर्ण तरीक़े पसन्द नहीं हैं। कुछ बुनियादी कामों को यदि शान्तिपूर्ण तथा प्रजातन्त्रात्मक तरीकों से करना हो तो बहुत कुछ काम किया जा सकता है। अन्यथा हम अधिक कार्य न कर सकेंगे। मैं इस समय आर्थिक सिद्धान्तों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वे कुछ भी हों और न मैं और व्यापक विश्व की ही बात कर रहा हूं। मैं अपने भारत देश से थोड़ा बहुत परिचित हूं। अन्य देशों को अंदरूनी अथवा बाहरी मामलों में, क्या करना चाहिये, इस सम्बन्ध में परामर्श देने का मैं कोई दावा नहीं करता हूं। परन्तु भारत की दशा जैसी है उस पर विचार करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि शान्तिपूर्ण तरीक़ों का प्रयोग न करने पर परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। यदि आप भारत की एकता को समाप्त कर दें तो आपके प्रगति के सभी प्रयास व्यर्थ हो जायेंगे। मैं इन दोनों बातों को अलग रखना चाहता हूं। मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि ऐसे महान् कार्यों में वे दिल खोल कर सहयोग दें। उन्हें चाहिये कि ऐसा करने में वे अपनी ऊपरी विशेष नीतियों तथा दृष्टिकोणों को स्थान न दें। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि उन्हें अपने विचार प्रकट करने की, हमारी आलोचना करने की तथा हमारी निन्दा करने की पूरी स्वतन्त्रता है। यदि सरकार में दोष हैं, सरकार का स्तर इतना ऊंचा नहीं है जो आपको सन्तोष दे सके तो आप निस्सन्देह सरकार की आलोचना कीजिये परन्तु जो सरकार भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसके सदस्य कितने ही तुच्छ क्यों न हों, उन्होंने कितनी ही भूलें क्यों न की हों, फिर भी केवल इस कारण कि वे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उस जनता की महानता का कुछ न कुछ अंश इस सरकार में अवश्य पाया जायेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भारत के इस महान् साहसिक कार्य की ओर देखें। यह एक प्रयोग भी है तथा साथ ही साथ, एशिया के तथा अन्य स्थानों के, हमारे बहुत से देशों के लिये, यह युद्ध की सम्भावनाओं तथा आर्थिक कठिनाइयों के मुकाबले में अस्तित्व का संघर्ष भी है। हमें इस महान् संघर्ष का सामना करना है और विजय प्राप्त करनी है। हम विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तब कोई कारण नहीं है कि हम अपनी इच्छा पर आलोचना करते हुए तथा अपनी अलग अलग नीतियों पर दृढ़ रहते हुए, जनतंत्रात्मक तथा शान्तिपूर्ण ढंग से, इस संघर्ष का सामना करने के लिये, एक समान आधार क्यों न ढूंढ निकालें ? मेरा आशय यह

नहीं है कि कोई व्यक्ति तथा दल अपना दृष्टिकोण त्याग दे। प्रत्येक दृष्टिकोण—यहां तक कि वे दृष्टिकोण भी जिनसे हो सकता है कि मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं—पूरी तरह से व्यक्त किया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने उस प्रस्तावित सैनिक सहायता के सम्बन्ध में कहा है जो सम्भवतः अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जा सकती है तथा इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के सम्बन्ध में भी कहा है। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि सरकार ने या मैंने इस विषय में उनसे सलाह क्यों नहीं ली। हम सब एक हो कर काम करते। निस्सन्देह मैं चाहता भी यही हूं कि हम सब, राष्ट्र से सम्बन्ध रखने वाले किसी गम्भीर विषय में, एक होकर काम करें। इतना ही नहीं मैं तो यहां तक चाहता हूं कि अन्य बातों में भी हम अधिक से अधिक एकता से कार्य कर सकें। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, ऐसे अवसरों पर, मुझे सदन के अथवा सदन के किसी भी दल के किसी भी सदस्य से, परामर्श करने में प्रसन्नता होगी। परन्तु किसी भी संयुक्त नीति के लिये यह आवश्यक है कि वह दृष्टिकोण की मूल एकता पर आधारित हो। यदि उसका मूल ही वैपरीत्य होगा तो उसके आधार पर एकता का ढांचा खड़ा करना या किसी संयुक्त नीति के अनुसार काम करना कठिन है। यदि इस सदन के कुछ सदस्य हम से कहते हैं कि हमारी वैदेशिक नीति सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण तथा मार्गभ्रष्ट हैं, हमें इसका परित्याग कर कुछ और करना चाहिये तो निश्चय ही किसी प्रकार की दृष्टिकोण की एकता नहीं रह जाती है क्योंकि यह नीति केवल दावपेंच का उलट फेर नहीं है वरन् हमारे विकास, हमारे आन्दोलन, हमारी विचारधारा तथा अन्य बहुत सी बातों पर आधारित है। और मेरे विवेकानुसार तो उस नीति के परिणाम बहुत अच्छे हुए हैं। हो सकता है माननीय सदस्यों को मेरा विचार मान्य न हो। कुछ न कुछ इस प्रकार की दृष्टिकोण की एकता होना आवश्यक है।

यदि मैं आलोचना करता हूं और अनुभव करता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देगा तो कोई माननीय सदस्य उठ खड़े होते हैं और कहते हैं: हम भी अमरीका से सैनिक सहायता क्यों नहीं लेते हैं? इससे प्रकट होता है कि या तो हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अपनी नीति को इतनी भली प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पाये जिससे वे उसका आशय ठीक ठीक समझ पाते अथवा उनका विचार है कि हमारी नीति बिल्कुल ग़लत है क्योंकि यदि मैं समझता हूं कि भारत के प्रश्न को अलग रखते हुए भी, एशिया के दृष्टिकोण से तथा और कई विचारों से पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना ठीक नहीं है और यदि हम वही ग़लती करें तो हमारा सत्यानाश निश्चित है। उसके बाद हमारे पास किसी भी नीति का औचित्य नहीं रहेगा। इसलिये हमारे दिमाग़ में इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिये। या कोई और परामर्श देगा: "अमरीका ने ऐसा किया है इसलिये रूस के पास भागो और उससे सैनिक सहायता प्राप्त करो।" यह सारी बातें किसी विकृत विचारधारा पर आधारित हैं। हम जिस मौलिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं उसके यह पूर्ण रूप से विरुद्ध है। किसी भी बाहरी देश की सहायता लेने पर—मैं इसके गुण दोषों का वर्णन नहीं करना चाहता—हमारी सारी नीति ख़तम हो जाती है और हमको फिर से विचार करना होगा कि इस सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिये। इसलिये मेरा विचार है कि किसी न किसी प्रकार की दृष्टिकोण की एकता होना बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनका अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये। यदि हमें शान्तिपूर्ण

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तथा जनतन्त्रात्मक तरीकों से काम करना है तो हमारे संविधान के अनुसार, सत्ता संसद् के हाथ में है, सब दलों से ऊपर, हमारा राष्ट्रपति राज्य का प्रतीक है तथा और भी अनेक बातें हैं। यह हो सकता है कि वे, राष्ट्रपति के रूप में, अपने अभिभाषण में यही बताते ही कि सरकार क्या करना चाहती है। यह बात और है। परन्तु वे राज्य के प्रतीक हैं। हमारा एक झण्डा है। हमारा एक राष्ट्र गीत है। मैं बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शिकायत के रूप में नहीं वरन् दुःख से कह रहा हूं। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि इस सत्र के आरम्भ होने पर, जब राष्ट्रपति ने सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के सामने अपना अभिभाषण पढ़ा तो कुछ माननीय सदस्य जान बूझ कर तथा गर्व से सम्मिलित नहीं हुए। मैं इस के गुण दोष नहीं बता रहा हूं। फिर भी राष्ट्रपति राज्य का तथा राज्य के सम्मान का एक प्रतीक हैं। केवल इतना ही नहीं वरन् हमारे कुछ राज्य विधान मण्डलों में भी यही कार्य राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल भी इसी प्रकार एक प्रतीक के रूप में हैं। इसकी कोई बात नहीं कि चाहें आप राज्यपाल को पसन्द करें या न करें, चाहे वह देखने में सुन्दर हो या इतना आकर्षक न हो। ये तो राज्य की एकता के प्रतीक होते हैं। और यदि हम उस प्रतीक का आदर न करें तो इस से राज्य की एकता के विचार को आघात पहुंचता है। यदि एक दल ऐसा करता है और दूसरा भी ऐसा ही करता है तो किसी न किसी गुट के लिये ऐसा करने की प्रथा ही चल पड़ेगी क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ पसन्द नहीं होगा। मैं न केवल यहां के माननीय सदस्यों से अपितु अन्यत्र के सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि इन अभिसमयों का पालन किया जाना चाहिये। ऐसी प्रथा क्यों है—जोकि हमने अन्य संसदों, विशेष रूप से ब्रिटिश संसद् से ली है—कि मैं "विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य" या "विद्वान् सदस्य" या "मेरे विद्वान् सहयोगी" कहूं ? ये सब प्रथायें हैं। जब मैं "विद्वान् सदस्य" कहता हूं तो इस का यह अर्थ नहीं कि वह बहुत विद्वान् हैं। परन्तु ये तो केवल शिष्टता प्रदर्शित करने के लिये कुछ प्रथायें हैं। इन शब्दों के प्रयोग करने से हमारा आचरण उचित और गौरवपूर्ण बना रहता है। हम भारत की संसद् हैं और हमारी स्थिति बहुत गौरवमय है। हमारे लिये औरों के समक्ष आदर्श रखना उचित ही है।

मैं आर्थिक स्थिति के सम्बंध में अधिक नहीं कहूंगा, किन्तु अपनी ओर से तथा अपनी सरकार की ओर से इतना अवश्य कहूंगा कि हम आर्थिक विषयों पर किसी सिद्धान्त या पहले से नियत विचारधारा के अनुसार विचार नहीं करते अपितु बिल्कुल खुले दिमाग से विचार करते हैं। हम अपनी पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में किसी से भी किसी भी बात पर विचार करने को और किसी भी चीज़ को बदलने को और यदि हमें विश्वास हो जाये तो किसी भी बात को मानने के लिये तैयार हैं। क्योंकि यह एक कठिन समस्या है और मुझे आशा है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि इसे सरलता से हल नहीं किया जा सकता। चाहे हम किसी भी नीति को अपनायें यदि हम कठोर परिश्रम करेंगे और एकता बनाये रखेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हो सकता है हम अब जो तरीके अपना रहे हैं उन की अपेक्षा यदि कुछ और ढंग अपनायें तो सम्भवतः अधिक अच्छे परिणाम हो सकें। हमें इस पर विचार करना चाहिये। हम हर चीज़ पर विचार करने को तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य ने हमारी प्रशासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहा था और मेरे उद्धरण दिये थे। हम इस पर विचार कर रहे

हैं और मुझे आशा है कि हम इस में इस प्रकार से सुधार कर लेंगे। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा—क्योंकि प्रशासन की आलोचना की गई थी—कि आलोचना करना और कहीं कहीं भूलचूक बताना बड़ा सरल है। तथापि, मैं समझता हूं कि हमारी प्रशासन व्यवस्था ने काफी हद तक अपने आपको वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया है और बना रही है और इसमें हमें पर्याप्त सफलता भी मिली है और हमारी प्रशासन व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से या यों कहिये कि इसके कर्मचारी उतने ही अच्छे हैं जितने कि आप को किसी अन्य देश में मिल सकते हैं। स्वाभाविकतया मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है इसलिये मैं सब के बारे में नहीं कह सकता, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ औसत दर्जे के हैं। परन्तु सामान्यतया ऐसी ही बात है और मैं यह अपने अन्य देशों के कुछ ज्ञान के आधार पर कह रहा हूं। किन्तु फिर भी हमें इसे सुधारना है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना है। एक माननीय सदस्य ने हमारी सेवाओं के पुराने नियमों और विनियमों और इस सम्बन्ध में कि हमारे प्रशासन को किस प्रकार कार्य करना चाहिये जो कुछ कहा था मैं उनकी बातों से पूर्णतया सहमत हूं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस सब को बदलना चाहिये। वास्तव में इस समय हम यही करने में लगे हुए हैं और मुझे आशा है कि थोड़े समय में ही यह कार्य पूरा हो जायेगा। इसकी बनावट बड़ी जटिल है और इन चीजों को बदलना इतना सरल नहीं है, क्योंकि एक परिवर्तन करने से दूसरा परिवर्तन भी हो जायेगा। खैर, मेरा सदन से यह निवेदन है कि इस समय इसकी बहुत सी आलोचना की जा सकती है। मैं अपनी ही सरकार की आलोचना करता हूं। और कई बार करता हूं।' मुझे इसका कोई कारण भी दिखाई नहीं देता कि मैं ऐसा क्यों न करूं। परन्तु मेरी आलोचना में और सम्भवतः औरों की आलोचना में अन्तर है। मैं मित्रभाव से आलोचना करता हूं—यह आलोचना वास्तव में प्रायः क्रोधपूर्ण शब्दों में व्यक्त होती है—क्योंकि यह हमारे सहयोगियों की आपस की बात है। परन्तु हम इसे सुधारना चाहते हैं। इसमें हम सभी की सहायता चाहते हैं। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के पश्चात् और विशेष रूप से आज की विश्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत पर शासन करने का कार्य एक बहुत बड़ा काम है। मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे विचार में हमारी सब असफलताओं के बावजूद भी हमारा काम अच्छा ही हो रहा है। हो सकता है और कोई इससे अधिक अच्छा कर सकता। परन्तु हमें इस विषय पर आर्थिक, प्रशासनात्मक तथा हर दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये जिससे कि हम इसे चलाने का कोई अच्छा ढंग निकाल सकें और उस अच्छे ढंग को अपनाना चाहिये।

अब मैं पाकिस्तान को प्रस्तावित अमरीकी सहायता के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। सदन को ज्ञात है कि हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ है और यह कहा जाता है कि इसके पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य सैनिक सहायता के लिये कोई व्यवस्था होगी। मैंने गत दिसम्बर में सदन की बैठक स्थगित होने से पूर्व इसके विषय में कहा था और इसके सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की थी। इस चिन्ता का कारण यह नहीं था कि पाकिस्तान के विरुद्ध तथा अमरीका के विरुद्ध हमारे अंदर कोई विद्वेष का भाव था। परन्तु मुझे उस समय अनुभव हुआ था, तथा उस समय से मैंने बराबर अनुभव किया है, कि यह एक बिल्कुल ग़लत क़दम है। इस प्रकार संसार में भय तथा तनातनी बढ़ेगी। ऐसे कार्य का औचित्य यदि सिद्ध भी करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह भी इसी आधार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर कि इसके द्वारा शान्ति स्थापित की जायेगी तथा सुरक्षा का विश्वास उत्पन्न होगा। मैं यह मानने को तैयार हूं कि जो लोग ऐसे कार्य के समर्थक हैं उनमें भी यही भावना है। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि संसार अथवा एशिया की सुरक्षा को सुदढ़ बनाने के स्थान पर, ऐसे कार्यों से एशिया में तथा संसार के अन्य भागों में तनातनी बढ़ेगी, भय और आशंका और अधिक हो जायेंगे तथा एशिया के लिये ख़तरा और अधिक हो जायेगा अस्तु शान्ति अथवा तनातनी को कम करने के दृष्टिकोण से ऐसा करना बहुत ग़लत होगा। सैनिक दष्टिकोण से ऐसा करना उचित हो सकता है मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं सैनिक तो हूं नहीं। मैं मानता हूं कि सैनिक बहुत अच्छे लोग हैं। सैनिकों का होना, कम से कम वर्तमान संसार में बहुत आवश्यक है। परन्तु सैनिकों के ही दृष्टिकोण से संसार की घटनाओं को देखने का प्रयत्न करना बहुत ही खतरनाक है। सुरक्षा के विषय में सैनिक का दृष्टिकोण अलग चीज़ है और राजनीतिज्ञ अथवा नीतिज्ञ का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। उनमें एक सामंजस्य स्थापित करना है। जब युद्ध छिड़ता है तो सैनिक सर्वोपरि होता है, और बिल्कुल तो नहीं किन्तु करीब करीब उसी का बोलबाला रहता है। लेकिन जब शान्तिकाल में भी शासक की बागडोर सैनिकों के हाथ में आ जाती है तो शान्तिकाल के युद्धकाल में बदल जाने की सम्भावना बढ़ जाती है।

तब फिर किस प्रकार हम इसका संतुलन कर सकते हैं? इस प्रकार का यह माया जाल समस्त संसार में फैला हुआ है जो सच्चे और सही रास्ते पर जाने से हमें रोकता है; आर्थिक समस्याओं, गरीबी तथा अन्य सभी बातों को सुलझाने के लिए आज संसार के पास सभी शक्ति और साधन हैं। निश्वास में यह पहिला ही अवसर है जबकि इनको निपटाने के लिये संसार के पास शक्ति एवं अन्य सभी साधन मौजूद हैं। किन्तु ऐसा करने तथा सम्पूर्ण मानवता के लिए अच्छा भविष्य बनाने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही हमें युद्ध की तैयारियों एवं उसका डर और तनाव बना हुआ है और आशंका है कि कहीं युद्ध ही न हो जाय। यह बड़ी विचित्र बात है।

इन तनावों को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं? सैनिक दृष्टि से सोच कर नहीं। मैं इस से सहमत हूं और स्वीकार करता हूं कि कोई भी देश सेना की उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई भी देश अपने आपको कमज़ोर नहीं बना सकता और अपनी कमज़ोरी से दूसरे देशों को लाभ उठाने के लिए अपने आपको समर्पित नहीं कर सकता। कोई भी देश क्यों न हो इसे स्वीकार करने के बाद, यदि वह शान्ति का प्रयत्न करते हैं तो यह कार्य युद्ध की बात करके, धमकियां देकर, और सभी समय ज़ोर शोर से लड़ाई की तैयारियां करके नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहिले भी कहा है और मैं विश्वास करता हूं तथा सहमत हूं कि जिस प्रकार मैं चाहता हूं, उसी प्रकार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भी यह चाहते हैं कि भारतवर्ष तथा पाकिस्तान में अच्छे सम्बन्ध होने चाहियें। इस मामले में उनके मन्तव्यों के सम्बन्ध में मुझे कोई भी सन्देह नहीं है और मैं आशा करता हूं कि उनको भी मेरे मन्तव्यों के सम्बन्ध में भी कोई सन्देह नहीं होगा। यह केवल मन्तव्यों का ही प्रश्न नहीं है। यदि कोई ऐसी कार्यवाही की जाती है जिसका परिणाम निश्चय ही हानिकारक होता है तो संसार के सभी सर्वश्रेष्ठ मन्तव्य उस दुष्परिणाम को नहीं टाल सकते। श्री मुहम्मद अली ने इस सम्बन्ध में बहुत से वक्तव्य दिये हैं। सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि "भारतवर्ष इसका विरोध क्यों

करता है।" हालांकि उनका देश स्वतन्त्र है, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। किन्तु यदि किसी चीज़ का समूचे एशिया पर और विशेषतः भारतवर्ष पर प्रभाव पड़ता है तो भला हम कैसे चुप रह सकते हैं यदि हमारे विचार से कोई चीज़ ऐसी है जो सैंकड़ों वर्षों के इतिहास को उलटती हो तो क्या हम चुप रहेंगे ? हमने अपने देशों को स्वतन्त्र करने की बात सोची है और विदेशी सैनिक बल को अपने यहां से हटाना ही उस स्वतन्त्रता का एक चिह्न है। हालांकि स्वतन्त्रता में फिर भी सम्भवतः कोई कमी रह सकती है किन्तु फिर भी सैनिक दलों का हटाना किसी प्रकार एक बाहरी चिह्न तो है। मेरा कहना है कि यूरोप के अथवा अमरीका के किसी भी देश से सैनिक सहायता या उसी प्रकार की वस्तु का लेना विदेशी सेनाओं को पुनः बुलाने जैसा है। काश्मीर के सम्बन्ध में दो अथवा तीन वर्ष पूर्व यह कहा गया था—और मेरा ध्यान है कि उस दिन भी किसी ने कहा था—कि यूरोप अथवा अमरीका के कुछ देशों की सेनाएं चाहे वे किसी भी प्रकार की सेनाएं क्यों न हों काश्मीर में रख दी जायं हमने इसे बिल्कुल अस्वीकार कर दिया क्योंकि किसी भी समय चाहे जो कुछ भी हो जाय हम विदेशी सेनाओं को भारत भूमि में पैर नहीं रखने देंगे। हमारा यह पक्का निर्णय है।

यह हमारा दृष्टिकोण है जो भारतीय दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ गया है। मैं कहता हूं कि यह वह दृष्टिकोण है जो समूचे एशिया महाद्वीप अथवा उसके बहुत बड़े भाग पर लागू होता है। अतः पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सहायता को भी हम शंका तथा अफ़सोस की दृष्टि से देखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमरीकी सरकार इस प्रश्न को इस दृष्टि से नहीं देखती वह तो अपने देश के वातावरण से देखती हैं अतः यही कठिनाई है। यूरोप की समस्याओं के बारे में जो दूर की समस्या है—मैं अपने विचार प्रकट करना नहीं चाहता। किन्तु अपने देश, अपने पड़ौसियों तथा एशियाई देशों के बारे में विचार प्रकट कर सकता हूं क्योंकि मैं उनको यूरोपीय तथा अमरीकियों से अधिक जानता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि भारतवर्ष अपने विचार तथा इच्छाएं दूसरे देशों पर थोपना चाहता है, हम किसी भी प्रकार की नेतागिरी के इच्छुक नहीं हैं, किन्तु भारत तथा उन सभी देशों का पिछले दो सौ अथवा तीन सौ वर्षों का एक सा इतिहास रहा है, क्योंकि हमारे अनुभव उन जैसे ही हैं अतः हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। अतः मैं आज यदि कोई बात कहता हूं तो बहुत कुछ अंशों में वह बात मेरे पड़ौसियों की भी होगी क्योंकि हमारी सब की एक ही पृष्ठ-भमि तथा एक से ही अनुभव रहे हैं और हमारी समस्याएं भी एक सी ही रही हैं।

अतः एशिया की समस्याओं का अब हल होना है और बड़े राष्ट्र इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इच्छुक हैं किन्तु यदि वे समझते हैं कि एशिया की ये समस्याएं एशिया अथवा एशिया के देशों के विचारों के समर्थन के बिना स्वतः ही हल कर लेंगे तो वे गलती पर हैं।

जैसा कि सदन भली भांति जानता है कि काश्मीर की संविधान सभा ने अभी हाल में उन संकल्पों तथा संविधान के उन भागों को पारित किया है जिन पर कि वह विचार कर रही थी। हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि काश्मीर की जनता को अपना संविधान बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। और जहां तक इसके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय वचनों की बात है हम उनका पूरा पूरा पालन करेंगे। संविधान सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार किया है। वस्तुतः यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा काश्मीर के निर्वाचित व्यक्तियों की इच्छा प्रकट की गई

[श्री जवाहरलाल नहरू]

है । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जनमत अथवा किसी अन्य के प्रति किये गये हमारे अन्तर्राष्ट्रीय वचनों में यह रुकावट डालेगी । पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत में मिलने की काश्मीर संविधान सभा के विनिश्चय को मैं अस्वीकार कर दूं । यह बेहूदा मांग है ऐसा कैसे हो सकता है ? लेकिन हम इसके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय वचनों का पालन करेंगे । अब चूंकि पाकिस्तान अमरीका से फौजी सहायता ले रहा है इसलिए सारी स्थिति बदल गई है । इस फौजी सहायता के बारे में कि वह क्या है, किस प्रकार की है तथा किस रूप में मिलेगी इसके बारे में अभी तक मैं नहीं जानता । इस समूचे प्रश्न के गुणावगुण को दृष्टिगत रख कर मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं । यह इतनी बुरी बात है कि यह तो स्वतः ही इतिहास को उलटना है । श्री मुहम्मदअली ने कहा है कि यदि हमें अमरीका से यह सहायता मिल जायगी तो काश्मीर की समस्या हल करना सरल हो जायगा । इसके दो अर्थ हो सकते हैं—एक यह कि वह फौजी हमला कर काश्मीर की समस्या हल करना चाहते हैं या दूसरा यह कि वह दबाव डालना चाहते हैं । अतः इन दोनों बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करना है ।

कुछ सदस्य कहते हैं कि हम काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस क्यों नहीं ले लेते । हम ऐसा नहीं करना चाहते क्यों कि भारत के वचनों की प्रतिष्ठा है । हम अन्तर्राष्ट्रीय वचनों का पालन करेंगे । पांच या छः वर्ष पूर्व क्या ठीक था या क्या गलत, इसके बारे में चर्चा करना अब उचित नहीं है । अब तो हमें इस वर्तमान स्थिति पर विचार करना है ।

अब मुझे कुम्भ मेले के विषय में कुछ कहना है जिस पर मेरे मित्र आचार्य कृपलानी ने कुछ कहा है । मैं कुम्भ मेले के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिये हमें जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिये । परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा, महान् आचार्य जी ने यह कहा था कि सरकार लोगों को मेले में आने के लिये निमंत्रित कर रही थी और प्रोत्साहित कर रही थी तथा उन्हें मेले में जाने के लिये धकेल रही थी क्योंकि हमने इस के लिये विशेष गाड़ियां चलाई थीं और इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था की थी । मेरा यह निवेदन है कि वस्तुस्थिति यह नहीं है । जहां कहीं भी बहुत अधिक भीड़ होने की आशा होती है रेलवे उसके लिये व्यवस्था करती है—हमें ऐसा करना पड़ता है—और सत्य तो यह है कि लाखों लोग इस अवसर पर इसलिये नहीं आ सके क्योंकि रेलों में स्थान नहीं था । माननीय सदस्य ने यह कहा था कि लोग डिब्बों की छतों पर यात्रा कर रहे थे, विशेष रूप से मीटर लाइन के विभाग पर यही स्थिति थी । इससे यह पता लगता है कि रेलों में इतनी अधिक भीड़ थी कि लोगों को डिब्बों की छतों पर खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी । इतनी अधिक भीड़ थी और रेलवे को यथासम्भव अच्छे से अच्छा प्रबन्ध करना पड़ा । मुझे अब भूल गया है दस वर्ष पूर्व हरिद्वार के कुम्भ के मेले के अवसर पर भी यही सब प्रबन्ध किये गये थे—मेरे विचार में ३०० या ४०० विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं । यह करना पड़ता है ।

मैं इस विषय के दूसरे पहलू के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । एक यह आरोप लगाया गया था कि सरकार एक दल विशेष के लाभ के लिये इस मेले से अनुचित लाभ उठाना चाहती थी । मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ । मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार का यह दृष्टिकोण है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां

तक मेरा सम्बन्ध है मैं अपने मित्र श्री पुरुषोत्तम दास टंडन की उन बातों से सहमत हूं जो कि उन्होंने अभी अभी कही हैं कि लोग समझते हैं और उनकी यह भावना है या देश की यह भावना है या किसी अन्य व्यक्ति की यह भावना है कि उनका ग्रहों, सूर्य या चन्द्रमा से सम्बन्ध है और वे गंगा में स्नान करके अपने पाप धो सकते हैं तथा इसी प्रकार की और बातें हैं। मैं किसी के विश्वास की आलोचना करना नहीं चाहता या उसे दुःख पहुंचाना नहीं चाहता, किन्तु इस सदन के बहुत से सदस्य जानते हैं कि मैं कभी ऐसा कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देता जब मैं ज्योतिषियों और इसी प्रकार के लोगों के विरुद्ध कुछ न कहूं। मैं समझता हूं कि ये लोग सब से अधिक अवांछनीय व्यक्ति हैं। और ये देश को बहुत हानि पहुंचाते हैं।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): फिर भी ये फल-फूल रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, मुझे आशा है कि ये नहीं फले-फूलेंगे। मुझे इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है। एक माननीय सदस्य ने अन्ध विश्वासों का उल्लेख किया था। मैं उनकी बात से सहमत हूं, किन्तु मैं इतना और कहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो किसी न किसी अंध विश्वास में विश्वास नहीं करते। यह तो प्रत्येक की अपनी सत्यधर्मावलम्बिता और दूसरे की नास्तिकता का प्रश्न है। प्रत्येक अपने अन्ध विश्वास को ठीक समझता है और दूसरे के अन्ध विश्वास को 'अन्ध विश्वास मात्र' समझता है। निस्सन्देह कुछ धार्मिक अन्ध विश्वास होते हैं, किन्तु राजनीतिक अन्ध विश्वास और आर्थिक अन्ध विश्वास तथा अन्य भी कई प्रकार के अन्ध विश्वास होते हैं। हमें इन सब अन्ध विश्वासों को दूर करना चाहिये और इन्हें दूर करने का वस्तुतः केवल एक ही तरीका है कि हम विज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ायें और इसी कारण मैं यह समझता हूं कि सरकार ने सब से अच्छी चीज़ यह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करके की है जिनमें कि वैज्ञानिक परीक्षण किये जाते हैं।

परन्तु मैं एक और पहलू के बारे में भी यहां कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुम्भ मेले में गया था, जैसे कि मैं पहिले भी जाता रहा हूं। जैसा कि सदन को सम्भवतः विदित है, इलाहाबाद में ही मैं पैदा हुआ था और वहीं पला था; या यों कह सकते हैं कि गंगा और यमुना के किनारे पर ही पैदा हुआ था और पला था और गंगा तथा यमुना मेरे बचपन के साथी के रूप में मुझे बहुत प्यारी हैं। जब कभी मुझे अवसर मिलता है, मुझे गंगा में नहाना बड़ा अच्छा लगता है। परन्तु मैंने पवित्र अवसरों पर वहां न नहाने का निश्चय किया हुआ है जिससे कि लोगों को भ्रान्ति न हो। यदि मुझे वहां जाने का कोई अवसर मिलता है—दुर्भाग्य से मुझे ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं और मुझे इसका दुःख नहीं है—तो ऐसे अवसरों पर मैं जान-बूझ कर वहां नहीं नहाता क्योंकि लोग यह न समझें कि मैं इस चीज़ को प्रोत्साहन देना चाहता हूं।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): परन्तु और लोग तो इससे उल्टा करते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है; मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु मैं तो सदन को यह बताने लगा था कि नक्षत्रों या गंगा में नहाने का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु जहां कहीं भी भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं उनका मुझ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मुझ पर उनका प्रभाव पड़ता है और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, उन्हें समझना चाहता हूं और उन्हें अच्छे ढंग से सिखलाना चाहता हूं। इसी कारण जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं ऐसे स्थान पर जाने का प्रयत्न करता हूं,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुम्भ के मेले को देखने के लिये नहीं। मैं पहले भी मेलों में जा चुका हूं। किन्तु केवल उनकी निन्दा करने के विचार से नहीं। ये लोग बड़े अच्छे हैं। उनके अपने अन्ध विश्वास हैं। यदि मैं किसी चीज़ को गलत समझता हूं और उन्हें इसका विश्वास दिला सकूं, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता हूं। परन्तु यदि लोग जा कर गंगा में डुबकी लगा लें तो इससे मेरी कोई हानि नहीं होती और मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं इस विषय में अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट क्यों करूं जब कि मेरे दूर करने को और बहुत सी बुराइयां हैं। और फिर इसको करने के और भी ढंग हैं। मेरे मन में ऐतिहासिक भावना जाग उठती है और मैं यह सोचने लगता हूं कि लोग सैकड़ों वर्षों से ऐसा क्यों करते चले आ रहे हैं, इसके पीछे अन्ध विश्वास के अतिरिक्त और कौनसी शक्ति है? इसके पीछे ज़रूर कोई और बात होगी और मैं तो अपने आपको उनके अनुकूल बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं भी उन में से ही एक हूं और उन्हें समझना चाहता हूं।

यह सब कुछ मैंने सदन के समक्ष निजी स्पष्टीकरण के रूप में कहा है। सदन ने मेरी बातों को जिस धैर्य से सुना है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां): श्रीमान् राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में मैं दो तीन बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इस सदन में तथा इससे बाहर भी लोग प्रधान मंत्री की शान्ति सम्बन्धी कोशिशों की सराहना करते हैं। देश का प्रत्येक समुदाय अथवा दल प्रधान मंत्री की विदेश नीति का अनुमोदन करता है। केवल देश का शत्रु ही इसका विरोध कर सकता है।

श्रीमान्, राष्ट्रपति के अभिभाषण से, जिसके लिये कि जनता उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, देश को भारी निराशा हुई है। इसमें कोई सार नहीं था। जनता समझती थी कि शायद इसमें देश के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में किन्हीं मूल परिवर्तनों की घोषणा की जायेगी, परन्तु उन्हें इसे देख कर उदासीनता हुई। श्रीमान्, ऐसे अभिभाषण का फायदा ही क्या है जिसमें कि बेकारी, निरक्षरता, छुआछूत, भिखमंगी, तथा ऐसी अन्य समस्याओं की ओर ध्यान न दिया गया हो। इन समस्याओं को हल करने के लिये कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है। जहां तक बेकारी का सम्बन्ध है, हमें मालूम है कि किस तरह हमारे शिक्षित युवक रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। कई लोगों ने काम न मिलने के कारण ही आत्म-हत्या की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल इतना कहा गया है कि अधिक लोगों को काम दिलाने के लिये योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद ४३ में कहा गया है कि राज्य जनता को काम आदि दिलाने के सुविधायें देगा। वह उन्हें काम की सुविधायें न दे, परन्तु उन्हें जीवित रखने के लिये कुछ न कुछ दिया जाना चाहिये। मेरे विचार में इस अभिभाषण में वह उपाय बताये जाने चाहियें थे जो कि बेकारों को काम दिलाने के लिये किये जायेंगे अथवा उन सुविधाओं का ज़िक्र किया जाना चाहिये था जो कि बेकारों को उस समय तक मिलतीं जब तक कि उन्हें काम मिल जाता। नौकरी दिलाऊ केन्द्र बेकारों को काम दिलाने में सफल नहीं रहे हैं। तिरूचीरापल्ली में मुझे बताया गया कि राज्य सरकारें नौकरी दिलाऊ केन्द्रों को तो अपना सहयोग देती हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार के विभाग यह सहयोग नहीं देते हैं। केन्द्रीय सरकार के विभाग इन केन्द्रों

से बाहर ही लोगों से प्रार्थना पत्र मांगते हैं तथा इस तरह से पैसा कमाते हैं।

दूसरा विषय जिस पर कि मैं बोलना चाहता हूं अनुसूचित जातियों की दुर्दशा है। इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिये संविधान में भी एक अनुच्छेद रखा गया है। परन्तु देखना यह है कि इन स्वतंत्रता के सात वर्षों में हम इन अभागे लोगों के लिये क्या कुछ कर सके हैं। वह छुआछूत का अब भी शिकार हो रहे हैं। निर्धनता का यह हाल है कि उन्हें न खाने को रोटी है और न रहने को मकान। उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। ग्रामों में इन लोगों के पास खेती के लिये ज़मीन नहीं। यह लोग अधिकांश रूप से खेतिहर मजदूर हैं। हट्टे कट्टे लोग हैं किन्तु खेती के लिये इन के पास ज़मीन नहीं। इसी तरह से बहुत से ऐसे हरिजन छात्र हैं जिन्हें छात्र-वृत्तियां नहीं मिलती हैं। कुछेक छात्रों को छात्रवृत्तियां देने से अथवा कुछेक हरिजनों के लिये नौकरियां सुरक्षित रखने से काम नहीं चल सकता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकारों को अनुदेश दे कि वह इस ओर ध्यान दे कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ज़िले में जो भी ज़मीनें बेकार पड़ी हैं, वह उन हरिजनों को दी जायें जो भूमिहीन खेतिहर-मज़दूर हैं।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कुंभ मेले की दुःखद घटना के सम्बन्ध में है। यह दुःखद घटना हमारे देश के लिये लज्जा का विषय है। श्रीमान् उस दिन आपने अपना निर्णय देते हुये कहा कि अंधविश्वास के विषय पर यहां चर्चा करना असंगत है...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरे निर्णय को गलत समझे हैं। मैं ने यह कहा था कि लोग अपनी इच्छा से वहां आये थे। सरकार उनको रोक नहीं सकती थी। हम केवल सरकार के प्रबन्ध कार्य के विषय पर चर्चा कर सकते थे। उस समय अंधविश्वास आदि बातों पर चर्चा करना असंगत था।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, भारत ने अनेक चिन्ताशील और क्रान्तिकारी व्यक्तियों को जन्म दिया है। इस भूमि ने बुद्ध, वल्लुवार, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, आदि महापुरुषों को जन्म दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अंधविश्वास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन सब विषयों में जाना अनावश्यक है।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, हमारे मंत्री-गण जब कभी भी मन्दिरों में जाते हैं तो पूरा राजकीय आडम्बर उनके साथ रहता है। वे सरकारी रूप में मन्दिरों में क्यों जाते हैं? व्यक्तिगत रूप में उनके मन्दिर में जाने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, लेकिन सरकारी रूप में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। हमारे राज्य के धर्म निरपेक्ष पहलू पर इसका असर पड़ता है। भारत में डाक के दो आने वाले टिकट पर नृत्य करते हुये हिन्दू देवता की मूर्ति है। पोस्टकार्ड पर भी हिन्दू देवता की मूर्ति अंकित है। डाक के टिकटों पर हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियां छापने की क्या आवश्यकता है? राज्य को किसी भी धार्मिक कृत्य में शरीक नहीं होना चाहिये, भले ही वह हिन्दू धर्म हो अथवा इस्लाम या ईसाई धर्म हो। धर्म निरपेक्ष नीति को ध्वंस करने वाली सरकारी नीति से मैं घृणा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पांच मिनट श्री नन्दलाल शर्मा को देता हूं।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलोभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य. ॥

[श्री नन्द लाल शर्मा]

मारुति के इस श्लोक को दोहराने का कारण सरल है । इस श्लोक का हनुमान द्वारा लंका में उस समय उच्चारण किया गया था जब उन्हें चारों ओर से राक्षसों ने घेर लिया था। (अन्तर्बाधा) । अध्यक्ष महोदय ने मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया है और यदि अन्तर्बाधा होती रही तो मैं उनसे समय बढ़ाने की प्रार्थना करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तर्बाधा उपस्थित न कीजिये ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं भारत के इतिहास की महानतम विपत्ति---कुंभ मेले से आरंभ करता हूं । मुझे यह देख कर तीव्र वेदना हुई कि सदन में कतिपय माननीय सदस्यों ने जले में नमक छिड़कने का प्रयत्न किया है । आपत्ति घटित होने के बाद उन्होंने हिन्दू विचारधारा हिन्दू समाज और उसके उत्सवों की आलोचना कर डाली। यह मत कि अंधविश्वास के कारण ही सहस्रों व्यक्ति मृत्यु के शिकार हुए, मैं समझता हूं, कि स्वयं भी एक अंधविश्वास है । विगत लाखों वर्षों से लाखों हिन्दू गंगा जी में स्नान कर रहे हैं । यह कोरा अंधविश्वास नहीं है । महाकवि कालिदास ने इसका वर्णन किया है, वाल्मीकि ने इसे गुञ्जायमान किया है और व्यास ने भी इसका उल्लेख किया है । आज भी यह बात स्पष्ट है कि गंगा का जल अन्य समस्त नदियों से श्रेष्ठ है । मेरा विचार है कि हमारी अत्यंत युक्तिसंगत प्रथा को अंधविश्वास कह कर पुकारना राष्ट्रविरोधी वृत्ति है ।

मैं सरकार की असफलताओं पर चर्चा नहीं करूंगा लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उस दुर्घटना का समाचार अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया जा सका । जांच समिति इस तथ्य की ओर नहीं देखेगी । यह निर्विवाद सत्य है, और सरकार की कुशलता पर यह एक भयंकर आरोप है । यदि मान लीजिये कल देश के सीमावर्ती भाग पर आक्रमण होता है और यदि हम यह कहें कि हम सम्बन्धित अधिकारियों अथवा राष्ट्र के प्रधान को सूचित नहीं कर सके तो देश की सुरक्षा का क्या होगा ? दुर्घटना स्थल पर उपस्थित महानुभाव भले ही ही कितने ही असफल रहे हों किन्तु यह उनकी भीषण असफलता है जिसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहिये ।

मेरे पास बहुत कम समय है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं । प्रधान मंत्री आचार्य कृपलानी ने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उन से हमारी भावनाओं को आघात पहुंचा है । मेरी ही भावनाओं को नहीं लेकिन उन सब की भावनाओं को जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और उन लाखों देशवासियों का जो पथ-कर तथा टीका लगवाने सम्बन्धी नियंत्रणों के होते हुये भी गंगा में संगम पर डुबकी लगाने गये थे ।

यह एक अंधविश्वास ही तो है कि आचार्य कृपलानी सब प्रकार की औपचारिकताओं का विरोध करते हुए भी अपने आप को "आचार्य" कहते हैं ।

आचिनोति च शास्त्राणि आचारान् स्थापयत्यपि।
स्वयमाचरते यस्मात्तस्मादाचार्य उच्यते ।।

आचार्य वह है, जिसने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हो, जिसने शास्त्रों के अनुसार परम्पराओं को प्रतिष्ठापित किया हो और उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया हो। जब तक यह तीनों बातें नहीं होतीं किसी भी व्यक्ति को आचार्य कहलाने का अधिकार नहीं होता ।

श्री वेलायुधन : वह आधुनिक आचार्य हैं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : पंजाब में वह "महाब्राह्मण" हैं । आधुनिक आचार्य का

कोई प्रश्न नहीं क्योंकि यह उस भाषा से सम्बन्धित है जिसका यह शब्द है ।

जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्बन्ध है मैं राष्ट्र के सांस्कृतिक निर्माण के विषय में एक बात और कह दूंगा । मुझे खेद है कि नेतागण, सदन, और सामान्यतया राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल इस विषय पर शान्त हैं । भारतीय जीवन की ओर उन्मुख करने वाली हिन्दी संस्थाओं और संस्कृत संस्थाओं का कोई ज़िक्र नहीं किया जाता है । उक्त संस्थायें समाप्त हो रही हैं । हमारे शिक्षा मंत्री प्रसिद्ध शिक्षाविद् मौलाना आज़ाद को वास्तविक भारतीय शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में सर्वथा अज्ञान है । उन्होंने हाल ही में उर्दू में कुछ पुस्तिकायें प्रकाशित करायी हैं जिन्हें यहां वितरित किया गया है । उर्दू राष्ट्र भाषा नहीं है और न वह प्रादेशिक भाषा ही है । फिर भी हिन्दी और संस्कृत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वास्तविक भारतीय विद्यालय और पाठशालायें काल कवलित होती जा रही हैं । हिन्दी और संस्कृत के मनीषी विद्वान जिन्होंने सांस्कृतिक भाषा को बनाये रखने के लिये राष्ट्र की आजीवन अकथनीय सी सेवा की हैं आज अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । संस्कृत और हिन्दी के विश्वविद्यालयों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है । शिक्षा मंत्रालय और मंत्रिमंडल से मेरी यह प्रार्थना है कि वह इस ओर ध्यान दे ।

आयुर्वेद-चिकित्सा प्रणाली के विषय में भी एक बात कह दूं । गत बार इस विषय पर चर्चा करते समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि वह इस प्रकार की सस्ती चिकित्सा प्रणाली देश में नहीं फैलने देंगी । उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक ग्रामीण के लिये सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की हामी हैं । वह केवल आदर्श अथवा काल्पनिक स्वर्ग की बात है । आयुर्वेद जनसाधारण की आर्थिक दशा, जलवायु सम्बन्धी स्थिति और स्वभाव के अनुकूल है । यह अत्यन्त वैज्ञानिक प्रणालीयुक्त औषधि है । लेकिन अब इसकी उपेक्षा की जा रही है । मैं कहता हूं कि ऐलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली बिल्कुल अवैज्ञानिक है । आयुर्वेद प्रणाली त्रिदोष पर आधारित है । मंत्रिमण्डल तथा सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि वह इस चिकित्सा प्रणाली को उचित महत्व दें ।

डा० काटजू : श्रीमान्, प्रधान मंत्री ने अपने भाषण मे बड़े व्यापक ढंग से लगभग समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की है । मैं भी दो तीन विषयों पर कुछेक शब्द बोलना चाहता हूं । इन में से शान्ति तथा व्यवस्था की समस्या एक है । यह हर्ष की बात है कि सत्याग्रह आदि के नाम पर गड़-बड़ डालने की कोशिशों के बावजूद देश में शान्ति तथा व्यवस्था रही है तथा भारत की जनता ने सूझ बूझ का परिचय दिया है । तरह तरह के प्रलोभनों के बावजूद देहाती क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था रही है ।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि जब हम देश की आर्थिक प्रगति आदि की बातें करते हैं तो हमें ग्रामीण जनता को भी श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिये जिन्होंने कि भारत भर में ऐसे कार्यों में स्वेच्छा से अपना सहयोग दिया है । मैं आज प्रातः ही विन्ध्य प्रदेश से प्राप्त एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि वहां के उपराज्यपाल ने कहा था कि अपने व्यापक दौरों में उन्होंने यह देखा कि समस्त विन्ध्य प्रदेश में जनता "एक तिहाई के आधार पर की परियोजनाओं" से आकर्षित हुई है । इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य किसी कार्य के लिये खर्च आदि का एक तिहाई भाग देता है तथा शेष दो-तिहाई भाग ग्रामीण स्वयं

[डा० काटजू]

देते हैं। मैं भी बहुत से राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करता रहा हूं तथा मेरे लिये यह एक आह्लादपूर्ण अनुभव रहा है कि किस तरह से लोगों ने अस्पताल बनाये हैं, स्कूल बनाये हैं तथा इस तरह की और चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने बांध बांधे हैं। बारिश के पानी को बेकार जानें से रोका है तथा ज़मीन को खेती के अन्तर्गत लाया है। हम दामोदर घाटी अथवा हीराकुड बांध देखने जाते हैं तथा इनकी चर्चा करते हैं। परन्तु ग्रामीणों के परिश्रम पर और अधिक ध्यान देना चाहिये। हमें इसके लिये अपने देशवासियों को बधाई देनी चाहिये। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब हम कस्बों में बातें करते हैं, लोग ग्रामों में काम करते हैं। वे उत्साह से भरे हैं। वह अब महसूस कर रहे हैं कि एक युग के बाद भारत में आज़ादी का सूर्य चमका है।

श्रीमान्, अब मैं कुंभ मेले के सम्बन्ध में कुछेक शब्द कहना चाहता। यह पांचवा कुम्भ था जो कि मैं ने देखा। पहिला कुंभ जिसमें कि मैं शामिल हुआ था, १९०६ में लगा था जब कि मैं इलाहाबाद में 'ला कालिज' में पढ़ता था। मैं कुम्भ तथा अर्ध कुम्भ को देखते आया हूं तथा मैं ने देखा है कि इन अवसरों पर जनता में काफी उत्साह पाया जाता है। परन्तु इस वर्ष मैं गया तथा हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ में घुसा। मैं ने देखा कि लोग केवल एक बात से प्रभावित थे। वह यह थी कि यह स्वतंत्र भारत का पहिला कुम्भ है। मेरे माननीय मित्र श्री टंडन तथा आचार्य कृपलानी ने अंधविश्वासकी चर्चा की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस तरह का दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है। लोग वहां इस वर्ष इसलिये गये क्योंकि उन्होंने सोचा कि भारत हज़ारों वर्षों के बाद आज़ाद हुआ है .....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

डा० काटजू : .....तथा आज़ादी के बाद यह पहला कुम्भ है। (अन्तर्बाधा)। लोग रेलवे तथा सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की बातें करते हैं। यह बात तो केवल इन्हीं बेंचों पर होती है। आप वहां जाते और देखते लाखों लोग सैकड़ों मील का सफर तै कर के वहां बैलगाड़ियों पर आये। सभी लोग रेलगाड़ियों में नहीं आये। बैलगाड़ियों पर आये और पैदल आये। यह बात याद रखनी होगी। प्रधान मंत्री ने मामूली तौर पर इसका ज़िक्र किया। जहां तक मेरा सम्बन्ध है गंगा जल मेरे लिये उतना ही पवित्र है जितना कि चम्बल, ताप्ती अथवा नर्मदा का है। गंगा के लिये मेरा केवल यह एक आकर्षण है कि जब मैं गंगा में स्नान करता हूं तो, न जाने, मुझ में एक नई भावना जागृत होती है—आप हंसते हैं क्योंकि आप इसके महत्व को नहीं समझते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : वह हंसते हैं क्योंकि वह नास्तिक हैं। (अन्तर्बाधा)।

उपाध्यक्ष महोदय : इस देश में कई धर्म हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी धर्म की रूढ़ियों आदि पर हंसना एक बुरी बात है। प्रश्न यह नहीं है कि इस मेले को रोका जाना चाहियें था। हमें केवल उस दुःखद घटना पर चर्चा करनी चाहिये। मुझे खेद है कि इन बातों पर हंसी उड़ाई जाती है। कम से कम इस सदन में ऐसा न होना चाहिये था। हंसी उड़ाना न इस सदन के हित में है और न देश के हित में है।

डा० काटजू : मैं किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा था। मैं कह सकता हूं कि दक्षिण भारतीयों के लिये कावेरी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि जनता को गंगा तथा यमुना से इसलिये प्रेम है क्योंकि भारत की आर्य सभ्यता इन्हीं की

धाटी में पली है और फूली फली है। यह पवित्रता का कोई प्रश्न नहीं और न यह मेरे इसमें स्नान करके स्वर्ग में जाने का प्रश्न है। जब कभी मैं गंगा स्नान के लिये जाता हूं तो मैं वैयक्तिक रूप से समझता हूं कि मैं एक एसी बात कर रहा हूं जो कि मुझे अपने पूर्वजों के साथ, जो कि हज़ारों वर्ष पहले इसी भूमि पर रहते थे, मिलाती है। मैं मोक्ष आदि की बातें नहीं करता। मुझ केवल वह दिन याद आता है जब कि ६४० ईस्वी में चीन का तीर्थ यात्री कुम्भ पर्व में शामिल हुआ था। उसने इसका वर्णन किया है। आप फिर पढ़ लीजिये कि हर्षवर्धन न क्या कुछ किया था उस समय का चिन्तन कीजिये। इतिहास का निरन्तर प्रवाह होना चाहिये। आप प्राचीन तथा स्वतंत्र भारत पर तब तक गर्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उनके महान कार्य में गर्व महसूस न करेंगे। अवश्य ही अन्ध विश्वास का उन्मूलन कीजिये। आप कह सकते हैं कि गंगा जल किसी दूसरी नदी के समान है। बहुत से लोग ऐसा ही समझते हैं परन्तु जब मैं गंगा स्नान के लिये जाता हूं तो मेरा अपने पूर्वजों के साथ तथा सारे राष्ट्र के पूर्वजों के साथ एक प्रकार का सम्बन्ध जुड़ जाता है। मेरे माननीय मित्र यहां बोलत हैं. निस्संदेह, यह एक अन्त्यन्त ही दुर्भाग्य पूर्ण घटना है। इससे हमारे दिल दहल गये, परन्तु मैं अपनी वैयक्तिक जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि २ फरवरी, तक सारा प्रबन्धकार्य सुन्दर था। मैं ने वहां एक भी नक्खी नहीं देखी। लोक स्वास्थ्य विभाग ने वहा चमत्कार पूर्ण कार्य किये थे। उस विभाग के कर्मचारी इतनी श्रद्धा तथा निष्ठा से काम कर रहे थे जितनी कि मैंने गत ४८ वर्षों में कभी भी नहीं देखी है। परन्तु, यह मामला हुआ। और जिन लोगों के हाथ में इस मेले का प्रबन्ध-कार्य था, उनसे अब घृणा की जा रही है तथा उन पर तरह तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं और इस पर लोग अन्धविश्वास का उन्मूलन करने पर भाषण देते हैं और कहते हैं कि सरकार को इसके उन्मूलन के लिये कोई कार्यवाही करनी चाहिये थी। मान लीजिये कि आप उनको रेल गाड़ियों की सुविधायें नहीं दें, तो क्या आप उन्हें बैल गाड़ियों आदि द्वारा आने से रोक सकते हैं? वह ऐसा करेंग ही। प्राचीन काल में लोग कन्या कुमारी तक बैल गाड़ियों में जाया करते थे।

मेरे माननीय मित्र ने बताया कि सरकारी अधिकारियों तथा मंत्रियों को सरकारी हैसियत से वहां नहीं जाना चाहिये। जब मैं उड़ीसा का राज्यपाल था तो मैं प्रायः जगन्नाथ मंदिर में जाया करता था; परन्तु कोई यह नहीं समझता था कि मैं वहां राज्यपाल की हैसियत से जाता हूं। मैं अपनी वैयक्तिक हैसियत से वहां जाता था। मैं एक हिन्दू था, इस लिये मैं वहां जाता था। यदि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई ईसाई गिरजाघर में न जाये।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य कृपलानी तथा श्री टंडन ने जिन्हें कि मैं अपना गुरु समझता हूं, इस प्रश्न पर एक गलत दृष्टिकोण से विचार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य यह चाहता है कि उनका कोई संशोधन मतदान के लिये सदन के समक्ष रखा जाये?

श्री पी० एन० राजभोज : मेरे संशोधन संख्या १८ तथा १९ मतदान के लिये सदन के समक्ष रखे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : वे संशोधन चुने गये थे परन्तु उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

सलिये मैं इन्हें मतदान के लिये सदन के समक्ष नहीं रखता हूं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का संशोधन संख्या ४८ मतदान के लिये प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"१५ फरवरी, १९५४ को संसद् के एक साथ समवेत दोनों सदनों को राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण देने की कृपा की है, उसके लिये लोक-सभा के इस सत्र में समवेत सदस्य राष्ट्रपति के अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, २३ फरवरी, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।